खण्ड-231, अंक-10
सोमवार, 14 ज्येष्ठ, शक संवत् 1884
(4 जून, 1962 ई0)

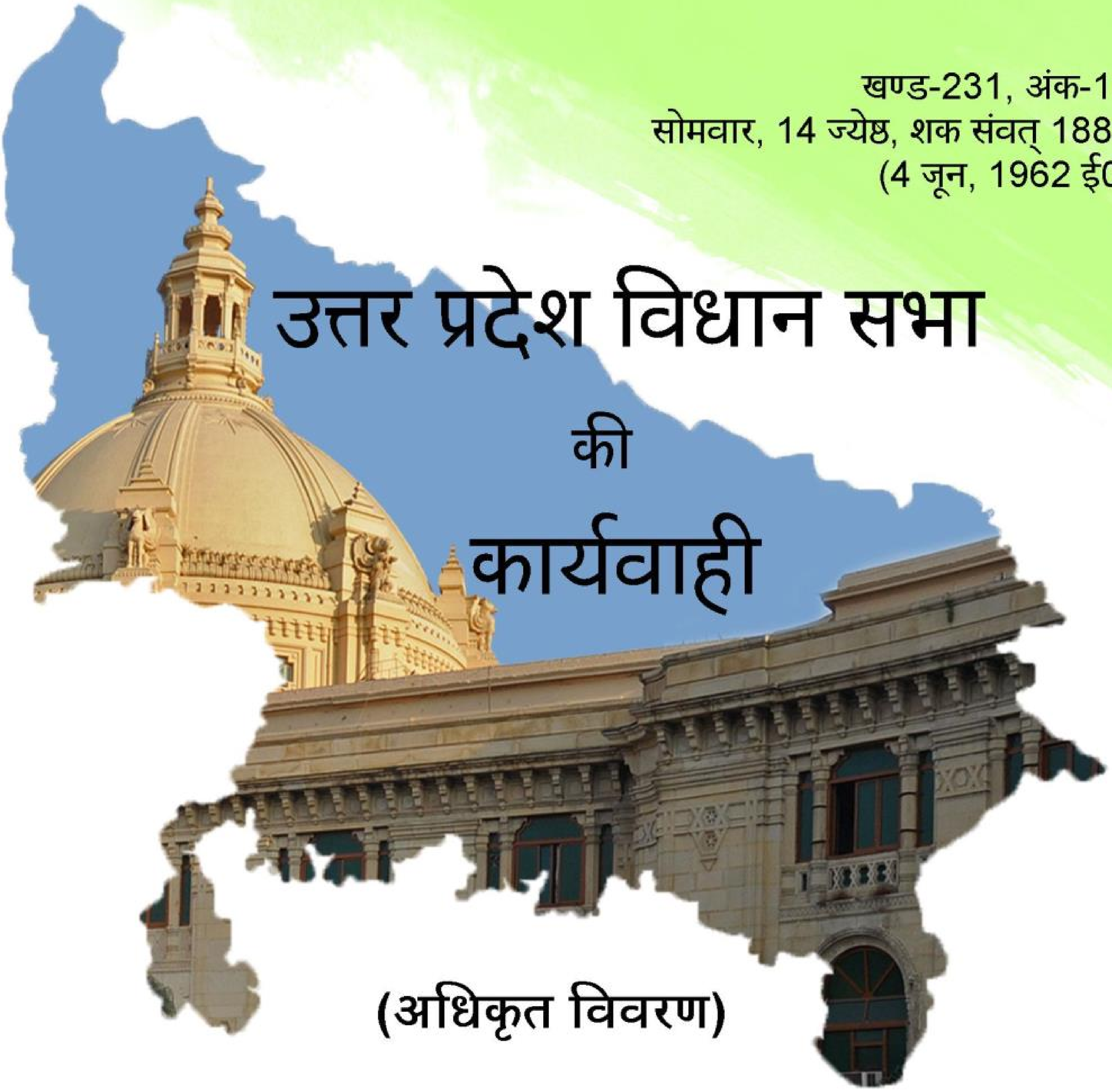

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 231 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८८३–८८७
प्रश्नोत्तर	८८७–९०६
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (अस्थायी) नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	९०६
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	९०६–९०७
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	९०७–९०८
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाए	९०८–९११
प्रदेश के सहायता प्राप्त प्राइवेट माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा	९११–९१२
श्री रामसुन्दर द्वारा विशेषाधिकार की मांग	९१२
महाराणा प्रताप इन्टर कालेज के भवन को सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन के लिए न दिया जाना	९१२–९१३
हाथरस, जिला अलीगढ़ में एन० के० क्लाथ ऐंड जनरल मिल्स तथा बिजली काटन मिल्स में मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	९१३–९१५
प्रदेश में टिड्डी दल के आक्रमण के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	९१५–९१८
२८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन	९१८–९१९
८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन	९१९
१ मई, १९६२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ५ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	९१९
सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों में सम्बन्ध में जानकारी	९२०–९२१
मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव (वापस लिया गया) ..	९२१–९२७
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव	९२७–९२८
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६२ (विचारोपरान्त पारित) ..	९२८–९५५
प्रदेश में नये कर लगाने तथा मालगुजारी में वृद्धि किये जाने के विषय पर चर्चा	९५५–९७७
नत्थियां	९७८–९८६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ४ जून, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९३

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिन्हा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम,
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरधरप्रसाद, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गुलाबदेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिनमिट झिल्ल, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
टुलाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तपेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतराम, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज़ हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पिनई, श्री
पुरुषोत्तमलाल बजवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेम सुन्दर, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंश लाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बद्रीप्रसाद श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराज सिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदर म, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेदनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री

यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खड़ूड़ी, श्री
रक्षपाल सिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, प्रणव, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसेन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री

शान्तिचन्द, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपाल सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, तथा उपमंत्री, श्री शिव प्रसाद गुप्त, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ४ जून, सन् १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में लघु तथा बड़े उद्योगों के लिये ऋण

**१—श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर शहर सदर तहसील तथा जिले में १ अक्तूबर, सन् १९६१ से ३० मार्च, १९६२ तक लघु उद्योग तथा बड़े उद्योगों के लिये कुल कितना ऋण दिया गया था ?

ग्राम तथा लघु उद्योग उप मन्त्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---१ अक्तूबर, १९६१ से ३० मार्च, १९६२ तक जौनपुर शहर, सदर तहसील (शहर को छोड़कर), तथा जिले (शहर व सदर तहसील को छोड़कर) में लघु उद्योग हेतु क्रमशः ६६,००० रु०, १३,००० रु० तथा ५३,००० रु० ऋण वितरित किया गया। बड़े उद्योग हेतु कोई ऋण नहीं दिया गया।

****२---श्री यादवेंद्रदत्त**---क्या सरकार जिन व्यक्तियों के लिये ऋण दिया गया, उनके नाम मये पते के सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९७८-९८० पर)

श्री यादवेंद्रदत्त---क्या सरकार बतायेगी कि जो जौनपुर शहर के लिये लिस्ट दी गई है, १ से लेकर २१ तक, इसमें क्या ऐसे भी कई लोग हैं जिनके लिये तहसील से और एस० डी० ओ० ने यह रिपोर्ट दी थी कि इनको अनुदान न दिया जाय क्योंकि इनके पास कोई सीक्योरिटी नहीं है और यह पाकिस्तान जाना चाहते हैं ? बावजूद इसके भी इनको लोन दिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---श्रीमन्, ऐसी सूचना तो हमारे पास नहीं है। ऋण उन्हीं को दिया गया है जिनके केसेज उस कमेटी के कंसीडरेशन के लिये रखे गये थे जिला स्तर पर और उन्होंने ही सैंक्शन किया है।

श्री यादवेंद्रदत्त---श्रीमन्, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन मंत्री जी के उत्तर से मजबूर होकर मुझको नाम लेना पड़ रहा है। श्री अब्दुल रहमान, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद इस्माईल और मोहम्मद इशहाक़ और श्री रज्जब अली, क्या इनके बारे में यह रिपोर्ट्स नहीं थीं कि यह लोग पाकिस्तान जा रहे हैं और इनको लोन न दिया जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा ऐसी सूचना सरकार के पास इस समय कोई नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि इनके लिये मना किया गया था कि इनके केसेज कंसीडर न किये जायं। क्योंकि लोन्स डिस्ट्रिक्ट कमेटी बांटती है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अख्तियार है बांटने का।

श्री यादवेंद्रदत्त---क्या मेरी सूचना को मान कर जो मैंने अभी कहा है सरकार यह सारी फाइलें जौनपुर शहर की फिर से मंगा कर जांचेगी और देखेगी कि यह रिपोर्ट है कि नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---फाइल मंगा ली जायगी। यदि माननीय सदस्य लिख कर नाम बता दें, जिनके बारे में जांच करना चाहते हैं, तो उनके केसेज देख लेंगे।

श्री यादवेंद्रदत्त---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों को यह लोन्स दिये गये हैं इसकी भी जांच करायेंगे, यह लोन देने के पहले इनके ऊपर और भी ऋण मौजूद था उद्योग विभाग का और जिस काम के लिये लोन लिया गया था उस काम में उसका उपयोग भी नहीं हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---मान्यवर, इसके लिये १ साल का यूटीलाइजेशन का समय होता है और अभी वह समय समाप्त नहीं हुआ है। पहले उन पर कोई ऋण बाकी था या नहीं यह जिला स्तर की कमेटी के देखने का काम था। सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि इसकी जांच कर ली कि नहीं।

श्री यादवेंद्रदत्त---क्या मेरी सूचना मान कर कि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनको पहले भी लोन्स दिये जा चुके हैं और उन्होंने उस लोन का कोई उपयोग नहीं किया, मंत्री जी पुरानी लोन की फाइल की जांच करने की कृपा करेंगे ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---यदि माननीय सदस्य तफ़सील के साथ लिख कर दें तो जांच करा लेंगे।

जौनपुर के मछलीशहर एरिया में मेहतरों की हड़ताल तथा बिजली न जलना

**३—श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मछलीशहर टाउन एरिया, जौनपुर के मेंहतरों ने १ मई, सन् १९६२ से क्यों हड़ताल कर रक्खी है और क्या इसके पहले भी मेहतरों ने काम काजबन्द कर रखा था? यदि हां, तो कब से कब तक और क्यों?

स्वायत शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—मछलीशहर टाउन एरिया के मेहतरों ने अपना वेतन न मिलने के कारण १ मई, १९६२ से हड़ताल कर रखी है। इससे पूर्व भी २७ फरवरी, १९६२ से २० अप्रैल, १९६२ तक वह हड़ताल पर थे और उस हड़ताल का कारण भी वेतन का न मिलना था।

**४—श्री केसरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मछलीशहर टाउन एरिया जौनपुर के मेहतरों को क्या वेतन-क्रम और महंगाई भत्ता मिलता है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—उनको १६ रुपये मासिक वेतन, ४ पया महंगाई भत्ता तथा ७, १/२ रु० अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलता है।

**५—श्री केसरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त टाउन एरिया में कितने दिनों से बिजली नहीं जल रही है और क्यों?

श्रीमती तारा अग्रवाल—बिजली-कर का ४५० रुपया जमा न कर सकने के कारण पिछले ९ मास से बिजली नहीं जल रही है।

श्री केसरीप्रसाद—क्या सरकार बतलायेगी कि मछलीशहर टाउन एरिया में कितने मेहतर काम कर रहे हैं और कितने महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—१६ महीने की तनख्वाह बाकी थी। दो महीने की दे दी गयी है और १४ महीने की बाकी है।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गरीब मेहतरों को पिछले १६ महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उसमें केवल २ महीने की दी गयी तो सरकार कोई उचित कदम उठाने जा रही है, जिससे उनको तनख्वाह मिल सके?

श्रीमती तारा अग्रवाल—टाउन एरिया की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी, उसका सुधार किया जा रहा है और मुझे आशा है कि टाउन एरिया जो है वह इस बात में समर्थ हो जायगी कि तनख्वाह दे सके।

श्री केसरीप्रसाद—क्या सरकार बतलायेगी कि ४ पये महंगाई और साढ़े ७ रुपये अतिरिक्त महंगाई भत्ता जो मेहतरों को दिया जाता है वह सरकार से वसूल कर लिया गया है? यदि हां, तो उसको कहां और कैसे खर्च किया गया?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री केसरीप्रसाद—२७ जनवरी, से २० अप्रैल तक हड़ताल रही, वह किस कारण से समाप्त कर दी गई?

श्रीमती तारा अग्रवाल—उनको दो महीने का वेतन दिया गया, इसलिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के मुताबिक एक हफ्ता के अन्दर कर्मचारियों को वेतन मिल जाना चाहिये तो क्या सरकार उस टाउन एरिया के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करेगी जिसने १६ महीने से तनख्वाह न देकर पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट की अवहेलना की?

स्वायत शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—सरकार को एक बात मालूम है कि वहां की हालत खराब है। सरकार यह कर सकती है कि या तो मदद दे या फिर उसे सुपरसीड करे। पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के मुताबिक हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। उसके लिये अदालतें हैं। वहां से मजदूर अपनी मांग पूरी करा सकते हैं।

स्वामी सर्वदानन्द का तथाकथित आमरण अनशन

****६—श्री बिपिन बिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बुलन्दशहर के किसान नेता, श्री स्वामी सर्वदानन्द जी, ने ७ जून से आमरण अनशन प्रारम्भ करने की घोषणा की है? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मांगों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और बतायेगी कि उस बारे में सरकार क्या कर रही है?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—सरकार के पास श्री स्वामी सर्वदानन्द के प्रस्तावित आमरण अनशन अथवा उनकी मांगों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी—क्या माननीय मन्त्री इस प्रश्न को सूचना मान कर इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—वे तो कहते हैं कि उनको सूचना नहीं है।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी—जो प्रश्न है इसी को सूचना मान कर जांच करें कि आमरण अनशन ७ तारीख से करेंगे या नहीं?

श्री नवलकिशोर—जब यह प्रश्न हमको दिया गया तो हमने इसकी, मान्यवर, जांच कराई। अभी तो स्वामीजी का यह भी पता नहीं है कि वे हैं कहां, अनशन करना तो बहुत दूर की बात है।

बरेली नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की 'काम धीरे करो' हड़ताल

****७—श्री हरीशकुमार गंगवार** (जिला बरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली नगरपालिका में गत कई मास से सफाई करने वाले कर्मचारियों की 'काम धीरे करो' हड़ताल चल रही है, जिसके फलस्वरूप नगर में गन्दगी का साम्राज्य हो गया है, तथा विभिन्न मैले कूड़े के डलावों में सड़न उत्पन्न हो गई है? यदि हां, तो यह जानते हुये कि अब वर्षा होते ही हैजे जैसी बिमारियों के अत्यधिक तेजी से फैलने की आशंका है सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां, शासन ने सफाई कर्मचारियों की "काम धीरे करो" हड़ताल को खत्म करने की भरसक कोशिश की और अब दिनांक २२ मई, १९६२ को सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और नगरपालिका के प्रतिनिधियों में एक समझौता हो गया है जिसमें सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने यह आश्वासन दिया है कि वह जमा हुये कूड़े को मेहनत से काम करके एक सप्ताह में खत्म कर देंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो उसने सूचना दी है कि कर्मचारियों ने २२ तारीख को हड़ताल समाप्त कर दी और एक सप्ताह में पूरी सफाई करने का निश्चय किया है, लेकिन अभी तक मेरी सूचना है, मैं वहीं से आ रहा हूं, वहां सफाई नहीं हुई है तो वह इसकी जांच करायेंगी कि उन्होंने अभी तक सफाई क्यों नहीं की?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जो समझौता हुआ है नगरपालिका के अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधियों के बीच में वह इसी आश्वासन पर हुआ है कि सफाई हो जायगी।

माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा

**८—श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री डूंगर सिंह (जिला हमीरपुर) तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—क्या सरकार माध्यमिक विद्यालयों (सरकारी सहायता प्राप्त) के शिक्षकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की घोषणा इसी सत्र में करने जा रही है? यदि हां, तो कब और कितनी वृद्धि होगी?

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)—जी हां।

घोषणा सोमवार, दिनांक ४ जून, १९६२ को (आज ही) होगी और उस में पूरी सूचना दे दी जायेगी।

वार्षिक परीक्षा में नकलची छात्रों को उसी कक्षा में एक वर्ष रोक का दंड

**९—श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि शिक्षा विभाग के क्या कोई ऐसे आदेश हैं कि जो विद्यार्थी (चाहे वे किसी कक्षा के हों) वार्षिक परीक्षा में नकल करते हुये पकड़े जायं या उनके पास कोई कागज पाये जायं, उन्हें यहां के प्रधानाध्यापक वर्ष भर के लिये उसी कक्षा में रोक (डिटेन) कर दें?

श्री अजीज इमाम—इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है, परन्तु प्रथा के अनुसार संस्था के प्रधानाध्यापक को वार्षिक परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में पूरे अधिकार प्राप्त हैं और परीक्षा में नकल करने वाले विद्यार्थियों को उनके अपराध के अनुसार दंड दे सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी की सूचना में कुछ ऐसी बातें आई हैं कि कुछ छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी गलती से अगर किसी कागज को ले गये और उनका नकल करने का उद्देश्य नहीं था फिर भी उनके रिजल्ट रोक लिये गये?

श्री अजीज इमाम—जी नहीं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार स्पष्ट रूप से यह बतायेगी कि विभिन्न विद्यालयों में जो यह क्रम बन गया है कि कोई भी विद्यार्थी अगर नकल करता पकड़ा जाय या उसके पास कोई कागज पकड़ा जाय तो उसे डिटेन कर लेते हैं, तो क्या वास्तव में सरकार की तरफ से कोई नियम बन गया है?

श्री अध्यक्ष—वह तो उत्तर दे दिया गया कि नियम नहीं बनाया है, लेकिन उनको अधिकार है।

तारांकित प्रश्न

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।)

झांसी नगरपालिका में जनता को जलकष्ट

*१—श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी)—क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य नहीं है कि झांसी नगरपालिका में जो १५ वार्डों में विभाजित है और जहां जल वितरण की व्यवस्था नगरपालिका झांसी द्वारा की जाती है इस समय करीब दो माह से जनता को पानी का महान कष्ट हो रहा है और जन-जीवन पानी न मिलने के कारण खतरे में है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—झांसी नगर में जल वितरण की व्यवस्था नगरपालिका झांसी द्वारा की जाती है। जलकल की उत्पादन क्षमता (Pumping capacity) से अधिक पानी की मांग बढ़ जाने के कारण झांसी के निवासियों को पानी का कष्ट कुछ अवश्य है परन्तु इससे जन-जीवन खतरे में नहीं है।

*२—श्री लखपतराम शर्मा—क्या इस अवधि में कई वार्डों के लोगों ने जिलाधीश झांसी का ध्यान पानी की कठिन समस्या पर आकर्षित किया परन्तु कोई सुधार नहीं हो सका ? यदि यह सत्य है तो सरकार ने अब तक जल वितरण में सुधार के हेतु क्या कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—दो एक प्रार्थना पत्र जिलाधीश के पास पानी की कमी के सम्बन्ध में आये थे। परन्तु इस समय वर्तमान जल वितरण प्रणाली में कोई सुधार करना सम्भव नहीं है। नगर में पानी की कमी को दूर करने के लिये झांसी बबीना नामक एक जल सम्भरण योजना बनाई जा रही है। इस योजना के कार्यान्वित हो जाने पर झांसी नगर की पानी की कमी दूर हो जाने की बहुत आशा है।

श्री लखपतराम शर्मा—श्रीमन, मैं यह जानना चाहता हूं कि बबीना से जो जल लाने की योजना बनाई जा रही है, उससे झांसी तक जल आने में कितने वर्ष लग जायेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—लगभग चार वर्ष।

श्री लखपतराम शर्मा—झांसी की डेढ़ लाख की आबादी में जल लाने में चार वर्ष लग जायेंगे तो इस बीच में सरकार कोई अन्य व्यवस्था करने जा रही है ताकि जनता का जल का कष्ट मिट जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कोई प्रबन्ध नहीं कर रही है।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि भूतपूर्व नगरपालिका पौने ६ लाख गैलन प्रतिदिन पानी सप्लाई करती थी किन्तु वर्तमान नगरपालिका अब १४ लाख गैलन प्रतिदिन सप्लाई कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, ठीक है। लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है इसलिये पानी का, खर्चा भी बढ़ता जा रहा है यही उत्तर में कहा गया है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, मन्त्री जी ने बताया कि पानी के अभाव से जन-जीवन खतरे में नहीं है तो क्या कोई मौत न हो जाय तब तक जन-जीवन खतरे में नहीं है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, झांसी की अवस्था उन बहुत से गांवों से कहीं अच्छी है जहां ४–५ मील से पानी लेकर लोग आते हैं तब भी पानी नहीं मिलता है। यह दिक्कत है और यह भी सम्भव है कि मौतें हो सकती हैं। पानी के अभाव में तो पक्षी भी मर जाते हैं जो कि उड़ना जानते हैं। सरकार के पास जितने साधन हैं, उतना ही कर सकती है।

श्री कृष्णचन्द्र—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वर्तमान नगरपालिका ने पानी की व्यवस्था के लिये कोई योजना रखी है ? सरकार से ऋण मांगा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—मान्यवर, असल बात यह थी कि कुछ मेंन्स की कमी थी जिसके कारण बहुत सा पानी बरबाद हो जाता था। अब नगरपालिका नई मेंन्स बिछा रही है और ऋण मांगा गया था, उसमें काफी दिया जा चुका है।

श्री लखपतराम शर्मा—श्रीमन्, झांसी में डेढ़ वर्ष से एक इंजन ड्राइवर सुपरिंटेंडेंट वाटर वर्क्स के पद पर काम कर रहा है, इसलिये पानी की दिक्कत पड़ रही है और बिना फिल्टर के पानी दिया गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि नगरपालिका को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फ्लश सिस्टम शामिल किया गया था तो तृतीय योजना में पानी की व्यवस्था न हो सकने का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, सरकार यह कर सकती थी कि पानी दे दे। पानी जा रहा है और जो मेंन्स की खराबी थी वह दुरुस्त की जा रही है। इसके अलावा सरकार क्या करे, यह समझ में नहीं आता।

*३—**श्री यशपाल** (जिला सहारनपुर)—[६वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

(४ जून, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

प्रदेशीय महापालिकाओं के कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी नियमावली

*१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के महापालिका के कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी नियमावली बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती तारा अग्रवाल—महापालिकाओं के कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी नियमावली बनाई जा रही है।

*२—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महापालिकाओं, पालिकाओं के कर्मचारियों को वही सुविधा दी जाती है जो सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी नहीं, सब सुविधायें नहीं दी जाती हैं, क्योंकि महापालिकाओं एवं नगरपालिकाओं की सेवा शर्तें उन सब नियमों एवं शासकीय आदेशों से शासित नहीं होती हैं जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं। वे क्रमशः उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम १९५९ के उपबन्धों तथा उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार नियन्त्रित होती हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार को ज्ञात है कि पालिका से महापालिका बने ढाई साल हुये, लेकिन अभी तक सेवा नियम नहीं बने, इसका क्या कारण है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह नियम काफी काम्प्लीकेटेड थे और इनकी जांच कई विभागों को करनी पड़ी इसलिये देर हुई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार को ज्ञात है कि पालिका के जो कर्मचारी थे जो स्थायी थे इस समय महापालिका बन जाने से अस्थायी हो गये हैं? यदि हां, तो उनको कब स्थायी किया जायेगा?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नियम बन जाने के बाद यह प्रश्न अपने आप पूरा हो जायगा।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—माननीय मन्त्री जी ने कहा कि काफी काम्प्लीकेटेड, है, इस काम्प्लीकेशन का ज्ञान उनको कब हुआ और उसको दूर करने का उन्होंने क्या प्रयास किया?

श्री अध्यक्ष—काम्प्लीकेशन्स तो दूर नहीं हो सकते। काम्प्लीकेशन्स तो कानूनी हैं, ऐक्ट ही काम्प्लीकेटेड है।

श्री रामायण—काम्प्लीकेशन कब तक समाप्त हो जायगा?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह नियम बना कर छापे गये थे आपत्तियों के वास्ते। आपत्तियां आ गई हैं। उनके ऊपर विचार हो गया है। आशा है कि नियम शीघ्र ही लागू कर दिय जायंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार का इरादा नियम बनाने में ऐसा है कि वह सारी उलझनें दूर हो जायं और जो लोग अभी तक परमानेंट नहीं हैं उनको परमानेंट कर दिया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, नियमों में यह सब बातें हैं । सब कवर हो जाती हैं ।

श्री गेंदासिंह—मैंने यह पूछा कि नियम बनाना तो सरकार का काम है, तो क्या सरकार का इरादा है कि नियमों में ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे जो परमानेंट नहीं हैं वह परमानेंट हो जायं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह कैसे हो सकता है कि कोई ऐसा नियम बने कि तमाम अस्थायी लोग स्थायी कर दिये जायं। यह तो बन ही नहीं सकता है। कुछ कायदे बनेंगे। उन शर्तों को जो पूरा करेंगे, अगर वह अस्थायी हैं तो स्थायी किये जा सकते हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि किन-किन महापालिकाओं ने इन नियमों का विरोध किया है, किन्होंने आपत्ति की है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आपत्तियां या कमेंट्स कोई भी शब्द इस्तेमाल कीजिये, वह आयी हैं, इन्हीं को इग्जामिन करके अमल होने वाला है।

यू० पी० जेल्स में डी० आई० जी० के पद का टेन्योर न होना तथा प्रिंसिपल जेल ट्रेनिंग स्कूल के पद को केन्द्रीय कारागार के अधीक्षकों के केडर में मिलाना

*३—**श्री हिम्मत सिंह**, (जिला बुलन्दशहर) **श्री मुकुट बिहारी लाल** (जिला बाराबंकी), **श्री जगदीश प्रसाद** (जिला बहराइच) तथा **श्री रक्षपाल सिंह** (जिला इलाहाबाद)—क्या जेल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० जेल्स में जो डी० आई० जी० के पद हैं उन्हें tenure क्यों नहीं बनाया गया जिससे उस पद पर आसीन पदाधिकारी की एक निर्धारित अवधि के भीतर अन्य जगह बदली की जा सके ? क्या यह सही है कि इस पद के tenure-post न होने से कुछ डी० आई० जी० गत १४ साल से अपने उसी पद पर एक ही स्थान पर डटे हैं ?

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—चूंकि इनका एक अलग कैडर है और अन्य पदों से वेतन क्रम भी भिन्न है, इसलिये प्रशासकीय दृष्टि से यह उचित नहीं समझा गया कि डी० आई० जी० के पद tenure हों । यह सही है कि एक डी० आई० जी०, पूरे १४ साल से तो नहीं किन्तु जून सन् १९४९ से उसी स्थान पर हैं।

*४—**श्री हिम्मत सिंह, श्री मुकुट बिहारी लाल, श्री जगदीश प्रसाद** तथा **श्री रक्षपाल सिंह**—क्या यह सही है कि प्रिंसिपल जेल ट्रेनिंग स्कूल डाइरेक्टर जेल इन्डस्ट्रीज को tenure बनाने के लिये उन्हें सुपरिन्टेंडेंट सेन्ट्रल जेल के cadre में मिलाया (merge) किया जा रहा है ? अगर हां, तो समान वेतन पाने वाले डी० आई० जी० जेल को भी इसी में क्यों नहीं मिलाया (merge) जा रहा है ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—जहां तक प्रिंसिपल जेल ट्रेनिंग स्कूल के पद का प्रश्न है, यह सही है कि सरकार इस को केन्द्रीय कारागार के अधीक्षकों के कैडर में मिलाने का विचार कर रही है। किन्तु डाइरेक्टर जेल इन्डस्ट्रीज के विषय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । यह सही नहीं है कि डी० आई० जी० तथा प्रिंसिपल जेल टेनिंग स्कूल या डाइरेक्टर जेल इन्डस्ट्रीज या केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक का वेतन समान है । अतएव प्रश्न का अन्तिम भाग पैदा नहीं होता।

श्री हिम्मत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन डी० आई० जी० को लगभग १३ साल से एक ही स्थान पर रखने का क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—दूसरी जगह पर इनका स्थानान्तरण नहीं हो सकता ।

श्री हिम्मत सिंह—मैं उस कारण को जानना चाहता हूं कि इनका स्थानान्तरण क्यों नहीं हो सकता ?

श्री अध्यक्ष—वह नियम के अनुसार नहीं हो सकता ।

श्री हिम्मत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट की ओर उनका ध्यान गया है, जिसमें डी० आई० जी० कारागार की कोई पोस्ट नहीं है यदि हां तो इस कैडर को क्यों बना रखा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—यह पद चूंकि पहले से चला आ रहा है । इसलिये जो डी० आई० जी० पहले से उत्तर प्रदेश में हैं, उनको हटाने का कोई प्रश्न सामने नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि १८ अप्रैल को लखनऊ में जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट की एक कांफ़ेन्स हुई थी, जिसमें उन्होंने एक प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है कि यह जो० डी० आई० जी की पोस्ट है इसको टेन्योर कर दिया जाय अन्यथा इससे बहुत गड़बड़ी होती है यदि हां तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई सूचना सरकार को नहीं है किन्तु इस पद को टेन्योर करने में कठिनाई है और मुख्य कठिनाई यह है कि यह डी० आई० जी० का पद एक ऊंचा पद समझा जाता है । अगर इसको टेन्योर कर दिया जाय तो वह जेल अधीक्षक के पद पर वापस हो जांयगे और इससे जेल विभाग में उतना अनुशासन जैसा कि रहना चाहिये न रहने की सम्भावना है । इसलिये उसको टेन्योर नहीं बनाया जा सकता ।

श्री चन्द्रजीत—क्या सरकार यह बतलायेगी कि डी० आई० जी० जेल, डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज, प्रिन्सिपल जेल टेनिंग स्कूल और सुपरिन्टेन्डेन्ट इन चारों पद का ५०० से १,२०० तक पे स्केल है और भत्ते का अन्तर है ? यदि हां तो फिर इनका ट्रांन्सफर क्यों नहीं किया जा सकता ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—इन लोगों के वेतन-क्रम में अन्तर है । जो इस प्रकार से हैं:—

डी० आई० जी० का वेतन ५००–५०–१,०००—ई० बी०—५०–१,२०० तथा १०० रुपया विशेष वेतन ।

डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज का वेतन ५००–५०–१,०००–ई० बी०–५०–१,२०० रु० ।
प्रिन्सिपल जेल ट्रेनिंग स्कूल का वेतन ५००–५०–७५०–ई० बी०–५०–१,०००–ई० बी० ५०–१,२०० रु० ।

अधीक्षक कारागार का वेतन ५००–५०–१,०००—ई०बी०–५०–१,२०० रु० मिलता है और निवास या उसके बदले ५० रुपया प्रति मास हाउस रेंट अलाउन्स मिलता है ।

श्री हिम्मत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डी० आई० जी० को १५० रुपया अधिक जो यह स्पेशल वेतन मिलता है क्या वह हाउस अलाउन्स है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं ।

रेबली जिला अपराध निरोधक समिति द्वारा अवैतनिक जेल निरीक्षकों का निर्वाचन

*५—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्ष १९६१–६२, में प्रचलित नियमानुसार बरेली की जिला अपराध निरोध समिति द्वारा वहां के अवैतनिक जेल निरीक्षकों (जेल विजिटर्स) का चुनाव किया गया था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां।

*६—श्री हरीशकुमार गंगवार—यदि हां, तो उन चुने हुये व्यक्तियों में कौन-कौन अवैतनिक जेल निरीक्षक बनाये गये और कौन-कौन सरकार द्वारा अलग से नामजद कर दिये गये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९८१ पर)

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या यह सही है कि अभी तक जो अवैतनिक जेल निरीक्षक का चुनाव किया जाता था वह जिला अपराध निरोध समिति में जो चुने हुये सदस्य होते थे, उनमें से उनका सेलेक्शन किया जाता था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां। सरकार को यह अधिकार था कि उसमें चाहे तो कुछ संशोधन या परिवर्द्धन कर सकती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि जिनके द्वारा नियमों को भंग कर के अपने अधिकार को प्रयोग में लाने की उसे आवश्यकता पड़ी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, नियम कहीं भंग नहीं हुए। नियमों के अनुसार ही सरकार कार्य करती है। जो अपराध निरोधक समितियां हैं उनको तो परामर्श देने का अधिकार है। निर्णय करने का अधिकार सरकार का है जो उस अधिकार के अधीन नियमों के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है।

श्री नरसिंहनारायण—क्या जेल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनकी नियुक्तियां की गयी हैं, वे खासतौर से एक पार्टी से संबंध रखते हैं इसलिये उनकी नियुक्तियां की गयी हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—नामों के साथ में कहीं किसी पार्टी का संबंध नहीं है न कहीं पार्टी का नाम लिखा हुआ है।

वाराणसी नगर महापालिका की चुंगी व्यवस्था में परिवर्तन

*७—श्री ऊदल—क्या सरकार वाराणसी नगरमहापालिका की उस चुंगी व्यवस्था को जो वजन पर आधारित न होकर कीमतों के आधार पर है उसे इलाहाबाद की जो चुंगी की व्यवस्था है उसके आधार पर चुंगी लेने के लिये नगरमहापालिका वाराणसी को आदेश देगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इस समय वाराणसी नगरमहापालिका में जो चुंगी प्रथा लागू है, उसमें चुंगी की दरें वजन तथा कीमत दोनों पर आधारित हैं। उस प्रथा में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये महापालिका को स्वयं निर्णय लेना है। यदि महापालिका से इस प्रकार का प्रस्ताव शासन को प्राप्त होगा तो उस पर विचार किया जायगा।

*८—श्री ऊदल—क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार करेगी कि ऐसी दशा में क्या सरकार, जो घाटा नगरमहापालिका को चुंगी में इलाहाबाद की प्रथा लागू करने में होगा उसे सरकार अनुदान के रूप में देने पर विचार करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—यदि वाराणसी नगरमहापालिका इलाहाबाद की चुंगी प्रथा लागू करना निश्चित करती है तो यह जरूरी नहीं है कि उसे घाटा ही हो। तथापि किसी घाटे के होने की सूरत में सरकार के लिये उस घाटे को पूरा करने के लिये अनुदान देना सम्भव न होगा।

श्री ऊदल—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नगरमहापालिका वाराणसी के अन्दर कीमत बढ़ जाने की वजह से वहां के रोजगार पर काफी बुरा असर इसका पड़ा है ? यदि हां तो क्या सरकार बतायेगी कि वह इसको दूर करने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह प्रश्न तो महापालिका से ताल्लुक रखता है। सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

श्री ऊदल—जिस प्रकार की व्यवस्था इलाहाबाद में है और जिसे सरकार ने कायम किया है नगरमहापालिका बनने से पहले, क्या सरकार उस तरह की व्यवस्था वाराणसी में कायम करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार उसे अनुचित समझती है, उस काम में वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

पुलिस विभाग के वेतन स्केल का जेल विभाग में लागू न किया जाना

*९—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहली जनवरी, सन् १९६२ से जो वेतन स्केल पुलिस विभाग में लागू किया गया है क्या वह जेल विभाग में भी लागू हो गया है यदि हां, तो कब से, नहीं तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं। पुलिस विभाग के आदेश जेल विभाग में लागू नहीं होते। ये दोनों विभाग अलग-अलग हैं।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जनवरी, १९६२ से जो वेतन का स्केल हर विभाग के कर्मचारियों का बढ़ाया गया है वह जेल विभाग के कर्मचारियों का बढ़ा है या नहीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, १९६२ की कोई सूचना नहीं है। १९४७ में वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो वेतन-क्रम बढ़ाया गया था वह जेल विभाग में भी है और उसके अतिरिक्त कोई और वेतन नहीं बढ़ाया गया है और न उन के लिये कोई विचार ही है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर पुन: विचार करेंगे कि सरकार ने जनवरी से पुलिस विभाग तथा और विभागों का वेतन बढ़ा दिया है, ५ रुपये प्रतिमास के हिसाब से ? यदि हां तो सरकार इस पर विचार करके उन जेल कर्मचारियों का भी वेतन बढाने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—माननीय ऊदल जी, जो उन्होंने कहा वह यह है कि पुलिस विभाग से और इससे कोई संबंध नहीं है। पुलिस विभाग में तो अगर कोई वृद्धि हुई है तो वह पुलिस कमीशन के कारण हुई है।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि कुछ वर्ष पहले जेल विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारियों का वेतन एक ही था और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष जो पुलिस विभाग में वेतन की बढ़ोत्तरी पुलिस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर हुई है वह जेल विभाग में भी लागू की जायगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन् अभी आपने संकेत किया कि पुलिस विभाग में तो आयोग की सिफारिशों पर ऐसा किया गया है। जेल विभाग में ऐसा कोई आयोग अभी नहीं बना, जिसकी बात पर विचार किया जा सके।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जेल विभाग के कर्मचारियों का नेचर आफ वर्क तथा अन्य सारी बातें वही हैं, जेल विभाग के लिये भी कोई आयोग बिठाने की कृपा करेंगे जो उनके वेतन में वृद्धि आदि की बात करे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी ऐसा कोई खयाल नहीं है।

प्रदेश से अनाज का आयात नियति

*१०—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५१ से सन् १९६० तक प्रतिवर्ष कितने मन और कितने रुपये का अनाज (गेहूं, चना, चावल, धान, ज्वार, मक्का, जवा, मटर, अरहर, मसूर तिल्ली, लाही सरसों, अलसी) प्रदेश के बाहर से उसे मंगाना पड़ा ?

रसद उप मन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—सन् १९५५-५६ से सन् १९५९-६० तक जो जो अनाज राज्य सरकार को बाहर से मंगाना पड़ा, उनकी एक तालिका मूल्य सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९८२ पर)

*११—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड डिवीजन के झांसी ,जालौन हमीरपुर ,बांदा जिलों से उक्त अनाज कितने मन कितने रुपयों का प्रदेश के अन्य जिलों को और प्रदेश के बाहर उक्त अवधि में भेजा गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न से माननीय सदस्य का तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवसायियों द्वारा बुन्देलखंड डिवीजन के झांसी, जालौन, हमीरपुर तथा बांदा जिलों से प्रश्न १० में अंकित अन्न प्रदेश के अन्य जिलों तथा प्रदेश के बाहर कितने मनों तथा कितने रुपयों का पूर्व प्रश्न में बताये समय के अन्दर भेजा गया है। उक्त जिलों के समस्त व्यवसायियों के बहीखातों से सूचना एकत्रित करने पर सही आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे, इसमें सन्देह है और साथ साथ जितना समय तथा परिश्रम इसमें लगेगा वह प्रश्न के उत्तर देने से सम्भावित लाभ की तुलना में कहीं अधिक होगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६-५७ में ९ करोड़ ८२ हजार, १९५७-५८ में ९ करोड़ ८४ हजार, १९५८-५९ में २२ करोड़ ५९ हजार और १९५९-६० में ११ करोड़ रुपये का गल्ला जो मंगाया गया, उसमें १९५८-५९ में २२ करोड़ का गल्ला बाहर से क्यों मंगाना पड़ा ?

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—उस वर्ष यहां पर गेंहूं का भाव बड़ा तेज था और लगभग २८, ३० रुपये मन पर चल रहा था और गांव वाले ला नहीं रहे थे मंडियों में गेहूं को, इसलिये बाहरी अनाज से उसकी पूर्ति करनी पड़ी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सभी वर्षों में प्रति वर्ष गल्ला वजन में भी अधिक मंगाया गया है तो क्या अधिक गल्ला इसलिये मंगाया गया कि गल्ले की पैदावार प्रदेश में कम हुई थीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हमारे प्रदेश में लगभग मार्केटेबिल सरप्लस ३,४ लाख के करीब होता है और हमको जरूरत पड़ती है ९,१० लाख के करीब, इसलिये इस दृष्टिकोण से उतनी कमी अवश्य है।

श्री भीखालाल--१९५५ से ६० तक जो गल्ला बाहर से मंगाना पड़ा, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसके बेचने के बाद सरकार को कितना लाभ या हानि हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वैसे तो ठीक-ठीक जानने के लिये सूचना की आवश्यकता होगी, लेकिन सरकार की स्कीम न तो मुनाफा करने की है और न नुकसान उठाने की ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बुन्देलखंड के चारों जिलों से करोड़ों रुपयों का गल्ला प्रदेश के बाहर गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--श्रीमन् अब चावल व धान के अतिरिक्त किसी गल्ले के लाने या ले जाने पर प्रतिबन्ध नहीं है । तो यह कहना कि कितना माल बाहर जाता है या नहीं, यह पता नहीं चल सकता ।

गाजियाबाद की नगरपालिका की सीमा के भीतर की भूमि के विकास तथा विक्रय का अधिकार सम्बन्धित भूमि पतियों को दिया जाना

*१२--**श्री तेजसिंह** (जिला मेरठ)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में गाजियाबाद की निजी भूमि विकास समिति की ओर से सेठ जैप्रकाश ने इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र दिया है कि नगरपालिका की सीमा के अन्दर की भूमि मास्टर प्लान के लिये अर्जित न की जाय और land lords को स्वयं ही विकास करके उनको बेचने का अधिकार दिया जाय ? यदि हां तो, इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है और क्या यह सुविधा नगरपालिका की सीमा के बाहर के मास्टर प्लान से प्रभावित गरीब किसानों को भी देने को तैयार है ? अगर नहीं ,तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--जी हां, निजी भूमिविकास समिति की ओर से इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है, परन्तु यह मामला अभी शासन के विचाराधीन है और ऐसी स्थिति में प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर देने का सवाल नहीं उठता ।

श्री तेजसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां की हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी ने यह मांग की है कि उनको अपनी जमीन को खुद डेवलप करने दिया जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--जी हां, आई है ।

श्री तेजसिंह--क्या सरकार के पास ऐसी भी शिकायतें आई है कि जिन कालोनाइजर्स को पहले अपनी जमीन डेवलप करने की आज्ञा दे दी गयी थी वह डेवलप नहीं हुई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां ऐसी भी शिकायतें आई हैं ।

श्री तेज सिंह--क्या माननीय मंत्री जी इस आवश्यक प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि केवल जो बोर्ड के अन्दर जमीनें हैं उसी को सेठ लोगों को डेवलप करके बेचने आदि की आज्ञा दी जायेगी या इस प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं कि बोर्ड के बाहर की जमीनों को डेवलपमेन्ट करने के बाद किसानों को भी आज्ञा दी जायेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसमें सब आ जाते हैं, किसान भी आ जाते हैं । किसानों के खिलाफ हम कोई विचार रखते हों, ऐसी बात नहीं है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगले प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--अध्यक्ष महोदय, मेरा, प्रश्न संख्या १३ जो स्थगित है, इसको दिये हुये डेढ़ महीने के करीब हो गया । सरकार के पास वायरलेस स्टाफ है, अन्य सब साधन है फिर भी इसको टाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—मैं देख लूंगा ।

*१३—**श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी**—[६ वें सोमवार के लिए स्थगित किया गया ।]

अल्प आय वर्ग तथा किसानों को गृह निर्माण के लिये ऋण की व्यवस्था

*१४—**श्री कमला सिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि लोअर ग्रेड के कर्मचारियों को जमीन खरीदने के लिये हाउसिंग कमेटियों द्वारा कोई सहायता देने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी नहीं,किन्तु अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना (Low Income Group Housing Scheme) के अन्तर्गत ऋण लेने वालों को भूमि खरीदने के लिये २,००० रु० तक का ऋण स्वीकृत करने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

*१५—**श्री कमला सिंह यादव**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किसानों को मकान बनाने के लिये ऋण देने की कोई योजना है ? यदि हां,तो क्या ? और नहीं , तो क्यों नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी नहीं । क्योंकि भारत सरकार ने ग्रामीण गृह निर्माण की एक योजना चालू की है, जिसका लक्ष्य ग्रामों का विकास तथा ग्रामीण गृह समस्या को सुलझाना है । इस योजना से केवल कृषक ही नहीं बल्कि वे सभी ग्रामीण इससे लाभ उठा सकते हैं जो पूरी बस्ती का पुनः निर्माण कराना चाहें । राज्य सरकार ने इस योजना को इस प्रदेश में १९५८ से चलाया है ।

श्री कमला सिंह यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रुप का डिवीजन किस आधार पर किया गया है और हर ग्रुप को क्या क्या मदद मिलती है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इसमें ग्रुप का सवाल नहीं है । मैंने तो उत्तर में अल्प आय वर्ग वालों के लिये कहा है ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक योजना जो पूरी बस्ती बसाने के संबंध में है, उसमें व्यक्तिगत लोग जो मकान बनाना चाहेंगे क्या सरकार का उनको भी ऋण देने का विचार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री कमला सिंह यादव—क्या यह सही है कि सरकार ने ५ महापालिकाओं को बरी कर दिया है कि वह प्लानर्स से अपना नकशा मंजूर करा लें तो डी, और सी, क्लास की जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनको भी सरकार बरी करने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसा विचार नहीं है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री भूतपूर्व स्वायत्तशासन मंत्री के उस आश्वासन को देखेंगे, जिसको उन्होंने इसी सदन में दिया था कि सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि जो योजना है पूरी बस्ती बनाने की उसके अनुसार व्यक्तिगत लोगों को भी दिया जायगा या नहीं दिया जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर इसकी बाबत कोई विचार होगा तो तय करवा देंगे ।

*१६—**श्री रामसुन्दर** (जिला आजमगढ़), **श्री दौलत लाल** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री मंगल देव** (जिला आजमगढ)—[६ वें सोमवार के लिये प्रश्न २४ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

मऊनाथ भंजन आदि नगरपालिकाओं में पीने के पानी की व्यवस्था

*१७—**श्री रामसुन्दर, श्री दौलतलाल तथा श्री मंगल देव**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथ भंजन नगरपालिका एवं मुबारकपुर, मुहम्मदाबाद, कोपागंज, अतरौलिया, फूलपुर ,सरायमीर, निजामाबाद तथा अमिला टाउन एरिया में पानी पीने की व्यवस्था करने के लिये सरकार की ओर से कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इस समय केवल मऊनाथ भंजन नगरपालिका में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये एक योजना चल रही है ।

श्री रामसुन्दर—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन स्थानों में जल-कल योजना कब लागू होगी, क्या उनके विचाराधीन योजना है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इन टाउन एरियाओं से कोई योजना संबंधी प्रतिवेदन नहीं आया । आयेगा तो विचार किया जायगा ।

पचपन वर्ष पर रिटायरमेंट वय सीमा का स्वायत शासन के कर्मचारियों पर लागू न होना

*१८—**श्री अहमद बख्श** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या यह सही है कि ५८ वर्ष से घटाकर ५५ वर्ष जो रिटायरमेंट की वय सीमा राज्य कर्मचारियों की की गई है वह स्वायत्त शासन के अधीनस्थ कर्मचारियों पर भी लागू है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी नहीं ।

श्री अहमद बख्श—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में ज्यादा इनर्जी और एफिश्यंसी होती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह प्रश्न तो उठा नहीं और न सरकार ने इस पर बैठकर विचार किया है ।

श्री अहमद बख्श—उन पर जो ५५ साला लागू नहीं होता, इसका क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—खास तौर से यह है कि दोनों की सेवाओं के नियम और सुविधाएं बिलकुल अलग-अलग हैं ।

प्रदेशीय नगरपालिकाओं के चुनाव के साथ सहारनपुर नगरपालिका का चुनाव न होना

*१९—**श्री ब्रह्मदत्त मायर** (जिला सहारनपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश के अन्दर नगरपालिकाओं के चुनाव कब कराने का विचार कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—अभी प्रश्न विचाराधीन है ।

*२०—**श्री ब्रह्मदत्त मायर**—क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगरपालिका के चुनाव भी प्रान्त में दूसरे स्थानों के चुनाव के साथ ही होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—नगरपालिका, सहारनपुर की चार वर्ष की निर्धारित वैधानिक अवधि फरवरी, १९६३ में समाप्त होगी । उसी के अनुरूप वहां आम चुनाव हो सकेगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष जिन नगरपालिकाओं का चार साल का टर्म पूरा हो गया, उनका इलेक्शन १ साल के लिये और पोस्टपोन कर दिया गया, वह क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---क्यों कि वह जनरल इलेक्शन के साथ कनफ्लिक्ट करता था, इसलिये पोस्टपोन कर दिया गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---हाल ही में देहरादून से मन्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि आम चनाव म्युनिसिपैलिटीज के अक्तूबर या नवम्बर में करा लिये जायंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैंने इसी आदरणीय सदन में कहा था कि अक्तूबर नवम्बर तक चुनाव करा लें।

श्री चन्द्रजीत---प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, तो मैं यह निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि क्या आज सदन में मन्त्री जी यह घोषणा करेंगे कि आगामी अक्तूबर में ये चुनाव कराये जायेंगे प्रदेश में ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---श्रीमन्, मैंने तो जिस दिन मेरा बजट था उसी दिन कहा था सरकार का ऐसा विचार है, लेकिन विचार ही तो है।

महापालिकाओं के कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी नियमावली

*२१---**श्री नाथूराम शिक्षक** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगरमहापालिकाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा स्थायीकरण सम्बन्धी नियमों को बनाने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---शासन द्वारा महापालिकाओं के कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी नियमावली बनाई जा रही है। इसके प्रारूप को आपत्ति एवं सुझाव के लिये प्रकाशित किया जा चुका है और अब उसे उसके सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर विचार करने के पश्चात् अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

श्री नाथूराम शिक्षक---यह किस तिथि के गजट में प्रकाशित हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सूचना की आवश्यकता होगी।

*२२---**श्री नरसिंहनारायण**---[६वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

नगरपालिका बांदा की दशा सुधारने के लिये आर्थिक सहायता

*२३---**श्री बृजमोहन लाल गुप्त** (जिला बांदा)---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा शहर की नालियों की हालत बहुत ही खराब है ? यदि हां, तो सरकार उनको सुधारने के लिये नगरपालिका बांदा की क्या सहायता करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जी हां, बांदा नगरपालिका की नालियों की दशा खराब अवश्य है, परन्तु इसका सुधार तभी हो सकता है जब इस नगर की जल निकासी प्रणाली (Drainage system) ठीक कर दी जाय। इस सम्बन्ध में नगरपालिका की प्रार्थना पर मुख्य अभियन्ता स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा जल निकासी योजना बनाई जा रही है और भारत सरकार से इसकी स्वीकृति (Technical approval) प्राप्त होने पर नगरपालिका को ऋण देने के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

श्री बृज मोहन लाल गुप्त---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हमारे यहां जल योजना तो करीब-करीब समाप्त होने जा रही है, इसलिये ड्रेनेज योजना का शुरू होना आवश्यक है तो उसमें सरकार क्या मदद देने जा रही है, सरकार की क्या योजना है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न तो स्पष्ट हुआ नहीं। योजना बनी है, यह माननीय सदस्य स्वयं कहते हैं। अब इसके लिये और कौन सी योजना होगी? योजना बनी है तो वह कार्यान्वित होगी।

श्री बृजमोहन लाल गुप्त—ड्रेनेज स्कीम का सर्वे कराने के लिये रुपया जमा हो चुका है तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सर्वे कराने में क्या देरी है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कोई अनुचित देर नहीं की जायगी, जल्दी से जल्दी कराई जायगी।

चीनी का मूल्य

*२४—**श्री नरसिंहनारायण**—क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी का एफ० ओ० आर० दाम केन्द्रीय सरकार ने क्या तय किया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—केन्द्रीय सरकार ने चीनी का एफ०ओ० आर० मूल्य निर्धारित नहीं किया है।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी बतायेंगे कि ३७ रु० ८५ नये पैसे जो सरकार ने तय किये हैं, वह कौन सी प्राइस है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—पिछले साल २८ सितम्बर, १९६१ को जब चीनी पर से कन्ट्रोल उठा दिया गया था, उसके बाद एफ० ओ० आर० प्राइस भी खत्म हो गयी। इसलिये जो आप कह रहे हैं वह एक्स-फैक्ट्री प्राइस होगी।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि एफ० ओ० आर० फैक्ट्री प्राइस में क्या फर्क है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—डेस्टीनेशन तक रेलवे किराया देने के बाद जो प्राइस रखी जाती है वह एफ० ओ० आर० होता है। एक्स-फैक्ट्री प्राइस में उसे किराये में पहले जोड़ दिया करते थे, अब नहीं जुड़ता है।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि मिल मालिकान जो चीनी देते हैं, उसकी कीमत गेट पर क्या है और बाजारों में बाहर क्या है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—चूंकि अब नियन्त्रण नहीं है, इसलिये हमारे पास कोई फीगर्स नहीं हैं।

सस्ते गल्ले की दुकानों पर ढुलाई का बाकी रुपया तथा कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर देवरिया का बकाया रुपया

*२५—**श्री चन्द्रबली** (जिला देवरिया)—क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें हैं और सप्लाई विभाग देवरिया पर उनका गल्ले की ढुलाई का कितना-कितना पया १९५७ से अब तक बाकी है और क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इस समय जिला देवरिया में लगभग २५० सस्ते गल्ले की दुकानें चल रही हैं।

चूंकि ढुलाई के बिल जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में अभी प्राप्त नहीं हुई, ठीक धनराशि नहीं बताई जा सकती। फिर भी गल्ला वितरण के आधार पर अनुमानतः ५०,००० रु० गल्ले की ढुलाई दुकानदारों को देना बाकी है।

*२६—**श्री चन्द्रबली**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, देवरिया का कितना रुपया बाकी है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रबन्धक कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर देवरिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उस स्टोर का १,९१९ रुपये और ४८ नया पैसा अभी तक सम्बन्धित बिल प्राप्त न होने के कारण बाकी है।

*२७—**श्री चन्द्रबली**—कन्ज्यूमर्स स्टोर की ओर से अपनी रकम के लिये कितने पत्र लिखे गये हैं और उन पत्रों का कोई उत्तर न देने का क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सेक्रेटरी कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर ने कई पत्र उक्त रकम के भुगतान के विषय में लिखे जिनका उत्तर जिला पूर्ति अधिकारी देवरिया द्वारा यथा समय पर दिया जा चुका है।

श्री चन्द्रबली—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५०,००० पये कब से कब तक के बाकी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सन् ५७ से अब तक का उन्होंने जो पूछा है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि दूकानदारों ने और कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी वालों ने ढुलाई के बिल जिला पूर्ति कार्यालय में दे दिये हैं लेकिन अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिला सप्लाई अफसर ने २२-४-६१, १-४-६२, ८-५-६२ और २१-५-६२ को, इतने पत्र लिखे हैं कि बिल भेजो और नहीं भेजते हैं।

*२८—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—[६वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२९-३१—**श्री लखपतराम शर्मा**—[७वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

कुमायूं फारेस्ट कमेटी की स्थापना तथा उसकी अन्तिम बैठक

*३२—**श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर** (जिला गढ़वाल)—कुमायूं फारेस्ट कमेटी पहले पहल आजादी से पहले स्थापित हुई थी और सन् १९४७ से अब तक कितनी बैठक उस कमेटी की हो चुकी और आखिरी बैठक उस कमेटी की कब हुई ?

वन मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरिदत्त)—कुमायूं फारेस्ट कमेटी १९२५ में स्थापित हुई थी। सन् १९४७ से अब तक २२ बैठकें हुईं। इस कमेटी की आखिरी बैठक २० जुलाई, १९५९ को हुई थी।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर—यह कमेटी स्थगित क्यों की गई और वह फिर कब से चालू होगी ?

श्री हरिदत्त—यह कमेटी स्थगित नहीं हुई। २० जुलाई को अपना कार्यक्रम पूरा करके उठी थी। पुरानी कमेटी का समय खत्म होने पर नयी कमेटी बनेगी।

*३३-३४—**श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर**—[६वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३५—**श्री तेजसिंह**—[६वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

पूर्ति अधिकारी हरदोई का कार्यालय एवं निवास स्थान और उनका किराया

*३६—**श्री पंचम** (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जिला पूर्ति अधिकारी हरदोई का कार्यालय और रेजीडेंस जो जब से यह विभाग कायम हुआ है, अलग-अलग था इस वर्ष दोनों को एक क्यों किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--गतवर्ष चकबन्दी कार्यालय को स्थान देने के लिये जिला पूर्ति कार्यालय को पूर्व भवन से हटा कर पूर्ति अधिकारी के निवास-भवन में लाया गया।

कार्यालय के स्थानान्तरण का एक कारण पूर्व भवन में स्थान की कमी का होना भी था।

*३७--**श्री पंचम**--क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि इसका रेंट क्या है और इसमें कितना accommodation sq. ft. में कार्यालय के लिये है कितना रेजीडेंस के लिये है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इस भवन का कुल किराया ४० रुपये मासिक है। कार्यालय के लिये स्थान १,१३८ वर्ग फीट है और निवास के लिये १,५२५ वर्ग फीट। कार्यालय के भाग का किराया १६ रुपये ९७ नये पैसे मासिक है और निवास-भाग का किराया २३ रुपये ३ नये पैसे मासिक।

श्री मोहनलाल (जिला हरदोई)--क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय के लिये कितना स्थान था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--९३६ वर्ग फीट।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान में नियम २७४ (क) की तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--उसे मैं ले लूंगा, लेकिन अभी नहीं।

*३८--**श्री पंचम**--[हटा दिया गया।]

हरदोई जिले में 'ए' और 'बी' क्लास के भट्ठे तथा उनको कोयले का वितरण

*३९--**श्री मोहनलाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में "A" class तथा "B" class में कितने ईंट के भट्ठे वाले तथा उनके क्या नाम हैं ?

*४०--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले के ईंट के फूंकने के लिये सितम्बर, १९६१ से फरवरी, १९६२ तक "A" class के भट्ठे वालों को अलग-अलग प्रत्येक भट्ठे वाले को तथा "B" class के भट्ठे वालों को अलग-अलग कितने-कितने वैगन ईंट फूंकने के लिये कोयला दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९८३ पर।)

नगरपालिका कन्नौज के अध्यक्ष, द्वारा नौकरी से पृथक् किये गये कर्मचारी तथा उनकी अपीलें

*४१--**श्री होरीलाल यादव** (जिला इटावा)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले की नगरपालिका कन्नौज के कितने और किस कर्मचारी ने नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा नौकरी से अलहदा किये जाने के विरुद्ध सरकार में १ जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९६२ तक अपीलें की और उनका क्या फैसला हुआ ?

नोट--तारांकित प्रश्न ४० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—१ जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९६२ तक शासन को नगरपालिका कन्नौज के तीन कर्मचारियों—सर्वश्री सईदुल्ला हक, पुखई तथा एस० एम० वसी ने अध्यक्ष द्वारा उन्हें नौकरी से प्रथक किये जाने के सम्बन्ध में अ ीलें की।

श्री सईदुल हक की अपील के मामले में शासन ने हस्तक्षेप न करने का निर्णय किया।

श्री पुखई के मामले में शासन ने नगरपालिका को उनको पुनः नियुक्ति (re-instate) करने का परामर्श दिया।

श्री एस० एम० वसी की अपील को शासन ने स्वीकार किया और पुनः नियुक्ति (re-instate) किये जाने के आदेश दिए।

*४२—**श्री होरीलाल यादव**—क्या यह बात सही है कि उपरोक्त नगरपालिका के कर्मचारियों की अपील सरकार द्वारा स्वीकार हो जाने पर अध्यक्ष ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की और उन रिट पिटीशनों के खारिज हो जाने पर भी उन कर्मचारियों को जगहें नहीं दी गईं ? यदि हां, तो सरकार उन कर्मचारियों को जगह दिलाने में क्या सहायता कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—केवल एस० एम० बसी की अपील को शासन द्वारा स्वीकार करने के संबंध में अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की जो खारिज हो गई है। अध्यक्ष नगरपालिका को श्री बसी की पुनः नियुक्ति करने के लिये परामर्श दिया जा रहा है।

*४३—**श्री रघुवीर सहाय** (जिला फतेहपुर)—[१ जून, १९६२ के लिये प्रश्न ८५ क अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*४४–४६—**श्री विजयसिंह** (जिला जालौन)—[६ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४७–४८—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—[हटा दिये गये।]

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अस्थायी नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन*

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्र ेश बिक्री-कर (अस्थायी) नियम, १९४८ ई०, में वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्रीकर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० २७६०/१०–९०० (एस)–५२, दिनांक १५ जुलाई, १९६१, तथा विज्ञप्ति संख्या एस० टी०–१७४०/१०–९४८ (५) ६०, दिनांक १ सितम्बर, १९६१ ई० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८, की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार दिनांक १३ नवम्बर, १९६१ को सदन की मेज पर रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था ८ तारीख को। वह आज तक नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास तो नहीं है। आप कृपा करके मेरे कमरे में आ जाइये। मैं कागज मंगवाकर देख लूंगा।

---

*छापे नहीं गये।

श्री उमाशंकर—मैं आपके चेम्बर में जाता हूं तो आप मिलते नहीं हैं, माफ कीजिये। हम आप से कब मिले ? आपने कहा था कि अल्पसूचित प्रश्न ३ दिन में आवेगा ।

श्री अध्यक्ष—हो सकता है कि प्रश्न को मंत्री जी ने अस्वीकार कर दिया हो, या आपका प्रश्न नियम के अनुकूल न हो । बगैर देखे मैं कुछ भी नहीं बता सकता ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, खतौली शुगर फैक्ट्री, जिला मुजफ्फरनगर, के बारे में कई बार नियम ५२ का नोटिस दिया गया । आपने मेरा नाम लेकर घोषणा की कि उनसे मैंने कह दिया था कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें । मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिये । मुझे जो सूचना है उसके अनुसार यह बात है कि वे स्वीकार किये गये । लेकिन आज सदन उठ रहा है और अभी तक मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं हो सकी । तो आपके द्वारा कहे हुए की भी सरकार की ओर से अवहेलना की जाय, हम सदस्यगण क्या करें ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसे देख लूंगा । अगर मैंने कहा था तो जरूर देखूंगा ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—व्यवस्था का प्रश्न तभी होता है जब कि कोई विजिनेस हो रहा हो ।

श्री कल्पनार्थसिंह—अगर आप मंत्री जी से कोई वक्तव्य दिला दें तो बड़ी कृपा हो ।

श्री अध्यक्ष—श्री रामसुन्दर जी का आज सुबह करीब १०–१५ बजे मेरे पास आया, उसे मैंने अभी देखा नहीं है ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—वह ठीक १० बजे हमने सचिव को दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन मैंने उसे अभी देखा नहीं है । देखकर कुछ करूंगा ।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि मैंने अलीगढ़ के ड्रेनेज के बारे में कुछ प्रश्न अप्रैल में पूछे थे और अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है । वे स्थगित कर दिये गये । मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब सदन उठ जायगी और बरसात शुरू हो जायगी तो मेरे प्रश्न व्यर्थ हो जावेंगे ।

श्री अध्यक्ष—वह मंत्री जी के पास भेजा है । अगर वह जवाब देंगे तो आ जायगा । और मैं क्या कर सकता हूं ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव नरसिंह नारायण जी का है और गयाप्रसाद जी का है । दोनों एक ही प्रश्न से संबंधित हैं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री गंगाराम जी का २१–५–६२ को कत्ल हो गया, रात्रि में । उस सम्बन्ध में दोनों माननीय सदस्य ने सूचनायें दी हैं । मेरा विचार है कि कार्य-स्थगन का यह विषय नहीं है । जरूर मर गये. . . .

अनेक सदस्य—मर नहीं गये । मारे गये ?

श्री अध्यक्ष—हां, बेचारे मारे गये, या कत्ल किये गये, यह बड़े अफसोस की बात है । ये सूचनायें मंत्री जी के पास भेज दूंगा कि उसके बारे में वे यथाशक्ति और शीघ्र कार्यवाही करें ।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---अध्यापकों के बारे में शिक्षा मंत्री जी द्वारा घोषणा की बात थी । आज सदन का अंतिम दिन है. . . .

श्री अध्यक्ष---सदन में कहा जा चुका है कि माननीय शिक्षा मंत्री उस पर बयान देंगे ।

श्री गयाप्रसाद---बयान देने को तो ९ तारीख को भी कहा गया ।

श्री अध्यक्ष---सभा सचिव ने कहा कि आज बयान दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल तो यह है कि आप कार्यवाही पर ध्यान नहीं देते हैं ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---मेरा निवेदन है कि सोशलिस्ट पार्टी की आल इंडिया कानफ्रेंस गोरखपुर में हो रही है और आपने कहा था कि आप उसके बारे में कुछ कहेंगे ।

श्री अध्यक्ष---अफसोस इस बात का है कि माननीय सदस्यों को धैर्य नहीं है मैंने कहा था कि कार्यवाही समाप्त हो जाय और आपकी बात न हो, तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं । मुश्किल तो यह है कि आप स्वयं काम नहीं करने दे रहे हैं और शिकायत करते हैं कि काम नहीं हो रहा है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---जिला सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री जी की जो हत्या की गई, उसके बारे में अगर मंत्री जी के पास कोई सूचना इस समय हो, गृह मंत्री जी के पास, तो वह सदन को देने की कृपा करें । वह दिलवा दें ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---अब नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास कई सूचनायें हैं । एक तो माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी की है और दूसरी माननीय कमलासिंह जी की है । दोनों का विषय समान सा ही है, करीब-करीब । उसमें उन्होंने यह कहा है कि पीड़ित जनता संघ, गढ़वाल के तत्वावधान में ६ व्यक्तियों ने आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया है और अनशन वन विभाग द्वारा भूमिहीनों पर अत्याचार तथा भूमि का गलत तरीके से उपयोग किये जाने के विरोध में है ।

यही भाव माननीय कमलासिंह का है---गलत तरीके पर इस्तेमाल हो रहा है ।

तो एक तो अनिश्चित तथ्य है कि गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है । क्या मतलब है इसका । और दूसरी बात यह है कि कानून के अन्तर्गत जो भूमि है, वह दी जा सकती है, अगर वहां गांव सभायें हैं तो गांव सभाओं के द्वारा, या जो भी वहां के नियम हैं उनके द्वारा । तीसरी बात मुझे निवेदन करनी है कि इस सदन में और लोक सभा में यह निश्चित रूप से तय हो चुका है कि भूख हड़ताल कोई विषय ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर वक्तव्य यहां मांगा जा सके । इसलिये मैंने इसको अस्वीकृत किया है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---भूख हड़ताल पर थोड़े ही हमने मांगा है । हमने तो वन विभाग की ज्यादतियों के संबंध में वक्तव्य की मांग की है ।

श्री अध्यक्ष---आपने यह नहीं लिखा है कि क्या गलत तरीका है, क्या आरोप सरकार पर आप लगाते हैं ? सरकार क्या जवाब देगी ? सरकार से मैं क्या पूंछू कि आप क्या काम अनियमित रूप से कर रहे हैं ? वह कहेंगे कि नहीं नियमित रूप से सब कर रहे हैं । तो जब तक कि स्पैसिफिक कोई चीज न हो तब तक मैं वक्तव्य नहीं मांग सकता हूं ।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मुझे करना है । शनिवार को एक प्रश्न को दफा ५० में आज के लिये लेने को आपने कहा था । वह आज की कार्यसूची में नहीं है । तो वह कब लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—आप तो एक समिति के सभापति हैं और फिर भी बीच में बोल रहे हैं । अभी मेरे पास दो सूचनायें और हैं। उनको समाप्त कर लूं, तब आप जो पूछेंगे उसका जवाब दे दूंगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान, जो अभी आपने एक व्यवस्था दी, उस पर खींचना चाहता हूं । भूख हड़ताल के संबंध में जो अभी आपने कहा कि पार्लियामेंट में और यहां कोई ऐसा रिवाज या कोई ऐसा निर्णय हो गया है कि जिसके अनुसार किसी भूख हड़ताल के संबंध में कोई चर्चा नहीं उठाई जा सकती, तो श्रीमन्, मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा क्या कोई कानून बना है या कौन-सी ऐसी बात हुई है जिसके अनुसार भूख हड़ताल पर चर्चा नहीं हो सकती और क्या यह बात सही है कि मोरार जी भाई ने, जो महाराष्ट्र के चुनाव में हार जाने के बाद भूख हड़ताल की थी उसको देखते हुये यह निर्णय करना पड़ा है कि इस प्रकार के लोग भी भूख हड़ताल कर सकते हैं और तब इस पर माननीय स्पीकर साहबान का ध्यान गया है ? मैंने यह कोई मजाक के लिये नहीं कहा । मैं यह कहना चाहता हूं कि भूख हड़ताल ऐसा हथियार है कि जिस हथियार को अपनाने में, यह बात ठीक है कि संयम जितना अधिक से अधिक बरता जा सके बरता जाना चाहिये, परन्तु इस हथियार को एकदम से डिस्कार्ड कर देना, मैं समझता हूं कि यह वाजिब बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—मैं निवेदन कर दूं । मुझे तो मालूम नहीं कि मोरार जी देसाई ने कब किया था । लेकिन इस सदन के सन् १९५८–५९ के जो कम्पाइलेशंस मैंने देखे हैं, उसमें भी यह है, कौंसिल में भी यह है और लोक सभा के सन् ५१–५७ तक के संकलन में भी यह कहा गया है कि भूख हड़ताल एक स्वयं व्यक्तिगत स्व आरोपित कार्य है जिसके संबंध में लोक महत्व का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । (व्यवधान) में व्यवस्था दे रहा हूं । और इसी वजह से सब जगह, लोक सभा में भी और हमारे यहां भी, यह निश्चित हो गया है कि कोई व्यक्ति भूख हड़ताल करके सदन में उस प्रश्न को लाये यह बात गलत है । उसका लोक महत्व होना चाहिये, एक निश्चित विषय होना चाहिये जिससे सरकार का संबंध होना चाहिये, मुझे सरकार से प्रश्न करने का मौका होना चाहिये और सरकार से प्रश्न करके जानकारी प्राप्त करने का सदन को अवसर होना चाहिये । प्रमुख चीजें यह होनी चाहिये । यह नहीं कि भूख हड़ताल हो रही है इसलिये कोई चीज चला दी जाय ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, इस संबंध में....

श्री अध्यक्ष—पहले मैं खत्म कर लूं उसके बाद ।

श्री नेकराम जी शर्मा का एक प्रश्न है कि न्याय पंचायतों के जो सरपंच चुने जाते हैं उनको चुनने के लिये एक सलाहकार समिति होती है उसके संबंध में माननीय नेकराम जी की आपत्ति यह है कि सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा नियमों में कुछ परिवर्तन कर लिये हैं । अब यह जो विज्ञप्ति द्वारा परिवर्तन कर लिये हैं, ये सदन की मेज पर रखे गये हैं । तो नियमों में जिस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है उसी प्रकार का तरीका सरकार ने अख्तियार किया है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, आप कदाचित् कुछ गलत समझ पाये । मेरा प्रश्न यह है कि न्याय पंचायतें बनने जा रही हैं उसमें सरकार ने ३ सदस्यों की एक ऐडवाइजरी कमेटी बनायी थी, जिसमें उस क्षेत्र के रहने वाले असेम्बली के मेंबर जिला अन्तरिम परिषद् के प्रेसीडेंट तथा जिलाधीश थे । लेकिन सरकार ने देखा कि उसमें सरकार का बहुमत नहीं होता है तो उन्होंने एक नये सदस्य को मनोनीत करने की घोषणा कर दी जो प्रजातंत्र कतई विरुद्ध है ।

श्री अध्यक्ष---वह नियम ऐसा है कि अगर आपकी सरकार बन जायगी तो वह आपके फायदे के लिये हो जायगा । अगर आपको नियमों में कोई परिवर्तन कराना है तो जो उसकी प्रक्रिया है उसके अनुसार आप कर सकते हैं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---श्रीमन्, सरपंच का तो चुनाव होता है ।

श्री अध्यक्ष---न्याय पंचायत के सरपंच का चुनाव नहीं होता, प्रधान का होता है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, उसका चुनाव होता है ।

श्री अध्यक्ष---होता होगा ।

माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने एक सूचना भेजी थी कि लखनऊ में चेचक की बीमारी फैल रही है । जिसमें मृत्युएं हो रही हैं । इसको मैंने नियम ५२ में तो स्वीकार नहीं किया है लेकिन उसको मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास भेज दिया है कि वे इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, लखनऊ में हैजा भी फैल रहा है ।

श्री अध्यक्ष---इसको भी उसमें जोड़ लिया जाय ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---श्रीमन्, नियम तो इस समय हमारे सामने है नहीं उनको कैसे सुधारा जाय ? चुनाव तो अब हो रहे हैं, इस समय उनको कैसे सुधारा जा सकता है ?

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, ऐसा कर दिया जाय कि न्याय पंचायत के सदस्यों के चुनाव में जनता को न्याय मिल जाय ।

श्री अध्यक्ष---आपतो विधान सभा के सदस्य हैं उस कानून को बदलिये जिसके द्वारा यह होता है ।

कुंवर श्रीपाल---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शनिवार को मेरा एक दफा ५२ में एक प्रश्न मंजूर हुआ था और आपने कहा था कि उस पर आधा घंटे का विवाद हो जायगा । लेकिन कार्य सूची में वह नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि वह कब आयेगा ।

श्री अध्यक्ष---उसके बारे में मैंने कहा था । माननीय उग्रसेन जी तथा अन्य सज्जनों ने भी उस संबंध में प्रश्न उठाये थे । इसलिये वह एक जनरल सबजेक्ट हो गया जो आज के एजेन्डे पर नंबर २० पर है ।

श्री उग्रसन---श्रीमन्, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने अपने नाम के लिये नहीं कहा था, मैंने श्री नरसिंहनारायण के नाम के लिये कहा था ।

(व्यवधान)

(श्री कल्पनाथसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं । श्री दीपनारायणसिंह कुछ कह रहे हैं ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---श्रीमन्, न्याय पंचायत के सरपंचों के संबंध में यह सरकार जनतांत्रिक चुनाव पद्धति को छोड़कर डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है और उसने अपने अधिकारियों को ही चुनने का अधिकार दिया है जो जनता के मौलिक प्रजातांत्रिक अधिकारों पर हमला है और जो फासिज्म की दिशा में एक कदम है । यह समाजवाद और जनतंत्र पर एक हमला है इसलिये इसका लोक महत्व बहुत बड़ा है । इस वास्ते इस पर बहस होनी चाहिये ।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, माननीय सदस्य किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप बैठ जायं ।

प्रदेश के सहायता प्राप्त प्राइवेट माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा

श्री अध्यक्ष—अब माननीय शिक्षा मंत्री महंगाई भत्ते के प्रश्न पर वक्तव्य देंगे ।

शिक्षा मन्त्री (आचार्य जुगलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि मैंने इस सम्मानित सदन में तारीख २५ मई, १९६२ को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह आश्वासन दिया था कि प्रस्तुत बजट अधिवेशन के समाप्त होने से पूर्व ही सहायता प्राप्त प्राइवेट माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग पर सरकार का निर्णय घोषित कर दूंगा । माननीय सदन को यह मालूम है कि इस समय सहायता प्राप्त प्राइवेट माध्यमिक विद्यालयों के समस्त ७० पये मासिक वेतन पाने वालों को १४ रुपये मासिक महंगाई भत्ता दिया जाता है, तथा ७० रुपये से १०० रुपये तक वेतन पाने वालों को ४ रुपये मासिक । १०० रुपये से ऊपर वेतन पाने वालों को महंगाई भत्ता देने की कोई दर निर्धारित नहीं है । महंगाई फीस की बचत बाकी अध्यापकों में बांट दी जाती है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न विद्यालयों में भिन्न-भिन्न दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है ।

अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि समस्त सहायता प्राप्त प्राइवेट जूनियर, हाई-स्कूलों, हायर सेकेन्डरी स्कूलों तथा इंटर कालेजों के ३५० पये तक मासिक वेतन पाने वाले सभी अध्यापकों, क्लर्कों तथा निम्न वर्ग के कर्मचारियों को २० रुपये मासिक की समान दर से महंगाई भत्ता दिया जाय । यह महंगाई भत्ता १ जुलाई, १९६२ से दिया जायगा ।

इस पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिये प्रस्तुत वित्तीय वर्ष के शेष ८ महीनों में सरकार को लगभग २८ लाख रुपये अपने पास से देने पड़ेंगे और बाकी कमी, महंगाई फीस की प्रस्तुत दरों को दूना करके पूरी की जायगी । इसलिये १ जुलाई, १९६२ से समस्त सहायता प्राप्त प्राइवेट माध्यमिक विद्यालयों में महंगाई फीस की दर इस प्रकार हो जायगी—

कक्षा ६—१२ आने मासिक,

कक्षा ७ से कक्षा १२ तक—१ रुपया मासिक ।

जिन विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस माफ होगी, उनकी महंगाई फीस भी माफ रहेगी ।

मैं आशा करता हूं कि महंगाई भत्ते की इस बढ़ोत्तरी से प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी वर्ग अपनी आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति पाकर शिक्षा कार्य में पूरा मन लगा सकेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, मैं इस पर प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न नहीं हो सकते इस पर ।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—मैं माननीय मंत्री जी से एक सूचना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—कोई नियम नहीं है कि किसी घोषणा पर प्रश्न हो । अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं तो लिखित प्रश्न होने पर जो प्रश्नों की प्रक्रिया है उसके अनुसार उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री रामायण—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह आप बाद में कर सकते हैं।

श्री रामायण—वक्तव्य अभी हुआ है और स्पष्टीकरण बाद में होगा ?

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें।

श्री रामायण—श्रीमन, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—"No questions are put on a statement made by a minister." यह लोकसभा के सन् ५१–५७ के जो संकलित आदेश हैं उन का हवाला है और हमारे यहां भी यही कायदा है इसलिये मैं इस पर कोई क्वेश्चन अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री रामायण—मैं प्रश्न नहीं, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरा सवाल उठाना चाहता हूं ....

श्री रामायण—सब से ज्यादा अहम प्राइमरी स्कूल टीचर्स का सवाल है और अपने वक्तव्य में मन्त्री जी ने उन का कोई जिक्र नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—श्री नरसिंहनारायण जी ने एक पत्र मेरे पास भेजा था और उस सम्बन्ध में मैंने माननीय मन्त्री जी से अपना वक्तव्य देने के लिये कहा था, वह मन्त्री जी कृपा करके देदें।

श्री रामायण—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—अब मैं मन्त्री जी को बुला चुका हूं।

श्री रामसुन्दर द्वारा विशेषाधिकार की मांग

श्री रामसुन्दर—माननीय मन्त्री जी ने जो अभी अपना बयान दिया है उस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं। आप देखेंगे कि हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम ५१ में कहा गया है कि प्रश्न जिन की सूचना सदस्यों ने दी हों और उनके उत्तर मन्त्री जी सदन में देना चाहते हों, वह तब तक प्रकाशनार्थ अखबारों में नहीं दिये जांयगे जब तक कि सदन में उन की घोषणा न हो जाय, लेकिन आज अखबारों में निकल गया है कि सरकार यह एलान करने जा रही है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी मैंने देखा नहीं है, मैं देख लूंगा तब इसपर व्यवस्था दूंगा।

श्री रामसुन्दर—श्रीमन्, सब अखबारों में वह निकला है।

महाराणा प्रताप इन्टर कालेज के भवन को सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन के लिए न दिया जाना

शिक्षा मन्त्री के सभा-सचिव (श्री अजीज इमाम)—अध्यक्ष महोदय, श्री नरसिंहनारायण सदस्य, विधान सभा ने यह सूचित किया है कि महाराणा प्रताप इन्टर कालेज, गोरखपुर की मैनेजिंग कमेटी ने जून, ११ से १५ तक गोरखपुर में होने वाले आल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी के विशेष सम्मेलन के लिये अपने भवन को प्रयोग करने की अनुमति दे दी थी और इसी के अनुसार सम्मेलन की पूरी तैयारी की जा रही है परन्तु जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी के किसी सदस्य से यह कहा कि अगर कालेज उक्त सम्मेलन के लिये दिया गया तो संस्था की ग्रांट बन्द कर दी जायगी। इस परिस्थिति में संस्था की मैनेजिंग कमेटी ने कालेज की बिल्डिंग न देने की सूचना सोशलिस्ट पार्टी को दे दी है।

और इसके कारण सम्मेलन के प्रबन्ध में गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है। प्रश्न यह उठाया गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने ऐसी धमकी क्यों दी और इस प्रकार की धमकी का दिया जाना कहां तक उचित था।

इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने इस सम्बन्ध में कोई धमकी नहीं दी और न तो उनकी मैनेजिंग कमेटी के किसी भी सदस्य से चर्चा हुई। अतएव यह आरोप निराधार प्रतीत होता है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि २७ तारीख को महाराणा प्रताप इंटर कालेज की मैनेजिंग कमेटी ने वाजाब्ता प्रस्ताव पास किया कि वहां ११ से १५ तक यह सम्मेलन हो सकता है। लेकिन उसके बाद मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि इस कालेज को नहीं दिया जा रहा है, क्या इस के बारे में मन्त्री जी ने कोई जांच कराई?

श्री अध्यक्ष—नहीं, न करायेंगे और न कराने की जरूरत है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मन्त्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे कि जब महाराणा प्रताप इंटर कालेज की कार्य समिति ने और उसके संरक्षक महन्त द्विग्विजयनाथ ने सोशलिस्ट पार्टी की स्वागत समिति को यह बताया कि इंस्पेक्टर ने यह धमकी दी है कि वह सरकारी ग्रांट को बन्द कर देंगे तो इस बारे में उन्होंने कार्य समिति से पूछा कि किस शख्स ने उनको धमकी दी थी?

श्री अध्यक्ष—यह पूछने की जरूरत नहीं है।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैंने अभी एक विशेषाधिकार का सवाल रखा था जिस पर आपने उत्तर दिया कि विचार करके निर्णय होगा। फिर अभी माननीय शिक्षा मन्त्री ने घोषणा की उसके सम्बन्ध में मैंने नियम ५१ का उद्धरण दिया और यह अखबार भी जिसमें निकाला हुआ है कि कल सदन में घोषणा होगी। तो नियम ५१ के अनुसार मन्त्री जी को यह नहीं करना चाहिये था घोषणा के पहले, मैं चाहता हूं इन दोनों के सम्बन्ध में अगर आप निर्णय आज शाम तक दे दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं आज देख लूंगा। यथाशक्ति दे सकूंगा तो दे दूंगा।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, निलम्बन का जो हमारा प्रस्ताव है वह बाद में होगा?

श्री अध्यक्ष—हां।

हाथरस, जिला अलीगढ़ में एन० के० क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स तथा बिजली काटन मिल्स में मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब श्रम मन्त्री अपना वक्तव्य देंगे।

श्रम मन्त्री के सभा-सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)—"१२ अप्रैल, १९६२ को सूती मिल मजदूर पंचायत, हाथरस ने बिजली काटन मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, हाथरस के मैनेजिंग डायरेक्टर को इस आशय का नोटिस दिया कि यदि नोटिस में दी गई ९ मांगें पूरी न की गई तो श्रमिक २७ अप्रैल, १९६२ से आम हड़ताल कर देंगे। उक्त मजदूर पंचायत ने

[श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ]

१३ अप्रैल, १९६२ को इस आशय का एक दूसरा नोटिस एन० के० क्लाथ ऐंड जनरल मिल्स हाथरस के प्रोप्राइटर को दिया कि यदि हड़ताल की उक्त नोटिस में दी गई १४ मांगें पूरी न की गईं तो उस कारखाने के श्रमिक २८ अप्रैल, १९६२ से हड़ताल कर देंगे। प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त आगरा ने दोनों पक्षों को बुलाया और उनसे उक्त मांगों के विषय में बातचीत की और साथ ही श्रमिक संघ को हड़ताल न करने की राय दी परन्तु कोई समझौता कराने में सफलता न हुई। बिजली काटन मिल के लगभग २,००० श्रमिकों और एन० के० क्लाथ मिल के लगभग ८०० श्रमिकों ने क्रमशः २७ और २८ अप्रैल, १९६२ से हड़ताल कर दी।

२४ मई, १९६२ से बिजली काटन मिल ने चन्द ५० श्रमिकों को लेकर, जिनमें हाथरस की अन्य मिलों के २८ श्रमिक भी सम्मिलित हैं कार्य आरम्भ किया। मिल में हड़ताल शांतिपूर्ण चलती रही। २५ मई, १९६२ को हड़ताल करने वाले व्यक्तियों ने गैरकानूनी ढंग से काम पर जाने वाले श्रमिकों को रोका परन्तु इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद २७ मई, १९६२ को हड़ताल करने वाले व्यक्तियों ने मिल जाने वाले श्रमिकों को रोकने का प्रयत्न किया और प्रबन्धकों के एक प्रतिनिधि की कार को भी घेरा। पुलिस ने भीड़ हटा दी परन्तु कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने न तो यूनियन के कैम्प को घेरा, न उसके झंडे को फाड़ा या छीना और न इस सिलसिले में कोई अन्य दुर्घटना ही हुई। २८ मई, १९६२ को जिलाधीश अलीगढ़ और प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त आगरा की मध्यस्थता से दोनों पक्षों में एक समझौता हो गया जिसके अनुसार इस मिल के श्रमिकों की वेतन वृद्धि का प्रश्न जिलाधीश अलीगढ़ के मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजा जायगा और प्रबन्धक इस मामले में हाई कोर्ट में विचाराधीन रिट पिटीशन वापस लेंगे। इस समझौते के फलस्वरूप बिजली काटन मिल की हड़ताल ३१ मई, १९६२ को प्रातः समाप्त हो गई।

एन० के० क्लाथ मिल की हड़ताल समाप्त करने के विषय में सहायक श्रमायुक्त, आगरा के प्रयत्नों में कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। २२ मई, १९६२ की नोटिस द्वारा इस मिल के प्रबन्धकों ने तालाबन्दी घोषित कर दी और श्रमिकों को अपना पैसा लेने के लिये सूचित किया। लगभग २०० श्रमिकों ने २४ मई, १९६२ को अपना पैसा ले लिया।

२८ मई, १९६२ को जिलाधीश अलीगढ़ और प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त, आगरा ने इस विषय में दोनों पक्षों से बातचीत की और यह निर्णय किया गया कि इस मिल के समस्त अनिर्णीत मामलों में प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त आगरा, कार्यवाही करेंगे और दोनों पक्षों को उनका निर्णय मान्य होगा। अन्ततः श्रमिकों की विभिन्न मांगों पर दोनों पक्षों में हुये एक समझौते की शर्तों के आधार पर ३१ मई, १९६२ को प्रातः इस मिल की हड़ताल समाप्त हो गई।"

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मजदूरों की जो क्षति इस सम्बन्ध में हुई थी उस पर भी समझौता हो गया है कि उनकी क्षतिपूर्ति कर दी जायगी ?

शिक्षा मन्त्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जो समझौता हुआ है उसमें कोई जिक्र मुझे इसका दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं बाद में गौर कर लूंगा।

श्री गेंदासिंह—जिन मामलों में कंसिलियेशन आफिसर को अधिकार दिया गया है उस के लिये कोई मियाद मुकर्रर कर दी गई है जिसके अन्दर वह अपना फैसला दे दे ?

आचार्य जुगलकिशोर—जो ऐक्ट इस वक्त है उसके मुताबिक एक समझौता हो गया है उसके ऊपर हड़ताल बन्द हो गई है, समझौते के टर्म्स भी तै हो गये हैं लेकिन एग्रिमेंट अभी साइन नहीं हुआ है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—हड़ताल के दौरान कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया, झंडा छीना गया, उनको पीटा गया और यूनियन का दफ्तर लूटा गया तो क्या माननीय मन्त्री यूनियन का सामान लौटाने, झंडा वापस दिलाने तथा मजदूरों को छुड़ाने का कष्ट करेंगे ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—वक्तव्य में ये सब बातें अभी बतलाई गई हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

श्री नरसिंहनारायण—मजदूरों ने मांगें पेश की थीं और जो समझौता हुआ है वह कितनी मांगों को लेकर हुआ है और कितनी मांग रह गई हैं जिनमें समझौता नहीं हो पाया है ?

श्री अध्यक्ष—मन्त्री जी ने बतलाया कि एक समझौता हुआ है और जो, जो टर्म्स थे सब सेटिल हो गये हैं और उन टर्म्स को कंसिलियेशन आफिसर तय करेगा।

श्री नरसिंहनारायण—जिस समय यह मामला चल रहा था उस समय मजदूरों का मामला कंसिलियेशन बोर्ड में पेश था तो माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह पेंडेंसी में केसेज को रख कर मजदूरों को निकालने की कोशिश तो नहीं की जा रही है समझौते की आड़ में ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह मैं कह चुका हूं कि निकाला नहीं जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—जो समझौता हुआ उसमें हड़ताल के पीरियड की तनख्वाह देने की कोई व्यवस्था की गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—समझौते में जो उचित मांगें समझी गईं वे सब मान ली गईं लेकिन किन-किन बातों पर समझौता हुआ है इसका विवरण मेरे पास पूरे तौर से नहीं है। लेकिन स्ट्राइक पीरियड के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है, मैं ठीक तौर से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा खयाल है कि उसका पेमेंट नहीं होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इन मजदूरों पर हड़ताल के दौरान जो मुकदमे चलाये गये क्या वे सभी वापस ले लिये गये ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

प्रदेश में टिड्डी दल के आक्रमण के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं टिड्डियों के आक्रमण के सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहता हूं। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि वित्तीय वर्ष हमारे प्रदेश में टिड्डियों का आक्रमण ११ मई से शुरू हुआ और १ जून, ६२ तक वह रहा। लगभग २८ जिलों में वह आक्रमण हुआ जिनके नाम इस प्रकार हैं मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, इटावा, उन्नाव, जालौन, मैनपुरी हरदोई, कानपुर, लखनऊ, राय बरेली, शाजहांपुर, बुलन्दशहर, बदायूं, मिर्जापुर, फतेहपुर, वाराणासी, जौनपुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, बांदा और इलाहाबाद। ये जो टिड्डियां आई थीं अंडे देने योग्य नहीं थीं। इत्तिला मिली है कि ९ जिलों में टिड्डियां सेटिल डाउन हो गईं। वे जिले इस प्रकार हैं—मथुरा, आगरा, जौनपुर, मेरठ, प्रतापगढ़, कानपुर, रायबरेली, बुलन्दशहर और बदायूं। अब नुकसानात जो हुये हैं उनके तख्मीने तैयार किये जा रहे हैं। मथुरा जिले का जो तखमीना आया है उससे पता चलता है कि ११,०७२ रुपये का नुकसान हुआ है

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

काटन, शुगर-केन, ज्वार और वेजिटेबिल की फसलों को। जहरीली दवाओं और उनको छिड़कने वाली मशीनों का इजाफा हर सेंटर पर किया गया है और काफी तादाद में इकट्ठा किया गया है और एंटी लोकस्ट के सम्बन्ध में प्रोपेगेंडा भी फ्री लिटरेचर बांट कर किया गया है और फिल्म वगैरह का स्क्रीनिंग भी किया गया है। काफी आदमियों को टिड्डियों के कन्ट्रोल वगैरह के सम्बन्ध में ट्रेनिंग दी गई है और अभी और लोग ट्रेन किये जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों के लिये ५५ हजार रुपये जहरीली दवायें और मशीनें खरीदने के लिये मन्जूर किया गया और ३० हजार रुपया जिलों में एंटी-लोकस्ट आपरेशन्स के लिये भी रखा गया। इस तरह से तमाम एंटी लोकस्ट आपरेशन्स को एडाप्ट करने के लिये इन्तजाम किया गया है। लोकस्ट डिस्ट्रक्शन ऐक्ट, १९५१ की रू से जिलाधीशों को यह अधिकार है कि मैन पावर को मोबिलाइज कर के लोकस्ट का मुकाबला करें।

तीन जिलों का विशेष कर के नाम लिया गया। मैं इनके बारे में अलग-अलग विवरण बताना चाहता हूं। मथुरा जिले की तमाम तहसीलों में टिड्डियां आईं ११ से १७, १७ से १८ और २४ से २९ तक। इसमें भी वही बचूड़ी टिड्डियां थीं एक मील लम्बी और आधा मील चौड़ी। ये छाता तहसील में आयी थीं और पांच गांवों में सेटिल डाउन हुई थीं जिनके नाम है गोरा, भगवान, तरोली, रेहरा, कमाई।

एक सदस्य—आप गांवों के नाम ही गलत बता रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—टेढ़े मेढ़े नाम हैं, अगर मैं गलत कह जाऊं तो माफ कीजियेगा। इन गांवों में कोई नुक्सान नहीं हुआ। उसके बाद छाता में जो १५, १८, २४, २६ और २९ को हमला हुआ उसमें भी बूचड़ी टिड्डियां थीं। बकीया तहसीलें जो थीं उनमें भी ये सब टिड्डियां आईं। और जो मथुरा में २६ और २७ को टिड्डियां आई थीं उनका दल ६ मील लम्बा और ६ मील चौड़ा था। ये पेठा और भवनपुरा गांवों में सेटिल डाउन हुई थीं, और गांवों में सेटिल डाउन नहीं हुई थीं। इसलिये वहां उनसे कुछ नुक्सान भी नहीं हुआ। जैसा मैंने अर्ज किया ये सब इम्मेच्योर, पिंक कलर की थीं लिहाजा एग लेइंग नहीं हुआ। इसलिये हापर का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कहा जाता है कि करीब ४०० मन टिड्डियां बर्बाद की गईं और नुक्सान हुआ है ३ आने फी रुपया के हिसाब से १२५ एकड़ गन्ने में और ६ आने फी रुपया के हिसाब से ५० एकड़ काटन में और ४ आने फी रुपया ४० एकड़ ज्वार में और तखमीना तादाद नुक्सान की है, ११,०७२ रुपये की।

इसके बाद सहारनपुर। सहारनपुर में ३ मील लम्बी और २ मील चौड़ी फौज टिड्डियों की देवबन्द और रुड़की में आयी ३० को और वहां सेटिल डाउन नहीं हुई—दूसरा दल ५ मील लम्बा और १ मील चौड़ा पंजाब से आया तहसील नकुड़ में और वहां पर ३ घंटे तक ठहरा, ३०/३१ की रात को और दरख्तों में बैठ गया। फौरी कार्यवाही की गई जिससे तमाम बरबाद हो गईं और कोई नुक्सान नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर में पिंक कलर की टिड्डियां ढाई मील लम्बी और एक मील चौड़ी ३१ तारीख को आईं और जनसठ में १३ मई को और कैराना में ३१ मई को आईं और ८ घंटे तक उड़ती रहीं और १२ घंटे तक ३०/३१ की रात को रात में इटावा, नगवां और घनापुरवा गांव में ठहरीं और बहुत ज्यादा तादाद बरबाद की गई, कोई नुक्सान नहीं हुआ।

श्री रामकिशोर (जिला बाराबंकी)—क्या यह सही है कि मरुस्थल टिड्डी सूचना योजना लन्दन हेड क्वार्टर्स विज्ञप्ति द्वारा प्रसारित हुई थी कि भारतवर्ष और पाकिस्तान में टिड्डियों के आक्रमण होने की सम्भावना है और केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को इसकी सूचना दी थी लेकिन फिर भी सरकार इनको रोकने में असफल रही। इसका क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं असफल नहीं रहा बल्कि कामयाब रहा।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जौनपुर जिले में कौन-कौन तहसील में टिड्डियों का आक्रमण हुआ और वे टिड्डियां बचूड़ी थीं या पक्की थीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बचूड़ी वहीं पैदा हुई थीं। मुमकिन है बुड्डी भी गई हों।

श्री मुल्तानसिंह (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष—देखिये मुल्तानसिंह जी, एक बात सुनिये। आप खड़े होइये, मैं आपका नाम लूंगा तब आप प्रश्न कीजिये। बीच में बोलना ठीक नहीं है, यह पंचायत थोड़े ही है।

श्री मुल्तानसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि २९ तारीख को आगरा में टिड्डियां आईं और कई हजार का नुक्सान हुआ लेकिन मन्त्री जी ने उसका कोई जिक्र नहीं किया। क्या यह सही नहीं है, अगर सही है तो किन-किन तहसील और गांवों में ये आईं और कितना नुक्सान हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—टिड्डियां आईं यह सही है। मैंने यह बयान किया, शायद माननीय सदस्य ने उसे सुना नहीं, कि नुक्सान का तखमीना तैयार किया जा रहा है। मथुरा का मैंने बता दिया है बाकी जिलों का भी अभी आया नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इस बात को देखते हुये कि टिड्डियों का हमला प्रतिवर्ष अपने यहां होता है तो क्या इसके लिये कोई स्थायी विभाग बनाया है जो इनका जोरदार मुकाबला कर सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स तहसील केन्द्र पर खोले जा रहे हैं और परसोनेल रखा जा रहा है। यह सब स्थायी इन्तजाम है।

श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार के पास रिपोर्ट आई है कि फर्रुखाबाद जिले में १/२ मई को और २६/२७ को टिड्डियां आईं और उन्होंने नुक्सान किया और यह आदेश दिया गया कि उनको मारा जाय परन्तु सरकार ने इसके बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—२५ जिले मैंने बताये थे। अगर फर्रुखाबाद उसमें है तो है ?

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि हरदोई जिले में बेलग्राम तहसील में गंगा के किनारे अब भी टिड्डियां बच्चे दे रही हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह अजीबोगरीब खित्ता है। अगर वहां बच्चे दे रही हों तो कोई ताज्जुब नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि टिड्डी दलों के आक्रमण का खतरा समाप्त हो गया है या अब भी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—भविष्य जानना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)—माननीय मन्त्री महोदय, कृपया बतायेंगे कि मथुरा जिले के जिन गांवों के नाम आपने पढ़ कर सुनाये हैं, उन गांवों के नाम हमारे जिले में हैं ही नहीं तो यह रिपोर्ट कहां से आ गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलाधीश से आई है। सब गांव मुमकिन है कि आप न जानते हों।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—गांव तो हैं लेकिन कुछ गांव गलत हैं। मैं अभी आया हूं अपने क्षेत्र से। बरसाने के थाने में बिलकुल टिड्डियों ने खेतों को चौपट कर दिया है। उन गांवों का नाम ही नहीं आया है। तो यह रिपोर्ट बिलकुल गलत है। दोबारा मंगाइये।

श्री अध्यक्ष—जरा नाम बता दीजिये कि फलां-फलां गांवों का नाम नहीं आया।

श्री लखीसिंह—संकेत, कमई.....

श्री हुकुमसिंह विसेन—लिख कर दे दीजियेगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इन टिड्डियों का जो आदि-स्थान होता है, जहां पैदा होती हैं, उसको कन्ट्रोल करने के लिये राजस्थान सरकार से मिल कर प्रदेश की सरकार ने क्य उपाय किये हैं और उसका क्या फल हुआ है, या करने जा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो जहां जाती है अंडे देती हैं, जो मेच्योर हो जाती हैं। राजस्थान के लिये मखसूस थोड़े ही हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जहां-जहां टिड्डियों ने नुक्सान किया है वहां क्या वित्तीय सहायता काश्तकारों की है, लगान में या अन्य प्रकार से छूट दे कर?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने अर्ज किया कि नुक्सान का तखमीना बताया जा रहा है। नियमों के जो अनुकूल होगा उसके मुताबिक रिलीफ दी जायगी।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—तत्काल सहायता?

श्री हुकुम सिंह विसेन—तत्काल मैंने कुछ नहीं दिया है। इन्तजामात किये हैं।

श्री रामकिशोर—टिड्डी दल एक बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, अगर उन्होंने अंडे दिये तो आगामी रबी की फसल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा क्या इसको खत्म करने की कोई योजना बनाई जा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तक हम यही गाते रहे कि यह योजना तैयार है। अंडे वगैरह बरबाद किये जाते हैं। तमाम एंटी कन्ट्रोल मेजर्स अडाप्ट किये जा रहे हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इस माननीय सदन को इससे अवगत करायेंगे कि किन-किन जाति की टिड्डियों ने आक्रमण किया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सोशलिस्ट पार्टी की सब थीं, वह।

२८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

स्वायत शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, दिनांक २८ मई, १९६२ को सर्वश्री रामसुन्दर, दौलतलाल तथा मंगलदेव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के सम्बन्ध में श्री राम सुन्दर ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या स्वायत शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन नगरपालिकाओं में जलकल का प्रबन्ध हो रहा है उन पर सरकार का कितना रुपया खर्च होने वाला है?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि वैसे तो १६ लाख रुपया कुछ हजार रुपया का स्टीमेट है जिस में से १६ लाख पया विभिन्न नगरपालिकाओं को दिया गया है जहां कि कार्य शुरू हो गया है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है। वैसे तो १,७९,५१,६०० रुपये का एस्टीमेट है जिसमें से १,२२,६४,९०० रुपये विभिन्न नगरपालिकाओं को दिया गया है जहां कि कार्य शुरू हो गया है।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९८४–९८५ पर)

८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

न्याय मन्त्री के सभा-सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की दिनांक ८ मई, १९६२ की बैठक में सर्वश्री बेदराम, हरीशकुमार, गंगवार तथा बसन्तसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के सम्बन्ध में श्री चन्द्रजीत सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने यह कहा था कि "हां, ३ जज अभी और अप्वाइंट होना बाकी हैं और मेरा ख्याल है वह जल्दी हो जायेंगे"। परन्तु यह उत्तर सही नहीं। सही उत्तर निम्नलिखित है :

> "हां, तीन जजों की नियुक्ति होनी थी जिनमें एक जज की नियुक्ति हो गई है दो जज अभी और अप्वाइन्ट होना बाकी हैं। मेरा ख्याल है वह जल्दी हो जायेंगे।"

अतः मेरा यह निवेदन है कि उपर्युक्त अनुपूरक प्रश्न का उत्तर तदनुसार संशोधित कर दिया जाय।

१ मई, १९६२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ५ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

गृह उप मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, दिनांक १–५–६२ को श्री भीखालाल द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ५ के सम्बन्ध में श्री भीखालाल ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है? यदि हां, तो बताने की कृपा करेंगे कि मृतकों की किस औजार से हत्या की गई और उनके किस प्रकार की चोटें थीं?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मान्यवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो जो घटना हुई है वह बहुत दर्दनाक हुई है इसलिये उसका थोड़ा सा विवरण दे दूं। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट तो नहीं है। दो हरिजन गयादीन व शंकर को दो मार्च को दो ठाकुर साहबान पकड़ कर ले गये। वहां पर दो हरिजनों को पीटा जा रहा था और कहा जा रहा था कि तुमने किस के घर में सेंध लगाकर चोरी की। वे कहते थे कि हमने चोरी नहीं की है। इनको भी पीटा गया तो उन्होंने कह दिया कि हमने सेंध लगाई है और सब माल इन दोनों आदमियों के पास है। उनको पीटकर दूसरे स्थान पर ले गये। फिर तीसरे स्थान पर ले गये। वहां उनके हाथ बांध कर टांग दिया गया। उनको पीटा गया और लोहे के छुरे से दागा गया।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला उससे कन्फ्यूजन होने का अन्देशा था। इसलिये स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ी। सही उत्तर इस प्रकार है—

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट तो नहीं है किन्तु घटना इस प्रकार है। वादी कालीचरण को दो ठाकुर पकड़ कर ले गये जहां दो हरिजन—शंकर व गयादीन को पीटा जा रहा था। जब कालीचरण को भी पीटा गया उसने मार से बचने के लिये यह कह दिया कि उसने शंकर व गयादीन के साथ चोरी की है तथा चोरी का माल उन्हीं दोनों (शंकर व गयादीन) के पास है। इस पर कालीचरण को छोड़कर शंकर व गयादीन को पुनः एक स्थान से दूसरे व दूसरे से तीसरे स्थान पर ले जाकर, हाथ छत के छल्ले से बांध कर पीटा गया और अन्त में लोहे की कलछुल गर्म करके दोनों को दागा गया जिससे वे अन्त में मर गये।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९८६ पर)

सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, कुछ दिन पहले बलिया जिले की एक अदालत से एक आदमी के गिरफ्तार होने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया गया था। उस पर सदन में वक्तव्य देने के लिये भी माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा था। फिर दो दिन पहले बात चीत हुई थी तो आपने पत्र लिखने को कहा था, वह पत्र भी लिख दिया गया। आज सदन उठ रहा है। मैं आशा करता था कि आज माननीय गृह मन्त्री जी उस सम्बन्ध में सदन को सूचित करेंगे।

श्री अध्यक्ष---माननीय गृह मन्त्री जी, आपको सूचना उसके सम्बन्ध में मिल गई ?

गृह उप मन्त्री (श्री नवलकिशोर)---मान्यवर. सूचना हमको अभी उपलब्ध नहीं हो सकी, इसलिये आज नहीं दे सकूंगा।

श्री गेंदासिंह---अब अगले दिन तो श्रीमन्, उसका कोई महत्व नहीं रह जायगा।

श्री अध्यक्ष---वह आश्वासन समिति में तो चला ही गया होगा और यहां भी वह दे देंगे।

श्री गेंदासिंह---यहां देने की बात तो यह है कि अब तो महीने, दो महीने के बाद यह सदन बैठेगा। ऐसे प्रश्नों का महत्व तो तब है जब उस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कोई कार्यवाही की जाय और जल्दी से जल्दी कोई वक्तव्य दिया जाय।

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय गेंदासिंह जी की बात मैं नहीं समझ पाया कि वह किस सम्बन्ध में है क्योंकि उन्होंने आपको पत्र लिखा होगा, आपका कोई पत्र मुझे नहीं मिला है.....

श्री गेंदासिंह---क्या मुझे इजाजत होगी कि मैं माननीय 'गृह मन्त्री से'.....

श्री अध्यक्ष---आपने मुझे लिख दिया है तो मैं उनको भेज दूंगा, अगर नहीं भेजा होगा।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, नियम को निलम्बित करने का.....

श्री अध्यक्ष---पहले वह प्रकरण तो आने दीजिये।

श्री नरसिंहनारायण---श्रीमन्, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम का हवाला देना चाहता हूं। वह तो अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। पहले उस पर विचार आ जाय नहीं तो अविश्वास का प्रस्ताव आपके सामने है, उसके पहले वह आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---अभी मैं अविश्वास का प्रस्ताव पर अपनी अनुमति दूंगा। जब अनुमति दूंगा तो उसके बाद अनुज्ञा का प्रश्न आयेगा। जब सदन से अनुज्ञा मांगी जायगी तो उसके पहले, जबकि मैं अनुज्ञा मांगूं, उस वक्त आप यह प्रश्न उठा दीजियेगा।

श्री नरसिंहनारायण---मेरा जो प्रस्ताव है वह छापकर सारे माननीय सदस्यों में को बांट दिया गया है। वह प्रस्ताव माननीय सदस्यों को मिल गया है। इसलिये उस विषय में मैं नियमों का हवाला देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---छाप देने का यह मतलब नहीं है कि मैंने उसको स्वीकार कर लिया। अभी तो उस पर मैं अनुज्ञा मांगूंगा।

श्री नरसिंहनारायण—उसको आपने छाप दिया है....

श्री अध्यक्ष—अभी वह प्रस्ताव नहीं लिया जा रहा है। अभी आप क्यों घबराते हैं। जो आपको कहना है वह कहियेगा।

मन्त्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मद नम्बर १२ और १३ पर दो अविश्वास के प्रस्ताव छपे हुए हैं। एक माननीय उग्रसेन जी का है और दूसरा माननीय श्यामलाल जी का है। माननीय श्यामलाल जी ने अपना अविश्वास का प्रस्ताव वापस ले लिया है। आज प्रातःकाल माननीय रामकिशोर त्रिपाठी जी ने एक अविश्वास का प्रस्ताव भेजा है.....

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—मैंने जो अपना अविश्वास का प्रस्ताव आपके द्वारा सदन के समक्ष रखा है उसको मैंने वापस ले लिया। उसकी हमारी रिपब्लिकन पार्टी ने आज्ञा नहीं दी है लेकिन जो प्वाइन्ट हमने अपने प्रस्ताव में रखे थे वह मान्यवर, बिल्कुल सत्य हैं। मैं सरकार से फिर प्रार्थना करता हूं कि वह सब त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न करे वरना फिर यह प्रस्ताव बाद में आयेगा।

श्री अध्यक्ष—अब तो वह वापस हो गया। बाद में आप देखियेगा। अब जो सामने अविश्वास के प्रस्ताव हैं उनमें एक माननीय उग्रसेन जी का और दूसरा माननीय रामकिशोर जी का विचारणीय हैं। नियम यह है.....

श्री जगन्नाथसिंह (जिला फतेहपुर)—श्रीमन्, जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया है वह नियमावली के नियम १०८ के उपनियम (५) के अनुसार नहीं हैं। इसलिये वह प्रस्ताव उठ नहीं सकता। यह अविश्वास का जो प्रस्ताव आया है उसमें यह है....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—किस नियम के अन्तर्गत यह अपनी बात कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि यह नियमानुकूल नहीं है इसलिये उनको आपत्ति है। उसी बात को वह कह रहेहैं कि उनको क्यों आपत्ति है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या इस प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया गया है?

श्री अध्यक्ष—मैंने अभी बतलाया कि जो प्रस्ताव रखा गया है, उनकी राय में वह नियमावली के अनुकूल नहीं है। उस पर विचार नहीं हो सकता। वह सदन में प्रस्तुत नहीं हो सकता उसी पर वह कह रहेहैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—किसी दूसरे प्रस्ताव के बारे में वह कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—वह इन प्रस्तावों के विषय में ही बतलाना चाहते हैं।

श्री जगन्नाथसिंह—यह प्रस्ताव नियमावली के नियम १०८ के उपनियम (५) के अनुकूल नहीं है। इसमें यह लिखा हुआ है कि "उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं उठायी जायगी जिस पर उसी सत्र में अथवा पिछले ६ मास के भीतर, जो भी समय पहले पड़ता हो, चर्चा हो चुकी हो"। यही बातें, जब बजट सेशन यहां पर चलता रहा, तो उस समय कही गयीं। यही बातें जब विभिन्न ग्रान्ट्स पर बहस होती रही हैं, तब कही गईं और यही बातें जब यहां पर गवर्नर महोदय का ऐड्रेस हुआ उस समय कही जाती रहीं।

[श्री जगन्नाथसिंह]

यह मौका मिल चुका और आज भी एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस करते समय मिल सकता है। इसके बाद अविश्वास के प्रस्ताव के (२) में जातिवाद की बात कही गयी है जो नियम १०८ (२) के अनुसार नहीं होनी चाहिये, प्रस्ताव में। इसके अतिरिक्त आप नियम १०९ को देखें। इसमें आप निश्चय करेंगे कि यह इन आर्डर है या नहीं और इसमें आपको अधिकार है कि आप इसको ऐडमिसेबिल करार न दें।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—श्रीमन्, मैं भी एक आपत्ति उठाना चाहता हूं। नो कांफीडेंस का मोशन रूल २७४ के मातहत इस सदन में डिस्कस किया जा सकता है। उसे आप कृपा कर देखें.....

एक सदस्य—एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—व्यवस्था के प्रश्न के बीच में दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बृजभूषणशरण—नियम २७४ में लिखा है कि :

"Motion of no-confidence in Ministers—(1) A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers may be made with the consent of the Speaker subject to the following restrictions, namely—

(*a*) leave to make the motion shall be asked for after questions and before the list of business for the day is entered upon ;

(*b*) the member asking for leave must, before the commencement of the sitting for that day, deliver to the Secretary a written notice of the motion which he proposes to move."

पेश्तर इसके कि मैं अपने आर्गूमेंट्स को आगे ले जाऊं, मैं बहुत नम्रता से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह मैन्डेटरी प्राविजन है आपके नियमों का। जो मेम्बर यह प्रस्ताव मूव करेगा वह लीव सीक करेगा प्रश्नोत्तर काल के तुरन्त बाद, और अब कृपा कर आप कार्य-सूची का अवलोकन करें। इसमें प्रश्नोत्तर पहले नम्बर पर हैं, दूसरे पर वित्त मन्त्री महोदय विज्ञप्ति को मेज पर रख रहे हैं, इसी प्रकार से अन्य आइटम्स के बाद यह १२वें नम्बर पर आ रहा है। मैं संवैधानिक प्वाइन्ट यह उठाना चाहता हूं कि यदि आप चाहें भी तो भी आप अपनी अनुमति इसके लिये नहीं दे सकेंगे क्योंकि यह मैन्डेटरी है कि प्रश्नोत्तर के बाद यह लीव सीक की जानी चाहिये अन्य बिजनेस शुरू होने के पहले। प्रश्न समाप्त होने के बाद अन्य कार्य आरम्भ हो गया, और यह कार्यसूची में भी कहीं छपा नहीं है, भले ही यह किसी की गलती हो, लेकिन जहां तक इंफोर्समेंट आफ रूल्स का सवाल है उसके हिसाब से अब यह नहीं लिया जाना चाहिये। २७४ के मातहत एक समय मुकर्रर है जिसमें यह लिया जाना चाहिये। तो सवाल यह है कि क्या किसी तरह से उस नियम का पालन अब हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—किस नियम का ?

श्री बृजभूषणशरण—नियम २७४ का। आपकी आज्ञा से मैं पढ़ दूं।

"274. Motion of no-confidence in Ministers—(1) A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers may be made with the consent of the Speaker subject to the following restrictions namely—

एक सदस्य—हिन्दी में पढ़िए।

श्री बृजभूषणशरण—किसी मिनिस्ट्री में वोट आफ नो कांफीडेन्स तभी लाया जा सकता है जब स्पीकर महोदय अपनी अनुमति दे दें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—उनको अनुवाद की कापी दे दी जाय।

श्री बृजभूषणशरण—लीजिये मैं हिन्दी में पढ़ रहा हूं—

"मन्त्रि-परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से निम्नलिखित निर्बन्धनों के साथ किया जा सकेगा।" अब उसमें दो कन्डीशन्स हैं। एक तो अध्यक्ष की सम्मति और दूसरी निम्नलिखित निर्बन्ध। आप अपनी अब सम्मति भी नहीं दे सकते। मेरा आपसे निवेदन यह है कि चूंकि निम्नलिखित निर्बन्ध की पाबन्दी भी नहीं की जा सकती। उसमें (क) यह है—

"प्रस्ताव करने की अनुज्ञा प्रश्नों के अनन्तर तथा दिन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व मांगी जायगी।"

चूंकि प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका और दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और उसमें कई आदमियों से कहा जा चुका है अतएव अब आप अनुमति नहीं दे सकेंगे।

इसके बाद, इसके पूर्व वक्ता महोदय ने आपका ध्यान आकर्षित कराया और मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो वजूहात दी गयी हैं नो कांफीडेन्स के लिये वह भी केवल रिपीटीशन ही हैं। हम डेढ़ महीने से बजट डिस्कस करते चले आ आये हैं और हम इन्हीं सब चीजों को डिकस्स कर रहे हैं जिनका उल्लेख इस प्रस्ताव में किया गया है। अभी इस के बाद एप्रोप्रियेशन बिल आने वाला है और अगर उनकी मंशा गाली देने के अलावा और भी कुछ हो, तो वे उसे ओवर थ्रो कर सकते हैं और नो कांफीडेन्स का मोशन आ ही सकता है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—इस बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बृजभूषणशरण—तो मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर सचमुच नो कांफीडेन्स है तो जो बिल पेश होने जा रहा है उसे थ्रो कर दिया जाय तो नो कांफीडेन्स एक्सप्रेस हो जायगा। इसका मतलब केवल समय नष्ट करने का है, जनता के धन का दुरुपयोग करने का है। तो यह दो चीजें मैंने आपसे निवेदन की हैं। एक तो इसे आप देखें कि यह इन आर्डर है या नहीं, दूसरे इस पर आप अपनी अनुमति दें। कन्सेंट देना और इन आर्डर का निर्णय देना, दो अलग-अलग चीज हैं। आप इस के औचित्य पर विचार कर के अपनी अनुमति देंगे। आप देखें कि इसकी क्या जरूरत है। प्रोप्राइटी और कांस्टीट्यूनैलिटी, दो अलग-अलग चीजें हैं। अगर इन आर्डर है तो कांस्टीट्यूनैलिटी ठीक है, लेकिन प्रोप्राइटी की अनुमति के लिये आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर इसकी आवश्यकता है भी या नहीं। अगर यह सदन का समय नष्ट करने के लिये और जनता के धन का दुरुपयोग करने के लिये ही लाया गया है तो इसकी अनुमति आपको नहीं देनी चाहिये। २७४ (क) के अनुसार आपका अनुज्ञा प्राप्त करने का समय भी निकल गया है यदि उसे किसी प्रकार स्वीकार भी कर लिया जाय तो अब एप्रोप्रिएशन बिल आने वाला है, और उसमें सब यह बातें कही जा सकती हैं और इस प्रकार इसके औचित्य पर विचार करने के बाद इस पर आपको अपनी अनुमति नहीं देनी चाहिये।

श्री उग्रसेन—मैं उत्तर में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें।

श्री रामकिशोर (जिला बाराबंकी)—एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—इस पर जब मैं अपनी रूलिंग दे लूं तब कोई व्यवस्था का अन्य प्रश्न उठेगा।

जो आपत्तियां उठायी गयी हैं उनको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इसका कारण यह है कि यद्यपि २७४ में, जिसकी ओर माननीय बृजभूषणशरण जी ने मेरा ध्यान आकर्षित कराया, यह अवश्य लिखा है कि प्रश्नों के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा मांगी जायेगी। तो भी

[श्री अध्यक्ष]

में आदरणीय सदन का ध्यान नियम ३१९ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसको अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि जितनी भी कार्यवाही हुई ह वह नियम ३१९ के अन्तर्गत हुई है, अतः कोई अनियमितता नहीं है।

दूसरी आपत्ति जो इस सम्बन्ध में उठायी गयी उसको भी स्वीकार करने में मुझे कठिनाई हो रही है। यद्यपि मैं यह कहने को तैयार हूं कि मेरी प्रबल इच्छा यह है कि इस सदन में हमारे नियमों के प्रति अधिक आदर हो और उन नियमों के अनुरूप अपना व्यवहार इस सदन के सामने रखें। उससे हम सब की शोभा बढ़ेगी। यहां ऐसे अवसर भी आये हैं कि जब मुझे कुछ ऐसे आदेश देने पड़े जो अप्रिय थे। यद्यपि यहां आज वह वातावरण नहीं है जो एक ऐसे महत्व, गौरवान्वित और गहन सभा के अन्दर होना चाहिये, वैसा वातावरण अगर पैदा हो जाय तो मुझे बहुत हर्ष होगा, लेकिन फिर भी इसका यह अर्थ नहीं है कि मेरे हृदय में इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों के प्रति वह आस्था और विश्वास नहीं है जो कि पहले दिन था। एक महान् प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली यह सभा, मैं समझता हूं, अपने कर्त्तव्यों को समझेगी और वह समझती भी है। नियम १०८ और १०९ में यह अवश्य दिया हुआ है, जैसा कि मैंने देखा कि किसी भी प्रस्ताव को रखने का अधिकार या कोई भी अन्य अधिकार जो इस आदरणीय सदन के सदस्यों को प्राप्त है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। मैं मानता हूं, जैसा कि माननीय जगन्नाथसिंह जी ने और बृजभूषणशरण जी ने कहा कि जिन विषयों पर यहां विचार-विनिमय हो चुका हो, जिन विषयों के सम्बन्ध में हमने विनिश्चय कर लिया हो, जिन विषयों पर हम लगातार दो महीनों से अपने विचारों को रख रहे हों, और जो विषय महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण तथा आय-व्ययक से सम्बन्धित सामान्य वाद-विवाद में भी आ चुके हों और जिनका उल्लेख हो चुका हो, उन्हीं बातों को लेकर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो वह अनुपयुक्त है तो भी वह उचित है या अनुचित है इसका निर्णय मैं इसलिये करने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि वह प्रस्ताव उस सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध आया है कि जिस सत्तारूढ़ पार्टी का मैं अंग था। और इस कारण से चूंकि मेरा दृढ़ विश्वास और आस्था इस सम्मानित सदन के आदरणीय सदस्यों के प्रति है, मेरा विश्वास यह है कि वह अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेंगे तथा अपने सुन्दर उच्च सुविवेक से निर्णय करेंगे और अनुज्ञा के समय वह इस बात को दिखलायेंगे कि कहां तक उनके ख्याल से ऐसा प्रस्ताव उपयुक्त है या नहीं। अतः जो आपत्ति रखी गयी है उसको अस्वीकार करके मैं अनुमति देता हूं कि यह प्रस्ताव इस सदन के समक्ष आये और जिन महानुभावों ने रखा है वह सदन की अनुज्ञा के लिये मांग करें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--श्रीमन्, मुझे निवेदन करना है आपकी अनुज्ञा देने के पहले। मुझे इस अविश्वास के प्रस्ताव पर ,अनुज्ञा के पहले कुछ निवेदन करना है...

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)--मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अब आप अनुज्ञा दे देंगे तो वह कब रखा जायगा? मेरा नियम ११३ के अन्तर्गत प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष--मैं अभी उसे रखे देता हूं। जब अनुज्ञा मांगी जायगी तब आवश्यक हो जायगा कि आप उस प्रश्न को रखें--यह मामूली बात है। माननीय नेता विरोधी दल कुछ कहना चाहते हैं, मैं सुन तो लूं। अफसोस इस बात का है कि आपसे जब मैं सदन के अन्दर कहता हूं कि आपको अवसर दिया जायगा तो आप क्यों ख्याल करते हैं कि नहीं दूंगा। मैं दूंगा आपको अवसर।

श्री यादवेन्द्रदत्त--अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उग्रसेन जी द्वारा और रामकिशोर जी द्वारा, यह तो सच है कि हम सब को इस सरकार के कार्य-कलापों में अविश्वास है, परन्तु सदन का अन्तिम दिन है और अगर यह प्रस्ताव आज रखा गया और स्वीकृत हुआ तो १० दिन के बाद फिर सदन को आना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं

कि जब आज हम सब तरफ से कह रहेहैं कि आप खर्चे कम कीजिये, घटाइये, तो मैं समझता हूं कि केवल एक इस विषय के लिये हम १० दिन बाद फिर आयें और एक खर्चे की तजवीज करनी पड़े, वह उचित नहीं है। पर मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि सरकार के कार्य-कलाप जैसे आज हैं, अगर यही रवैया रहेगा तो हम जुलाई में जो भी सेशन होगा उसके प्रथम दिन अविश्वास का प्रस्ताव लायेंगे। लेकिन इस समय मैं उग्रसेन जी से अपील करूंगा और माननीय रामकिशोर जी से अपील करूंगा कि.....

श्री श्यामलाल—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष—आप बैठें, न सुनते हैं, न सुनने देते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—सारी बातों के होते हुए, मैं समझता हूं कि मेरी अपील को सभी नेता विरोधी दल स्वीकार करेंगे और समर्थन करेंगे और हम सब की अपील को ध्यान में रखते हुए इस अविश्वास के प्रस्ताव को इस बार वापस लेने की वह कृपा करेंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने जो अपील अभी की है उससे हम भी सहमत हैं और हम लोगों की एक सम्मिलित गोष्ठी में इस प्रकार की बात तय हो गयी थी। हमने माननीय उग्रसेन जी को भी अपील की है, सोशलिस्ट पार्टी से भी और जहां तक अविश्वास के प्रस्ताव को पेश करने का सम्बन्ध है उसमें हमको कोई दो राय नहीं हैं। सिर्फ समय का सवाल है कि हम को फिर १० दिन आगे बैठना पड़ेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर माननीय उग्रसेन जी पसन्द करें तो वह अगले सेशन के लिये इस अपने अधिकार को सुरक्षित रख लें। और हम सब इस बात पर विचार करके उस समय अविश्वास के प्रस्ताव को लाकर सदन को विचार करने का मौका देंगे। अगर माननीय उग्रसेन जी इसको पसन्द करें तो अपनी तरफ से इस मामले में अपनी राय दें।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—हमारे माननीय नेता विरोधी दल और माननीय गेंदासिंह जी ने जो प्रार्थना की है माननीय उग्रसेन जी से उससे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय उग्रसेन जी इसको मान लेंगे। वैसे मेरा यह निश्चित मत है कि सदन में और बाहर के लोगों में भी सरकार के प्रति जो वह कार्य कर रही है उनके कारण अविश्वास पैदा हो गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा जुलाई में जब हम मिलेंगे तब हमें सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करने का अवसर मिलेगा और जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा इस समय लाखों रुपये का बोझ पब्लिक एक्सचेकर पर डालना उचित नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय उग्रसेन जी अपने प्रस्ताव को पोस्टपोन कर देंगे और जुलाई में व्यापक रूप से प्रस्ताव को रखेंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय गेंदासिंह जी और स्वतन्त्र दल के नेता ने जो अपील की है उग्रसेन जी से और निर्दलीय सदस्य श्री रामकिशोर त्रिपाठी से, मैं भी उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस अपील के बाद वह अपने प्रस्ताव को वापस लेलें और आगामी अधिवेशन में सब लोग मिलकर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लायें और इस बीच सरकार जो टैक्स बढ़ाना चाहती है, फीस बढ़ा रही है उसका जनता में प्रचार करें और तब एक संयुक्त मोर्चा बनाकर संगठित रूप में ऐसा प्रस्ताव लायें ताकि सरकार शीघ्र ही समाप्त हो जाय।

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान नियम २७४(२) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत यदि अनुज्ञा मिल जाती है तो अनुज्ञा मिल जाने के दिन से दस दिन के भीतर किसी ऐसे दिन जो अध्यक्ष नियत करें वह प्रस्ताव लिया जायगा। लिमिटेशन ऐक्ट चूंकि यहां की कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता और यदि अनुज्ञा मिल जाती है तो फिर १० दिन में हमें फिर बैठना पड़ेगा जो कि मुनासिब नहीं होगा। उचित यही होगा कि अगले अधिवेशन में इसको लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—(श्री उग्रसेन से) आपको कुछ कहना है ?

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, नरसिंहनारायण जी का एक प्रस्ताव है मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसको लेलें तब मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं।

श्री रामकिशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन बातों का उल्लेख मैंने अपने प्रस्ताव में किया है वह सही हैं। इसके अतिरिक्त माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में एक घोषणा की, वह और भी दुखदायी है। एक तरफ तो उन्होंने शिक्षकों का भत्ता बढ़ाया और दूसरी तरफ हमारे छात्रों पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। सरकार की इन कार्यवाहियों से गरीबों की गरीबी बढ रही है। इसके बाद सरकार लगान में भी वृद्धि करने जा रही है। यह एक बहुत ही खेदपूर्ण बात होगी। ऐसी स्थिति में अपनी बातों को सही मानते हुये माननीय नेता विरोधी दल ने जो आग्रह किया है कि वैधानिक और आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस प्रस्ताव को वापिस ले लिया जाय मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री उग्रसेन—मान्यवर, मैंने जो प्रस्ताव इस मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट करने का रखा था उसके कुछ निश्चित आधार थे। एक तो अलाभकर जोतों की मालगुजारी माफ करने की घोषणा। फिर आगे टैक्स बढ़ाने की बात है। इसी तरह से दर्जा ६ से अंग्रेजी चालू करने की बात है। ये खास आधार हैं जिनकी वजह से इस सरकार को जल्दी से जल्दी समाप्त होना चाहिये। लेकिन माननीय नेता विरोधीदल और अन्य दलों के नेताओं ने जो अपने विचारों को प्रकट किया तथा हम में आपस में जो बातचीत हुई उनसे मुझे प्रसन्नता है कि सभी लोगों ने हमारे मत का समर्थन किया कि सदन के बाहर हो अथवा भीतर इस सरकार में जनता का विश्वास रह नहीं गया है। लेकिन कब्ल इसके कि मैं यह कहूं कि मैं उनके विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं उनके विचारों से सहमत हूं एक बात की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। श्रीमन्, मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में यह दिया हुआ है कि माननीय सदस्य जब अविश्वास का प्रस्तव लाते हैं और जब तक उस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श न हो जाय, विधिवत् आदरणीय सदन उस पर विचार न कर ले और सरकार फिर से सदन का विश्वास प्राप्त न कर ले तब तक सरकार को कोई नयी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। अतः आज सरकार को इस प्रस्ताव के द्वारा नोटिस हो गया और जब तक जुलाई में इस पर विचार न हो जाय इस बीच में सरकार को कोई नया काम नहीं करना चाहिये, मालगुजारी और फीस नहीं बढ़ानी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार सरकार आचरण करेगी।

इसके बाद माननीय नेता विरोधीदल ने और अन्यान्य नेताओं ने जो भावनाएं प्रदर्शित की हैं मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं और चाहता हूं कि इस समय इसको स्थगित कर दिया जाय और जुलाई में जब असेम्बली बैठे तब इसको लाया जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय नरसिंहनारायण आपका जो प्रस्ताव है उसको मैं उन प्रस्तावों के साथ रख दूंगा जो दीपनारायणसिंह जी ने भेजे हैं। आपने जिस रूप में रखा है वह एक संशोधन है।

श्री नरसिंहनारायण—मैंने तो उसको नियमों के निलंबन के लिये रखा है।

श्री अध्यक्ष—लोग बीच बीच में खड़े हो जाते है। बैठ जाओ।

श्री नरसिंहनारायण—इस संबंध में मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि स सदन में ४३१ मेम्बर हैं जिनमें से ऐसे प्रस्ताव के लिये ९५ की आवश्यकता होती है लेकिन अगर उसका निलंबन हो जाय तो हम जितने सदस्य चाहें उस प्रस्ताव को ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त पार्लियामेंट में ५०० सदस्य हैं उनमें से ५० की केवल आवश्यकता होती है, और बिहार विधान सभा में भी ३१ की आवश्यकता होती है, इंगलैन्ड तथा अन्य बाहरी देशों की भी परम्परायें हैं, यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि आपके द्वारा सब माननीय सदस्यों को यह मालूम हो जाय कि हमारे यहां दूसरी विधान सभाओं में तथा बाहर के देशों में क्या परम्परायें हैं।

श्री अध्यक्ष---यह आपने संशोधन के रूप में रखा है ऐसा मालूम होता है। अगर उस रूप में आ जाता तो उस पर विचार हो जाता ।

श्री नरसिंहनारायण---अच्छा श्रीमन् ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)---आपने रामकिशोर जी को 'बैठो' कहा और अभी अभी जब माननीय नरसिंहनारायण जी बोल रहे थे तब आपने कहा कि बीच में जो खड़े हो जाते हैं बैठ जाओ ।

श्री अध्यक्ष---पछां में 'बैठो' कहना बुरा नहीं है ।

श्री चन्द्रबली---लेकिन इस शब्द को हम तो अच्छा नहीं समझते ।

श्री अध्यक्ष---इस तरह से तो बड़ी मुश्किल हो जायगी काम करने में । जो भी इस तरह से बोलेगा उसके लिये भी मुझे यही कहना होगा कि आपके खिलाफ मुझे कार्यवाही करनी होगी आप निकल जाइये । सबसे बड़ी भावना इसमें यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका समादर हो तो इस सदन के सदस्य होते हुये यहां का गौरव रखना हमारा और आपका दोनों का कर्त्तव्य है । उस गौरव का संरक्षण हम और आप मिल कर कर सकते हैं । यहां जब इस तरह से शोरगुल होने लगता है तो किसी वक्त मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाता है इसके लिये मुझे खेद है लेकिन फिर भी सारी बात यह है कि दोनों को एक दूसरे का खयाल होना चाहिये ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, आप नाराज न हों वह कुर्सी बहुत बड़ी है ।

श्री अध्यक्ष---तो उनको बतला दीजिये ।

श्री उग्रसेन---आप ही परम्परा बनाते है गंगोत्री जमुनोत्री वहीं से बहती है और अगर वहीं से परम्परा गलत बह गयी तो हम कहां रहेंगे ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं बार बार आपकी आज्ञा मान कर बैठ जाता हूं लेकिन आप मुझे नहीं बुलाते ।

श्री चन्द्रबली---आपने उग्रसेन जी से कहा कि इनको समझा दें तो यह मेरा अपमान है । हर मेम्बर स्वतंत्र है हम अपने तई इनके पीछे बंधे हैं, आपके तई नहीं बंधे हैं ।

श्री अध्यक्ष---तो आखिर आप चाहते क्या हैं उग्रसेन जी इनका क्या मतलब है ?

श्री उग्रसेन---इनका कहना है कि आप स्वयं समझा दें, दल के नेता को, आपने क्यों कहा समझाने के लिये ।

(श्री ऊदल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---आप रिहन्द डेम के बारे में निवेदन करना चाहते हैं तो उस सम्बन्ध में हम और आप बात कर लेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---श्री दीपनारायणसिंह और श्री कुंवर श्रीपाल द्वारा हमारी नियमावली में संशोधनों के सम्बन्ध में कुछ सूचनायें आयी हैं । तो माननीय दीपनारायण सिंह और श्री

[श्री अध्यक्ष]

कुंवर श्रीपाल जी आप देखें इसका कायदा यह है कि मुझे सदन की अनुज्ञा लेनी पड़ेगी और उसमें यह है कि पंचमांश खड़े होंगे तब अनुज्ञा मिलेगी। तो मेरा निवेदन यह है कि आप लोग उसे विदड्रा कर लें और लिख कर मेरे पास भेज दें मैं उसे नियम कमेटी के पास भेज दूंगा तो वह नियम कमेटी में आ जायेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---इसीलिये तो श्री नरसिंहनारायण जी ने प्रस्ताव रखा है कि सदन को ही इसका अधिकार हो और पंचमांश खड़े होने वाले नियम को निलम्बित कर दिया जाय। क्योंकि पार्लियामेंट में तथा बिहार असेम्बली में भी दशांश खड़े होने का ही नियम है। हाउस आफ कामन्स तक में कोई शर्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष---इस सम्बन्ध में नियम २४७ है तथा नियम ३११, ३१२ और ३१३ में भी सब दिया हुआ है। सब जगह यही नियम है कि पंचमांश ही खड़े होते हैं।

श्री उग्रसेन---सारी बात यही है कि अगर कोरम के लिये दशांश यानी ४३ ही मान्य है तो अविश्वास प्रस्ताव के लिये भी कोरम वाली संख्या को ही माना जाय। जैसा कि पार्लियामेन्ट व बिहार असेम्बली में भी है।

श्री अध्यक्ष---आप दोनों इसको विदड्रा कर लें और मेरे पास भेज दें मैं उन्हें नियम कमेटी में भेज दूंगा।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)---मैं तो नियमों में परिवर्तन चाहता हूं जैसे आप चाहें उसे करा दें।

श्री अध्यक्ष---श्री दीपनारायणसिंह जी आप इसको भेज देंगे तो मैं इसको कमेटी में रख दूंगा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---मुझे केवल दो मिनट एक्सप्लेन करने के लिये दे दें उसके बाद मैं आपकी बात मान लूंगा।

राजस्व मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आप को अधिकार है आप इसको सीधे रूल्स कमेटी में भेज दें इस समय सदन की आबोहवा खराब है लिहाजा इसे रूल्स कमेटी में भेज दिया जाय और वहीं इस पर विचार हो जायगा।

कुंवर श्रीपाल---ठीक है जैसा माननीय राजस्व मंत्री जी कह रहे हैं आप इसे वहीं भेज दें वहीं विचार हो जायगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है रूल्स कमेटी में भेज दिया जायगा।

श्री दीपनारायणसिंह---श्रीमन्, हवा खराब तो उधर से ही आई है इस लिये मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---"आबोहवा खराब है" यह बहस का हिस्सा नहीं था।

श्री दीपनारायणसिंह---इस को ले लें।

श्री अध्यक्ष---अब कुछ नहीं।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६२

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि आम तौर पर १ और २ के बीच में वोटिंग नहीं होती है लेकिन आज विशेष परिस्थिति में वोटिंग होगी।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---मैं जरा सी बात कहने की माफी चाहता हूं कि आपने तय किया था कि ढाई बजे तक एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस होगी और वह वक्त अब गुजर गया है सिर्फ ४५ मिनट बाकी हैं मेरी दरखवास्त है कि उस के लिये ढाई घंटे दिये जायं और बाद में दूसरी बहस के लिये वक्त और बढ़ा लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---इस वक्त पौने २ बजे हैं तो ४ बजे तक इसे रखे लेते हैं और ४ से ६ तक वह विवाद हो जायगा, यह ठीक होगा ।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप एप्रोप्रियेशन बिल के लिये चाहे जितना समय रख दें और बहस के लिये भी रखें लेकिन मेरी प्रार्थना है कि ५ के बाद इसे न बढायें, इसी बीच के समय को दोनों के लिये बांट दें क्योंकि ऐसा ही एजेंडे पर रहा भी है ।

श्री अध्यक्ष---आज तो ६ बजे तक ही मान लीजिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---हमारी मांग है कि सदन आज ७ बजे तक चले ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---श्रीमन्, अध्यक्ष आज्ञा का तो पालन करना ही है लेकिन इस मामले में आप को सदन की राय लेना चाहिये । यह २ घंटे का समय जो इस प्रकार गया उस के हम जिम्मेदार नहीं हैं और जो जिम्मेदार हैं वह समय भी लें और समय उन के लिये बढ़ाया भी जाये यह जरा दिक्कत में डालने वाली बात होगी ।

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, ९६२ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६२ को पुरः-स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)---श्रीमन्, सवा और सवा २ बजे के बीच वोटिंग नहीं होती है . . . .

श्री अध्यक्ष---इसीलिये मैंने शुरू में ही कह दिया कि उस का अनुसरण आज की विशेष परिस्थिति में नहीं हो सकेगा और यह एक फाइनेन्स बिल है ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६२ पुरःस्थापित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६२ (The Uttar Pradesh Appropriation Bill, 1962). पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---वित्त मंत्री जी इस पर आप भाषण देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कोई आवश्यक नहीं है, पेश हो चुका है और जिनको कुछ कहना हो कहें ।

(इस समय १ बजकर ४९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए ।)

श्री जेड० ए० अहमद—मान्यवर, बजट के ऊपर बहस खत्म हुई और इस लम्बी बहस में हमने बहुत सी बातें सुनीं और सीखीं। मुझे अन्देशा है और शक है कि हमारी सरकार ने न कुछ बातें सुनी और न कुछ बातें सीखीं। मेरी बदकिस्मती है कि जब हमारे फायनेन्स मिनिस्टर बोल रहे थे तो मैं हाजिर नहीं हुआ। लेकिन उनकी तकरीर को मैंने बड़े इतमीनान से पढ़ा। फायनेन्स मिनिस्टर की स्पीच एक अच्छी स्पीच थी बहुत अच्छे अल्फाज थे और कहीं कहीं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नहले पर दहला मारा। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ जब उन्होंने यह कहा कि विरोधी पक्ष की तरफ से जो भाषण हुए हैं उनमें कोई डायरेक्शन नहीं है। मुझे ताज्जुब इसलिये हुआ चूंकि एक दिशा जरूर थी और मैं बताऊंगा वह दिशा क्या थी। यह हो सकता है कि अलग अलग अपने दृष्टिकोण से हमने सरकार की आलोचना की हो और यह भी सम्भव है कि जिस गठे हुए तरीके से चीजों को रखना चाहिये था वह सम्भव न हुआ हो, बहुत से बोलने वाले भाई उस तरीके से न रख सके हों। जाहिर है हमारे पास वह सुविधाय नहीं हैं, हमारे पास वह सेक्रेटेरियट नहीं है जिस सेक्रेटेरियट की मदद से हमारा मंत्रिमंडल बहुत सी बातें कर लेता है, बहुत से आंकड़े इकट्ठा कर लेता है, बहुत से बयानात और स्पीचेज तैयार करवा लेता है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी चाहे किसी दल का बोलने वाला हो, किसी भी दृष्टिकोण से किसी विशेष सवाल को देखा हो लेकिन सब एक समान सूत्र थे। उनकी आलोचना की एक दिशा थी। बावजूद इस बड़े एक्सपेंडीचर के आज १० साल के बाद यू० पी एक पिछड़ेपन की दलदल में है और उस दलदल से यू० पी० निकल नहीं पा रहा है क्योंकि मैं उम्मीद करता था कि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से हमारे भाई बोलेंगे वह इसका जवाब देते क्यों आखिर बजट फूलता जा रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है लेकिन यू० पी० का विकास कम हुआ और तेजी से विकास होने की संभावना दिखाई नहीं देती इस आलोचना को गंभीरता से लेना चाहिये था। यह आलोचना महज चन्द आदमियों की नहीं है, यह आलोचना उन लोगों की है जिनके पीछे इस प्रदेश के लगभग ६५ फीसदी वोटस हैं। इसलिये इसे गंभीरता से देखना चाहिये, सुनना चाहिये और सुन कर जहां कमजोरी हो उसे मानना चाहिये और जहां हमारी गलती हो हमें बतलाना चाहिये। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह नहीं हुआ। बल्कि जो स्पीकर ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से बोले उन्होंने इस बात का इजहार किया कि सब मामला बहुत अच्छा है, कोई असंतोष की गुंजायश नहीं है, यू० पी० बड़ी तेजी से आगे तरक्की करता जा रहा है। लेकिन यह हकीकत से बहुत दूर है। संतोष का वातावरण दिखाई पड़ा। मैं समझता हूं कि सरकार एक संतोष के वातावरण में रहती है। अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाती और उन रास्तों को नहीं निकाल पाती जिन के जरिये उसे जनता में स्थान बनाना है और संतोष पैदा करना है।

माननीय फायनेन्स मिनिस्टर की स्पीच को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। उसमें बहुत अच्छे अल्फाज, सुन्दर अल्फाज थे जिसके वह माहिर हैं। वह काबिल आदमी हैं। पुराने और अनुभवी आदमी हैं। लेकिन उन अच्छे अल्फाज के पीछे मुझे एक उलझाव मालूम हुआ। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कुछ पस्त हिम्मती भी मालूम हुई कि क्या किया जाय, यह प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश है जो ब्रिटिश सामन्तशाही के नीचे दबा हुआ प्रदेश था। आज हम उसमें से निकले हैं। हम समाजवादी नहीं हैं। हमारा जो समाज है वह एक विशेष किस्म का है। हमारा समाज समाजवादी नहीं है। अगर समाजवादी नहीं है तो क्या पूंजीवादी है? पूंजीवादी भी नहीं है तो कैसा समाजवादी है? यह सरकार नहीं जानती। एक ऐसा समाज है जो पिछड़ेपन से निकल कर उस हालत में पहुंचना चाहता है जहां लोगों की भलाई हो, सबको मौका मिले, गरीबी दूर हो। मैं मानता हूं कि यह समाजवादी समाज नहीं है। मैं मानता हूं कि यह पिछड़ा हुआ समाज है लेकिन पिछड़ा हुआ समाज पूंजीवादी दायरे के अन्दर फंसा हुआ है और एक ऐसा समाज है जिसके लिये दिशायें पैदा करनी हैं और वह दिशायें खुद कांग्रेस अपने प्रस्ताव में पेश कर दी हैं यानी इस पिछड़ेपन से निकल कर एक सोशलिस्टिक पेटर्न आफ

सोसाइटी क्रियेट करनी है, वह चीज साफ तौर पर आनी चाहिये। आप कहते हैं कि जो हम फरमाते हैं वह वास्तव में सोवियेट यूनियन में भी नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं है, दुनिया में उसकी पूरी तौर से रचना ही नहीं हुई तो हम कैसे सोशलिज्म पर कूद कर पहुंच जायेंगे। मैं कहुंगा कि दुनिया में सोशलिज्म है। अगर आप पढ़ें तो मालूम हो जायगा कि सोवियट यूनियन ने माना है कि वह सोशलिज्म की मंजिल तक पहुंच गया है और अब वह कम्युनिज्म की तरफ जा रहा है। इस तरह से आप सोशलिज्म और कम्युनिज्म को उलझा देते हैं। सोशलिज्म हो जायगा तो स्टेट खत्म हो जायगा यह मार्क्स ने कहीं नहीं कहा। तो समाजवाद और साम्यवाद के तरीकों में जो फर्क है इसे आप समझ नहीं पाये हैं। आपने फरमाया कि एक विशस सर्किल है, एक खतरनाक चक्कर है कैसे निकला जाय? पैदावार को बढ़ाना है तो पहले उद्योग बढ़ाने होंगे। उद्योग को बढ़ाना है तो कच्चा माल लाना होगा, कच्चा माल लाना है तो मेहनत लानी होगी और उसके लिये मजदूरी देनी होगी। एक समस्या को दूसरी समस्या से जोड़ दिया और इस तरह से यह एक विशस सर्किल हो जाता है। इसे कहीं न कहीं तोड़ना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है? और आप जब कहते हैं कि विशस सर्किल है तो साफ साफ बताना चाहिये कि इस विशस सर्किल को यहां तोड़ा जायगा और इस तरह से खत्म किया जायगा।

अब, जो ज्यादा पैदावार का सवाल है मैं इसको सही माने में सब से बड़ा सवाल समझता हूं चूंकि बजट आपकी टोटल प्लानिंग से अलग नहीं देखा जा सकता। मैंने अपनी पिछली तकरीर में भी यही कहा था कि बजट प्रतीक है सरकार की आर्थिक नीतियों का। यह बिल्कुल ठीक बात है और मैं समझता हूं कि इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। अब अगर उस बजट में हमको यह झलक मिलती है कि सरकार की आर्थिक नीतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से सूबा इस दल-दल से नहीं निकल पाता तो जाहिर है कि उस बजट की हम आलोचना करेंगे और डट कर आलोचना करेंगे और उस बजट के पीछे जो आर्थिक नीतियां हैं उनकी हम आलोचना करेंगे।

अब मुख्य सवाल के ऊपर मैं आ जाता हूं चूंकि वक्त कम है जिसको मैं अंग्रेजी में कहूंगा कि "What is the basic problem of an economy like ours." हमारी आर्थिक व्यवस्था की बुनियादी समस्या क्या है? बुनियादी समस्या यह है कि हमारे जैसे पिछड़े देशों में कैपिटल एक्युमुलेशन इतना नहीं होता कि जिसके जरिये से पैदावार के साधन तेजी से बढ़ाये जा सकें और फिर देश की पूरी आमदनी को बढ़ाया जा सके और फी कस आमदनी को बढ़ाया जा सके। जब कपिटल एक्युमुलशन नीचे स्तर पर होता है तो अनएम्पलायमेंट और अन्डर-एम्पालायमेंट बड़े पमाने पर होता है। और जो मुख्य बात है वह यह कि समाज में जो एकोनामिक सरप्लस है वह भी कम है चूंकि आर्थिक बचत कम है। इसलिये उस बचत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ताकि पैदावार तेजी से आगे बढ़े। यह समस्या उस समाज की विशेष समस्या है जिसने अभी अपनी आजादी प्राप्त की है लेकिन अभी तक वह समाजवाद की ओर नहीं बढ़ा है और पूंजीवादी खमीरे के अन्दर फंसा है। उससे आगे निकलने का एक ही तरीका है जिसको मैं अंग्रेजी में कहूंगा "Intensification of capital accumulation" ताकि पैदा-वार के साधन बढ़ाये जा सकें और उसके आधार पर खुशहाली बढ़े जब पूंजी का संग्रह ज्यादा हो तो उसका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो। यह सवाल आज हर पिछड़े हुये देश के सामने है। अब, इसके लिये दो, तीन प्रारम्भिक चीजें करनी जरूरी हैं। एक तो सामन्ती पैदावार के तरीकों को खत्म करना और कृषि क्षेत्र में ऐसे पैदावार के तरीकों को लागू करना जिससे कि जो हमारा बुनियादी धन "दौलत का जरिया" है—खेती—उससे साल-ब-साल हमारी अधिक बचत होती चली जाय, यानी फी एकड़ पैदावार को सामन्ती तरीकों को खत्म कर के नये तरीकों से बढ़ाना, चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। दूसरी चीज जो हमारे देश की इकोनोमिक सरप्लस है उसको प्रोडक्टिव चैनल्स में डायरेक्ट करना। जिस तरह से पिछड़े हुये देश में अंग्रेजों के जमाने में नौकरशाही के ऊपर ही हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बचत का चला जाता था जिसे टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वह हमारा पया खा जाता था, उस तरीके को बदल कर उस खर्चे को कम करें और उस रुपये को प्रोडक्टिव चैनल्स में डायरेक्ट कर दें।

[श्री जेड० ए० अहमद]

तीसरी चीज है कि सिस्टेमेटिक तरीके से सरकार की देखरेख में पब्लिक सैक्टर में और प्राइवेट सैक्टर में अपने देश की पूंजी को इन्वेस्ट करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सरकार की देखरेख में निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में बड़े से बड़े कड़े पैमाने पर सही चीज के लिये पूंजी इन्वैस्ट करें। यह तीनों चीजें हैं इनको आप कर लीजये फिर देखिये कि आपकी उन्नति का रास्ता खुल जाता है।

मैं कहना चाहता हूं कि हिस्ट्री बताती है, तवारीख बताती है कि एकूमुलेशन आफ केपीटल यानी पूंजी का संग्रह इस तरह से नहीं हो सका जिस तरह से कि इंगलैन्ड और फ्रांस में हुआ था। वहां मुकम्मिल आजादी उन लोगों को थी जो फैक्टरी बनाना चाहते थे। लेबर को जिस तरह चाहे रखें और वह जमाना और था। उन्होंने बड़े-बड़े देशों को अपने कब्जे में कर लिया था और वहां की पूंजी अपने देश में ले आये थे। इसलिये वहां पर हालत यह थी कि वहां के केपीटेलिस्टस बड़े पैमाने पर कैपीटल को इंवेस्ट कर सकते थे। लेकिन हमारे गरीब देश में इस तरह से पूंजी के संग्रह करने की गुंजाइश नहीं है और हमारे देश में वह वर्ग नहीं है, खाता पीता वर्ग जो १९ वीं सदी में वहां पैदा हुआ था और जिसने वहां कारखाने और फैक्टरियां बनाई, वैसे मालदार क्लास के लोग हमारे यहां बड़े पैमाने पर नहीं हुए। इसलिये आज हमारे यहां इस बात की जरूरत है कि पूंजी संग्रह की जाय और राज्य की तरफ से इकट्ठी की जाय और उसको इंवेस्ट किया जाय और उसकी सरकार के जरिये देख भाल कराई जाय यानी पब्लिक सैक्टर को बढ़ाया जाय और वह कोआपरेटिव के जरिये बढ़ाया जाय या किसी भी तरह से बढ़ाया जाय। इस प्रकार से उत्पादन के सिलसिले में परिवर्तन लाना है। राज्य के जरिये जो साधन मुहैया हो सकते हैं वे अलग-अलग पूंजी के मालिकों को नहीं हो सकते हैं, उनको राज्य की तरफ से लगाया जाय। यह जो पिछड़े हुये देश हैं उनके अन्दर कैपीटल एकूमुलेशन बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सरकार के जरिये नये-नये उद्योग खुलें और निजी पूंजी उनमें न लगाई जांय। आप अलग-अलग उद्योगों का कोआर्डीनेशन करेंगे और आज एम्प्लायमेंट पोटेंशल को भी बढ़ायेंगे इस तरह से आप अपने यहां इकोनामी को पूरी तवज्जह गे। लेकिन यह सब नहीं हो रहा है।

आप कहते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना खर्च कम किया। बड़ी अच्छी बात है। अंग्रेजों के जमाने में जो खर्चा था ४५ या ६० फीसदी उसको घटाकर ले आये २४ फीसदी पर तो यह बड़ी अच्छी बात है। आपने स्कूल खोले, दवा खाने खोले, बड़ी अच्छी बात है लेकिन यह काफी नहीं है। अगर ऐसी नीति होगी कि यहां खर्चा कम करो या बढ़ाओ तो समाज का ढांचा अपनी जगह पर कायम रहेगा। सामाजिक ढांचे के परिवर्तन के लिये उन फोर्सेज को पैदा करना चाहिये जो समाज में पैदावार के तरीकों के अन्दर तब्दीली करें और उसके आधार पर सेल्फ प्रापेलिंग इकानामी बने। यह आपने नहीं किया। आप चाहे तमगा ले लीजये अपने लिये कि इतने परसेंट सोशल सर्विसेज पर खर्च कर रहे हैं। खर्च करते जाइये। स्कूलों की जरूरत है, डाक्टरों की जरूरत है। लेकिन आप का समाज नीचे दलदल में जा रहा है क्योंकि आपकी आय और उत्पादन इससे नहीं बढ़ेगा, कैपिटल अक्युमुलेशन नहीं होगा, तो पूरी आर्थिक व्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहां मैं सरकार की नीतियों की डट कर आलोचना करूंगा। सरकार का एक प्लांड बजट नहीं है। आप प्लान का बड़ा जिक्र करते हैं। वह काफी नहीं है। दो कारखाने यहां खोल दिये, दो वहां खोल दिये, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको एक मोड़ देनी है। आप की इकनामिक पालिसीज का कोई डाइरेक्शन नहीं है। कोई दिशा नहीं है जिस दिशा का जिक्र आपकी आल इंडिया घोषणाओं में किया जाता है।

टैक्सेशन का सवाल मैं सरकार की इन आर्थिक नीतियों की पृष्ठभूमि में देखता हूं। यह कोई कहे कि टैक्स लगना नहीं चाहिये या टैक्स बढ़ना नहीं चाहिये, तो यह नहीं हो सकता। एक्स पैंडिंग इकानमी में पये की जरूरत है। मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं कि यह कहूं कि एक्स-

पेंडिंग इकानमी में रुपये की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि टैक्स बढ़ना ही नहीं चाहिये। हम कहते हैं कि टैक्स बढ़े लेकिन मुख्य सवाल दो हैं। पहला यह कि टैक्स का बोझ किस पर पड़ता है। दूसरा सवाल यह है कि टैक्सों के जरिये जो रुपया आता है उसका इस्तेमाल कैसे होता है। टैक्स बढ़ाइये लेकिन पहले यह सिद्धांत रख दीजिये कि किस पर टैक्स बढ़ेगा। फिर टैक्सों के जरिये जो रुपया जाता है उसका इस्तेमाल कैसे होगा। दो चीजें तय हो जांय तब बढ़ाइये टैक्स। लेकिन अगर ये दो चीजें उलझी रहती हैं तो टैक्स नहीं बढ़ना चाहिये। अंग्रेजों के जमाने में जमीन पर लगान लगाया गया। अंग्रेजों की नीति थी कि जमीन के चप्पे-चप्पे पर टैक्स लगाओ। लेकिन आज जो अनइकोनामिक होल्डिंग हैं, उन पर टैक्स नहीं होना चाहिये, क्योंकि वह टैक्स देने के काबिल नहीं हैं। उन पर से लगान हटना चाहि । जो दे सकते हैं उन से लेना चाहिये। बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनसे लीजिये। टैक्सों के बढ़ाने का सवाल इन दो प्रश्नों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले दस वर्षों में टैक्स बढ़ाये। आपकी बजट की आमदनी ५१ करोड़ से १५४ करोड़ हो गयी। मैं पूछता हूं कि उस सब पये का क्या हो गया? आप फाइलों में बता दीजिये कि यह हो गया, वह हो गया। आपने थर्ड फाइव ईयर प्लान किताब छापी है। थर्ड फाइव ईयर प्लान के बारे में जो आपने छाप दिया वह शायद सेंटर से ज्यादा रुपया लेना चाहते थे इस-लिये छाप दिया। क्या हालत है यू० पी० की? उसी के आंकड़े लेकर के मैं पूछता हूं। थर्ड फाइव ईयर प्लान का पहला चेप्टर आप पढ़ लीजिये। टैक्स आपके बढ़ गये, आमदनी बढ़ गई, ५१ करोड़ आपकी आमदनी ५०–५१ में थी और १५४ करोड़ ६०–६१ में हो गई। तो अब उसका नतीजा क्या है? मैं तो इस कसौटी पर इसको उतारूंगा कि उस अधिक आमदनी का इस्तेमाल कैसे हुआ और उसका परिणाम क्या निकला और मैं चाहता हूं कि टैक्स लगाने से पहले हमें उसका जवाब दिया जाय कि इस रुपये का किस तरह से इस्तेमाल हुआ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों ५०–५१ और ६०–६१ के दरमियान में जबकि पर-कैपिटा आमदनी सारे हिन्दुस्तान की १६ फीसदी बढ़ी है तो यू० पी० की पर-कैपिटा आमदनी ३ फीसदी बढ़ी है? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि गल्ले का उत्पादन सारे हिन्दुस्तान में ५२ फीसदी बढ़ा और आपके यू० पी० में २२ फीसदी बढ़ा। क्या जवाब है? जवाब दीजिये। यही चीजें हैं जिनका जवाब हम चाहते हैं। टैक्स बढ़ाने के पहले हम इनका जवाब चाहते हैं। पहले इनका जवाब दिया जाय तब टैक्स बढ़ाने की इजाजत दी जाय या नहीं दी जाय इस पर सोचा जायगा। और मैं पूछता हूं–इरीगेटेड एरिया हिन्दुस्तान में ३५.९ प्रतिशत बढ़ा है और यू० पी० में ६.६ प्रतिशत, इसका जवाब दिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि अलग-अलग मदों में जो आमदनी है उद्योगों से–बड़े उद्योग से और छोटे उद्योग से जो आमदनी होती है उसका इन्डे-क्स नम्बर लीजिये तो दस वर्षों के अन्दर आल इंडिया पैमाने पर इन्डेक्स नम्बर ४९–५० में १०० था, ६०–६१ में १५० हो गया। यू० पी० का इन्डेक्स नम्बर इसी मद का १०० से १०१ प्वाइंट हुआ। तो टैक्सों के बढ़ाने का सवाल इन सवालों के साथ जुड़ा हुआ है। दो मिनट और लूंगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि विकास चाहते हो तो और टैक्स देना होगा। यह कोई नयी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं कही। जबसे इस सर-कार ने जन्म लिया तब से यही बात कही जा रही है कि अगर विकास चाहते हो तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। कौन रोकता है आपको टैक्स बढ़ाने से? हम लोग रोक कहां सकते हैं? आपका इतना बड़ा बहुमत है, इतनी आपकी तादाद है हम रोक कैसे सकते हैं? हम तो चिल्लाते हैं और जो हमारी चिल्लाहट है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने अपने तरीके से टैक्स बढ़ाया जिसकी वजह से इतना बड़ा फर्क करीब १०० करोड़ का आपकी आमदनी में आ गया। लेकिन पिछले दस वर्षों में जो टैक्स बढ़ाये गये उसके साथ-साथ उसी के आधार पर हमारी आमदनी भी बढ़ती जाती, जैसे आल इंडिया की बढ़ती जा रही है, मैं तो उम्मीद करता था कि उससे भी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन उसी हिसाब से भी बढ़ती जाती तो कोई बात कहने की हो सकती थी। सन् ५०–५१ में सारे हिन्दुस्तान का फी कस जो औसत था उससे यू० पी० का फी कस औसत ५ ज्यादा था और ६०–६१ में यू० पी० की फी कस आमदनी जो पहले ५

[श्री जेड० ए० अहमद]

प्रतिशत ज्यादा थी वह आज आल इंडिया से ७ फीसदी कम है। तो टैक्सों के बढ़ाये जाने से पहले ये सवाल उठेंगे और लाजिमी तौर से उठेंगे, कोई इसमें शिकायत नहीं कर सकता कि हम नाजायज तरीके से ये सवाल उठा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि रीतियों में परिवर्तन होगा या नहीं, नये तरीके अख्तियार किये जायेंगे या नहीं? हम चाहते हैं कि उत्पादन के सिलसिले में कोई तब्दीली होगी या नहीं? जिस दल-दल में आज यू० पी० पड़ा हुआ है उससे वह निकलेगा या नहीं? हिन्दुस्तान के अन्दर इन पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में लगभग १० हजार करोड़ रुपया इन प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर में दोनों में मिलकर इन्वैस्ट हुआ। उसमें यू० पी० का हिस्सा ६०० करोड़ का है। मैं आपको किताब की टेबिल पेश करता हूं। वरना आप बाद को कहेंगे कि उड़ाई हुई बात है। आप इसको देख लीजिये। यह पेज ९ पर टेबिल नम्बर ७ है जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक ऐन्ड प्राइवेट सेक्टर की बात कही गई है। इसको आप देख लें। इस में लिखा है कि हमारे देश में कुल १०,११० करोड़ रुपया दोनों सेक्टरों में लगा और उस में उत्तर प्रदेश का हिस्सा ६०० करोड़ का रहा।

माननीय वित्त मंत्री जी मुझे माफ करेंगे लेकिन एक बात मैं बिलकुल अन्त में कहना चाहता हूं। अक्सर यह सवाल उठता है कि हम तो डेमोक्रेटिक प्लानिंग कर रहे हैं और आप टोटेलिटेरियन प्लानिंग करना चाहते हैं। खास कर जब कोई कम्युनिस्ट बोलता है तो यह बात जरूर कही जाती है तो उस वक्त यह बड़ी भारी दलील दी जाती है कि हमारी प्लानिंग डेमोक्रेटिक है। लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि आप टोटेलिटेरियन प्लानिंग की बात कहकर डेमोक्रेसी को ही खतरे में डाल रहे हैं। अगर आपकी डेमोक्रेटिक प्लानिंग निकम्मी नहीं है तो यह रुपये का कैपिटल फार्मेशन होना क्यों नहीं रुकता है? अगर आपकी डेमोक्रेटिक प्लानिंग है तो यह मुनाफा क्यों नहीं रुकता है? फिर भी आप कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्लानिंग है। मैं अर्ज करता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता आज इस बात को चाहती है कि आप एक साफ तस्वीर उसके सामने रखें। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो जनता की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन जनता की बात जरूर कहता हूं। आप डेमोक्रेटिक प्लानिंग के नाम पर हर चीज को कवर कर देते हैं तो यह खतरनाक टेंडेन्सी है। सिर्फ हवाई बात हिन्दुस्तान में ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जब किसी आदमी को यह कहते सुनता हूं कि यहां पर अयूब की तरह से कोई डिक्टेटर आजाय तो मेरा खून खौलने लगता है और घबराहट पैदा होती है। मगर यहां पर यह हालत है कि डेमोक्रेसी के नाम पर हर चीज को दबा दिया जाता है। इस तरह से यह होगा कि एक वक्त आयेगा और ये लोग देखेंगे कि अरबों और करोड़ों रुपये का फायदा जनता को नहीं मिला तो यहां पर कोई तानाशाह मुमकिन है आकर बैठ जाय और हम भी मारे जांय और आप भी मारे जांय। हम नहीं चाहते कि इस तरह से हो। हम चाहते हैं कि यह पार्लियामेंटरी सिस्टम रहे। आप भी नहीं बचेंगे और हम भी नहीं बचेंगे....

श्री कमलापति त्रिपाठी---अब आपके विचारों में परिवर्तन हो रहा है।

श्री जेड० ए० अहमद---जब तक मैं जिन्दा हूं विचारों में परिवर्तन होता रहेगा और जिन्दगी के साथ परिवर्तन होता रहता है। आप भी जिन्दा हैं और आपकी जिन्दगी है तो आपके विचारों में भी परिवर्तन होता रहेगा। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जो बातें हमने कहीं, हो सकता है आप उन पर ध्यान न दें, लेकिन जो इतने पढ़े-लिखे लोग यहां पर इधर आये हैं ये भी गरीब जनता के नुमायन्दे हैं। इन्होंने भी बहुत-सी बातें दलीलों के साथ कहीं हैं जो बातें बहुत ठोस और सराहनीय हैं। मैं चाहता हूं कि उनका आदर किया जाय और उनकी इज्जत की जाय। हम आपकी आलोचना इसलिये नहीं करते कि आलोचना करने से हमको कोई खुशी नहीं होती है। मुझे तो सोचना पड़ता है कि अगर आलोचना हो तो वह नाजायज तरीके से न हो। ठीक हो और सिद्धान्त के आधार पर हो तो उसके लिये सोचना पड़ता है। अगर हमारे किसी भाई ने इस खयाल को नहीं रखा है तो उसको यह खयाल रखना चाहिये। उधर से कहा गया कि सेन्टर का वकील बनकर

में यहाँ पर बात करता हूं ? अरे भाई, न मैं आपका वकील हूं न सेंटर का। वहां की जो कमियां हैं जब वहां था तो उनको कहा करता था, यहां हूं तो जो कह रहा हूं, आपके सामने है। लेकिन मैं दो साल से परेशान हूं इस बात के लिये कि जो चीज यू० पी० में होती है उसे यह कह कर टाल दिया जाता है कि सेंटर नहीं देता। हमारे यहां के मंत्रियों की कांफ्रेन्स दिल्ली में हुई, यहां भी आपने कांफ्रेस बुलाई, इत्तफाक से उसमें मैं शामिल नहीं हो सका, बीमार था, लेकिन यह अब एक थ्योरी बन गयी है। लेकिन इस तरह से आप अपनी पोल को ढक नहीं सकते। हम चाहे जितना चिल्लायें, लेकिन सोचिये तो कि सेन्टर कितना देगा। ५ करोड़ से ज्यादा आप नहीं चाहते, उससे क्या फर्क पड़ जायेगा १५४ करोड़ के बजट में। सवाल यह नहीं है कि सेन्टर ज्यादा देता है या कम, वैसे अगर कम देता है तो हम भी सत्याग्रह करेंगे पार्लियामेंट के सामने, बस आप तैयार हो जाइये, अगर न्याय की बात हो तो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहां की सरकार सही नीतियां बरते। आपने पिछले दस साल में कुछ नहीं किया और इसीलिये आज आप दलदल में हैं और इस योजना में भी आप सब से नीचे हैं। उद्योगों के आउटले में तो आप सब से नीचे हैं इसलिये कि आप कछुवे की चाल से चल रहे हैं। न सही खरगोश या घोड़े की चाल से, लेकिन कुछ तो तेज चलिये अगर उनको पकड़ना है तो, वरना यू० पी० परमानेन्ट स्लम हिन्दुस्तान का मान लिया जायगा और मैं नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश उस हालत में पहुंचे। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप गंभीरता के साथ सोचें और अपनी नीतियों को बदलें और एक नया यू० पी० बनाने के लिये, खुशहाल, इंडस्ट्रियलाइज, तरक्की याफता यू० पी बनाने के लिये अपनी नीतियां निर्धारित करें। जो रोल यू० पी० ने पिछले १०० सालों में अख्तियार किया है उसका वही रोल रहना चाहिये और वह हमारे और आप के लिये गर्व की बात होगी।

श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। अब इतने दिन के बजट के बाद आज हम लोग माननीय वित्त मंत्री को राइट आफ एप्रोप्रियेट देने जा रहे हैं। मैं इस बिल पर सारी बातें कहने की आवश्यकता नहीं समझता, परन्तु दो एक बातों के लिये जरूर आगाह करना चाहता हूं।

श्रीमन्, इच्छा उनकी भी है कि प्रदेश की तरक्की हो और मैं किसी की नीयत पर संदेह करता नहीं और मेरी भी इच्छा है कि यह प्रदेश हिन्दुस्तान का स्लम न बने, यह इस देश की गरीबी का ज्वलंत प्रमाण न हो। तो आखिर यह कैसे रोका जाय ? आज दस बारह वर्ष से वित्त मंत्री को पर्याप्त धन मिलता है खर्च करने के लिये और प्रति वर्ष हमारे सामने यह बात आती है कि घाटे का बजट है, किन्तु अन्त में वह सरप्लस हो जाता है' सेविंग्स होने लगती है। इसका मैं क्या अर्थ समझूं उनको स्वयं ही अपनी आर्थिक स्थिति की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। वे अपनी आमदनी को अंडर एस्टीमेट करते हैं और खर्च को ओवर एस्टीमेट, और परिणाम यह होता है कि जो समाज के ऊपर का ढांचा खड़ा है, जिससे समाज के अन्दर उत्पादन बढ़ सकता है, उन के कार्यों की ओर दुर्लक्ष्य हो जाता है।

पिछले दस वर्षों में उन्होंने जो सेविंग की है उसके आंकड़े मैं आपके सामने रख दूं :—

सन् १९५०–५१ में १६.९ परसेंट।
सन् १९५१–५२ में २१.२ परसेंट।
सन् १९५२–५३ में ९.२ परसेंट।
सन् १९५३–५४ में ३८.६ परसेंट।
सन् १९५४–५५ में २४.५ परसेंट।
सन् १९५५–५६ में १२.९ परसेंट।
सन् १९५६–५७ में १०.३ परसेंट।
सन् १९५७–५८ में ९.४ परसेंट।

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

सन् १९५९–६० के आंकड़े में दे नहीं सकता । तो उसका स्पष्ट अर्थ है कि वास्तव में उनका बजट घाटे का नहीं है । बल्कि वे खर्च नहीं कर पाते । मैं यह नहीं कहता कि जो नेशन बिल्डिंग के और समाज के उत्थान के कार्य होते हैं, उनके लिये खर्च नहीं होता है, या वह अन्धाधुन्ध रुपया फेंकते हैं । परन्तु जो वास्तव में खर्च होना चाहिये, कई बार वह भी आप नहीं करते । इस प्रकार से समाज की दशा कैसे सुधरेगी ।

आज सेल्फ प्रोपेल्ड इकानमी की बड़ी चर्चा है । परन्तु प्रश्न यह है कि वह बनेगी कैसे ? क्या सेल्फ प्रोपेल्ड इकानमी स्टेट कैपिटलिज्म से बनेगी ? क्या सारे राज्य के अन्दर केन्द्रीभूत कर देने से वह सारे दोष पूंजीवाद के दूर हो जाते हैं ? इससे सेल्फ प्रोपेल्ड इकानमी नहीं वरना सेल्फ स्लेव इकानमी बन सकती है । इससे हर व्यक्ति का ह्रास होगा । अगर आप इस प्रदेश को सेल्फ प्रोपेल्ड इकानमी के ढांचे में लाना चाहते हैं तो आप को इन्डिपेन्डेन्ट स्माल स्केल इन्टरप्रिनोर्ट को बढ़ावा देना होगा जिसे आप स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कहते हैं । उसी से मेरा तात्पर्य है । वास्तव में विकेन्द्रित उद्योग जिसको आप कहते हैं, वही मैं चाहता हूं । इस ओर जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक वह पावर पर बेस नहीं होगा तब तक पूंजी का विकेन्द्रीकरण जरूर होगा । सेल्फ प्रोपेल्ड इकानमी अपने आप चलने वाली जो अर्थव्यवस्था होती है वह तभी हो सकती है कि जब पूंजी भी विकेन्द्रित हो । प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा हो, उसकी आमदनी बढ़े । नौकरों की आमदनी बढ़ने से क्या लाभ होगा । आज वह सौ रुपये पाते हैं कल सवा सौ पाने लगेंगे । आप भृत्य आर्थिक व्यवस्था का भले ही निर्माण कर लें किन्तु उससे कोई लाभ नहीं होगा । आप अपने मस्तिष्क में स्वयं स्पष्ट हैं । क्या यह राज्य १९ वीं सदी के पूंजीवाद की ओर जाना चाहता है अथवा वास्तव में आप समाजवाद की ओर इसे ले जाना चाहते हैं ? आपके विचारों में द्वैत है और इसी कारण से आप पब्लिक सेक्टर की योजना बनाते हैं, और उसे धीरे–धीरे चलाते हैं । साथ ही प्राइवेट सेक्टर भी चलता है और उसे प्रोत्साहन मिलता जाता है । आप दोनों नावों पर नहीं सवार हो सकते । यह इस प्रदेश की ट्रेजडी है कि यहां दोनों नावों पर चलने का प्रयास हो रहा है । समाज को ऊपर ले जाने का जो मार्ग है उसे छोड़ कर आप इस ओर जा रहे हैं और आपके बजट में बराबर इसी बात का चित्रण है । बजट में सरकार ने अपनी उन्नति के लिये एक ही बात को प्रमाण माना है कि यहां इतने नाले बन गये, वहां इतने नाले बन गये, यहां एक हैन्ड पम्प लगा, वहां दस हैंड पम्प लगे । इससे उत्थान विशेष होने वाला नहीं है । वास्तव में शासन का कौशल इस बात में है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपकी सीमायें हैं, उनका अधिक से अधिक ठीक ढंग से उपयोग और मैक्सिमम बेनीफीट आप समाज को दे सकें । यह कौशल शासन में नहीं दीखता । मेरा स्पष्ट आरोप है कि इस शासन के अन्दर जो ब्योरोक्रेसी है, जिसके माध्यम से यह अपने कार्य सफल करना चाहते हैं, वह ब्योरोक्रेसी आज यह नहीं चला रहे हैं, आज वह ब्योरोक्रेसी इनको चला रही है और यह चित्र बड़ा स्पष्ट आ रहा है । मैं एक ही उदाहरण दे दूं । बाकी सारे बजट में यह सेविंग कर लेते हैं, लेकिन पुलिस बजट में ओवर एक्सपेंडिचर होता है । जितनी ग्रान्ट यहां मंजूर होती है उस से ज्यादा हर साल खर्च करते हैं । मैं आपकी आज्ञा से कुछ आंकड़े दे दूं । १९५५–५६ में ११ लाख से ज्यादा खर्च किया गया । १९५६–५७ में ८७ हजार से ज्यादा और १९५८–५९ में ३१ लाख और १९६० में १ लाख ७५ हजार ५९२ रुपया ज्यादा खर्च हुआ । और इतना ओवर स्पेंड करने के बाद भी आज इस प्रदेश की क्राइम सिचुयेशन क्या है ? रोज जुर्म बढ़ते जा रहे हैं ।

इसी सदन में जब यह प्रश्न होता है कि यह जुर्म क्यों बढ़ रहे हैं तो सीधा सादा एक व्हाइटवाश करने वाला उत्तर दे दिया जाता है । अब जुर्म ईमानदारी के साथ दर्ज किये जाते हैं और उसके हमने आदेश दे दिये हैं । मैं पूछता हूं कि अब अगर ईमानदारी से रिकार्ड किये जाते हैं तो क्या पहले वे छुपाये जाते थे ? आज केवल यह जरूरी नहीं है कि आप उनको यह हिदायत कर दें कि जुर्म ठीक तरह से रिकार्ड किये जायं, आज जरूरी यह है कि आप जुर्म बढ़ने के कारण क्या हैं, उनको देखें ।

जुर्म बढ़ने का आज मुख्य कारण यह है कि आपके प्रदेश में गरीबी बढ़ गयी है । पुलिस पर जितना खर्च बढ़ता जा रहा है वह इस बात का द्योतक है कि ब्योरोक्रेसी पर आपका काबू नहीं है । मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रख देना चाहता हूं । मैं एक मिनट के लिये यह मान लेता हूं कि आपकी सब योजनायें ठीक हैं, लेकिन फिर भी वे ऐसी हैं कि मिनिस्टर लोग उसको सम्भाल नहीं पाते हैं । उदाहरण के लिये आप देखें श्रीमन्, कि सन् १९४६ में बगेन का पुल बनना शुरू हुआ और सन् १९५० तक यह बनता रहा और इसके बनाने वाले ठेकेदार सन् १९५६ में मर गये । उसके बाद वह पुल रोक दिया गया । वह काम फिर शुरू नहीं किया गया । तो उस पर जितना रुपया उस समय तक खर्च हुआ वह क्या हुआ ? अगर वह पुल कम्पलीट नहीं हुआ तो वह सब वेस्ट हुआ । अगर वेस्ट नहीं हुआ तो फिर उसका क्या हुआ ? अगर पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर महोदय इस समय यहां होते तो मैं उनसे पूछता । आखिर जिस समय यह योजना बनी, वह या तो गलत थी, या फिर मंत्रिमंडल में उस पर जितना विचार होना चाहिये था वह नहीं हुआ ।

आगे देखें श्रीमन् । जब यहां ब्योरोक्रेसी की बात होती है और भ्रष्टाचार की बात होती है तब हमारे मंत्री महोदय कह देते हैं कि बार-बार इसके लिये क्यों चिल्लाते हो । हमारे यहां सभी ईमानदार हैं, शुद्ध बुद्धि के हैं, और बड़ी तारीफ करते हैं अपने टैक्निकल इंजीनियरों आदि की । श्रीमन्, ब्योरोक्रेसी के सफल कार्य करने के लिये यह परम आवश्यक है कि उनके अन्दर गुट बन्दी नष्ट होनी चाहिये और अगर यह नहीं होती तो एक दूसरे के छुरा भोंकने का बराबर लोग प्रयास करते रहेंगे और शासन सफल नहीं हो सकता । इस प्रदेश के सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स में इतनी गुटबन्दी है कि एक इंजीनियर की सारी सर्विस के बाद, जब उसका रिटायरमेंट नजदीक आता है तो एक गुमनाम पत्र के आधार पर उस पर गबन का आरोप लगाया जाता है तथा और लोगों के खिलाफ जिनके विरुद्ध गबन के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध होने से मेरा मतलब यह नहीं है कि उन पर कोई केस आदि चला है उसमें साबित हो चुका है, बल्कि उसके बारे में उनके करेक्टर रोल्स में जिक्र है, उस विषय में उनके खिलाफ एन्ट्री है, उनको प्रमोशन दिया जाता है । जूनियर लोगों को सीनियर को सुपरसीड करके प्रोमोशन दिया गया है । एक गुमनाम पत्र लिख दिया किसी के खिलाफ और उसके खिलाफ एक्शन ले लिया । मैं पूछता हूं ऐसी चीजों को रोकने के लिये मंत्रि मंडल ने क्या प्रयास किया है ? अभी यहीं सदन में श्रीमन्, एक एस० एस० पी० का मामला आया था । उस पर करप्शन आदि का आरोप लगाया गया था । क्यों इसको ए० आई० जी० बना दिया गया ? जिस आदमी पर अनेकों भ्रष्टाचार आदि के आरोप हों, उसका प्रमोशन क्यों होगा ? क्या यह सत्य नहीं है, माननीय मंत्री जी अगर चाहेंगे तो मैं उनके नाम भी दे दूंगा, कि आज भी पुलिस के थाने एस० पी० के द्वारा बेचे जाते हैं और जो बेचते हैं उन्हीं का प्रमोशन होता है । मेरा स्पष्ट विचार है कि यह जो गुटबन्दी है, यह गुटबन्दी के आधार पर ही प्रशासन में ब्योरोक्रेसी का उत्थान और पतन होता है । इसको आप बन्द कर दें शासक दल की गुटबन्दी अफसरों के अन्दर नहीं आनी चाहिये, लेकिन दुर्भाग्य से वह है । आज यह प्रशासन की ढिलाई का बड़ा भारी कारण है । मैं नाम नहीं लेता, जो अधिकारी कल अपात्र था, शासन करने की उसमें क्षमता नहीं थी वह एक गुट का शासन बदलते ही आज शासन के लिये महान् बृहस्पति हो गया । अगर शासन चलाना है और जितनी योजनायें, गलत या सही उनको सफल करना है तो जिनके द्वारा यह काम करना है उनकी गुटबन्दी को बन्द करना पड़ेगा ? दूसरे, उनकी जो ब्यूरोक्रेटिक मेंटेलिटी है, जिसको मैं कहूं कि ब्यूरोक्रेसी के लिये, 'forms are more important than forms' इसको बदलना चाहिये । आज समाज के अन्दर असंतोष का एक बड़ा अंग यह है कि आपके यहां शिकायतें आती हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती । जो रेड टेप है उसको फौरन बन्द किया जाना चाहिये और शासन के अन्दर ह्यूमन टच आना चाहिये, जोकि इस समय नहीं है । आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्तिगत टच होना चाहिये जिसका सर्वथा अभाव है और इस अभाव के कारण आपकी योजनायें ऐब्सट्रैक्ट हो जाती हैं । उसके बहुत से प्रमाण मौजूद हैं । मिर्जापुर का जो बांध है, नाम भूल रहा हूं, वह बेकार साबित हुआ, दूसरा बनता है । योजना बनती है, बिगड़ जाती है । योजना का एक एस्टीमेट आते ही वह खत्म होते-होते ७ करोड़

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

से ३२ करोड़ तक पहुंच जाता है । यह किस बात का दिगदर्शक है ? सच तो यह है कि जितना विवेक और विवेचना होनी चाहिये वह नहीं है । कोई चीज बनानी है तो जल्दी से बनाकर खड़ी कर दी । साधन उसके लिये पर्याप्त है या नहीं है, उससे प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचेगा या नहीं, इसके अन्दर क्या दिक्कतें आयेंगी, इसका कोई भी विवरण और दिग्दर्शन नहीं है, कोई ऐंटिसिपेशन नहीं है । इसके लिये आवश्यक है कि आप यह दृष्टिकोण बदलें और ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करें उसके बाद डिटेल्ड इनफार्मेशन, "ए" से "जेड" तक प्रस्तुत होनी चाहिये । हर पासिबिलिटी और कांटीजेंसी सामने होनी चाहिये । मैं नहीं कहता कि हर एक मनुष्य बृहस्पति या भगवान है, लेकिन ५ परसेंट फ्लकचुएशन हो सकता है, उससे अधिक नहीं । कहां ७ करोड़ और कहां ३२ करोड़ । इसका स्पष्ट अर्थ है कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है हरीडली स्कीम बनी है । आज यही कारण है कि जितना पैसा इस सूबे की योजनाओं में लगता है उसके अनुपात में जो लाभ होना चाहिये वह नहीं होता ।

मैं बड़ी-बड़ी योजनाओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप आज जो बड़ी-बड़ी योजनायें लागू कर रहे हैं उनके बदले इमीडिएट रेमेडी, तत्क्षण रिलीफ, पब्लिक को मिलना चाहिये वह इन योजनाओं से प्राप्त होने वाला नहीं है । क्योंकि इन बड़ी-बड़ी योजनाओं को मैट्योर होते-होते समय लगेगा । उदाहरण के लिये सिंचाई की योजना है । बड़ी-बड़ी नहर बनाकर जो आपने इस योजना को शुरू किया इसका रिटर्न १० साल बाद मिलेगा । यह तो वही मिसाल है कि घर में आज आग लगी और उसको बुझाने के लिये अभी कुआं खोदा जाय ताकि १० वर्ष बाद बुझ सके । इसलिये छोटी-छोटी योजनायें लीजिये । जनसंघ ने कई बार कहा । पिछली बार माननीय चरणसिंह ने कहा था कि सेचुरेटेड इर्रिगेशन की दृष्टि से छोटे-छोटे कुयें बनाकर हम सारे प्रदेश में सिंचाई का प्रबन्ध करेंगे, २ करोड़ रुपया इसके लिये रखा गया था कि परशियन व्हील बनाकर कार्य करेंगे । मैं नहीं जानता कि उसमें कहां तक सफलता हुई, क्योंकि उसकी कोई चर्चा नहीं हुई । तो मेरे कहने का इतना अर्थ है कि बहुत बड़ी-बड़ी योजनायें हम लें, परन्तु जो इम्मिडिएट रिलीफ की आवश्यकता जिन छोटी-छोटी योजनाओं से पूरी हो सकती हैं उनको प्राथमिकता दें और प्रायोरिटी देने के प्रश्न में उनको लें ।

इसके साथ-साथ एक साधारण शिकायत आडिटर जनरल की रिपोर्ट में आप बराबर देखेंगे कि पैसे का मिस्यूज हो रहा है ।

अब मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं कि किस प्रकार दिन दहाड़े स्पष्ट शब्दों में सरकारी विभागों से घूसखोरी के लिये पत्र लिखे जाते हैं । एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, माताटीला डैम डिवीजन ने एक कन्ट्रैक्टर को पत्र लिखा जिस कन्ट्रैक्टर के सारे कागजात बनकर इन्जीनियर महोदय के दफ्तर में मौजूद थे केवल फाइनल पेमेन्ट करना बाकी था । उस कन्ट्रैक्टर को लिखा गया कि तुम सारे रिलेवेन्ट कागजात के साथ अन्डरसाइन्ड को मिलो । अब श्रीमन्, जब सारे कागजात बनकर तैयार हैं तो फिर कौन से रेलेवेन्ट कागजात मांगे जा रहे हैं, किस चीज की रेलेवेन्सी है ? यदि मैं स्पष्ट कहूं तो उसका अर्थ यही हो सकता है कि रेलेवेन्ट नोट्स लाकर दो । इस प्रकार से भ्रष्टचार फैला हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या किया ? आज भ्रष्टाचार रोकने के लिये आवश्यक है कि मंत्रिमंडल के ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं उनको दूर किया जाय । अभी कुछ दिन हुये यहां प्रश्न हुआ था मंत्रियों के दौरे के बारे में एक मंत्री महोदय का दो-तीन महीने का भत्ता २,४०० रुपये हुआ जिसका उत्तर यह दे दिया गया कि वन मंत्री हैं, वनों में भ्रमण करते हैं इसलिये खर्चा ज्यादा है । मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में कौन सा वन खंड है जिसको वह वहां देखने गये थे । जब ऊपर मंत्रिमंडल से इस प्रकार के इमप्रापर टी०ए०, डी०ए० बिल बनेंगे तो फिर मंत्रिमंडल किस मुंह से अधिकारियों से कहेगा कि तुम गड़बड़ी करते हो । तो सबसे पहले मंत्रिमंडल से गड़बड़ी रोकने की आवश्यकता है, उच्चस्तर से गड़बड़ी रोकने की आवश्यकता है । सरकारी पैसे का जो खर्च व्यक्तिगत आब्लीगेशन के लिये किया जाता है उसको बन्द करना पड़ेगा । मैं सारी बातें माननीय वित्त मंत्री जी से इसलिये कह रहा

हूं क्योंकि उनका प्रमुख स्थान है और उनका यह कर्त्तव्य है कि देखें कि जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा आता है वह उचित रूप से खर्च हो । इसकी सारी देखरेख, चेक और कन्ट्रोल माननीय वित्त मंत्री पर है । मैं चाहूंगा कि इस ओर वे ध्यान दें ।

दूसरी बात यह है कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की सैंक्शन में बड़ी देर लगती है। कई बार यहां कहा गया कि योजनाओं के एग्जीक्यूशन के लिये, उनकी सफलता के लिये टाइम फैक्टर का भी ध्यान रखना चाहिये । लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा जाता है । इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, कि आप हर विभाग में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का अधिकारी बिठा दीजिये । फाइनेंस डिपार्टमेंट से सेंक्शन हुये हर डिपार्टमेंट के बजट को ठीक से खर्च करने के लिये आपके फाइनेंन्स डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां रखे जायं जिनके निर्णय पर सारे कार्य हों, बजट का कंट्रोल हो ताकि बीच में जो टाइम लग जाता है उसको बचाया जा सके । अन्यथा आज जो होता है, हर डिपार्टमेंट से फाइनेन्स डिपार्टमेंट और फाइनेन्स डिपार्टमेंट से फिर उस डिपार्टमेंट को, इसमें देरी लग जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि योजनाओं में जिस मात्रा में सफलता होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है ।

तीसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि आजकल यहां पर डेमोक्रेसी की बड़ी दुहाई दी जाती है । अभी जैसा जे० ए० अहमद साहब ने भी फर्माया कि गड़बड़ हो तो कह दिया जाता है कि डेमोक्रेसी के कारण गड़बड़ हो गया, नियमों में उल्लंघन हो तो वह भी डेमोक्रेसी के कारण हो गया और अगर हाईकोर्ट में स्ट्रिक्चर्स पास हों तो भी सरकार यह कह देती है कि यह तो जनतंत्र है । इस सदन में कई बार चर्चायें आईं, इंजीनियर्स के ऊपर आईं, हाईकोर्ट के जजमेन्ट्स आये, मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो बातें हुई हैं अधिकारियों के खिलाफ उन पर सरकार ने क्या कदम उठाये ? डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि जो शासन है, जिसके हाथ में शासनसूत्र है उसको प्रबल होना चाहिये कि जिसके द्वारा शासन चलाया जा रहा है वह व्यक्ति या ग्रुप शासनकर्ताओं की इच्छा के विरुद्ध, आज मैं देखता हूं कि मंत्रियों का काम इस सदन में केवल एकमात्र यह रहा गया है कि अधिकारियों पर जितने भी आरोप लगाये जावें उन्हें यहां खड़े होकर धोना । घुमाफिरा कर माना जाता है लेकिन इस सदन में उन आरोपों को धोया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि जहां जनता यह देखती है उससे टैक्सों द्वारा वसूल किये गये रुपये का दुरुपयोग हो रहा है वहां वह यह भी देखती है कि सरकार गड़बड़ करने वाले अधिकारियों को बचाती है, जिससे आपके शासन में, आप के जनतंत्र में, जनता का विश्वास उठता है । उदाहरण के लिये, मैं गोंडा का उदाहरण देना चाहता हूं । वहां इलैक्शन में जो घटना हुई उससे हम और आप सब भलीभांति परिचित हैं । उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं । परन्तु जो अधिकारी उसके लिये जिम्मेदार है वह आज प्रोमोट करके कमिश्नर फैजाबाद डिवीजन बनाया जा रहा है । अब आपके प्रशासक क्या सोचेंगे ? वे यही सोचेंगे कि ईमानदारी से काम नहीं चलता है । सत्तारुढ़ दल के लिये बेईमानी से चाहे जो कुछ करो, तरक्की मिलेगी । यह बात प्रदेश को पतन के मार्ग की ओर ले जाने वाली है । श्रीमान्, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो पैसा वह खर्च करने जा रहे हैं, उसका सही तौर से इस्तेमाल होना चाहिये । मैं टैक्स के बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उसका बाद में जिक्र होगा । पैसे को जिनके द्वारा सरकार खर्च कराना चाहती है, उन पर कड़ाई के साथ कंट्रोल होना चाहिये । उनके साथ पक्षपात नहीं होनी चाहिये । उनके अन्दर गुटबन्दी का भाव नहीं आने देना चाहिये । उनके अन्दर यह भाव पैदा नहीं होने देना चाहिये कि सत्तारुढ़ दल की हां में हां मिलाओ, भले ही बेईमानी करनी पड़े ।

मैं केवल इशारे मात्र एक बात कह देना चाहता हूं क्योंकि टैक्सेशन का विषय बाद में आवेगा । सरकार प्रति वर्ष के आरम्भ में घाटा और अन्त में बचत करती है, शुरू में घाटा दिखाकर टैक्स लगाती है । इस पद्धति को छोड़िये । शुरू में बजट में घाटा दिखाकर,

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

विकास के नाम पर, टैक्स लगाना और फिर उस पैसे का दुरुपयोग करना, यह अनुचित है । आज जो टैक्स देता है वह अपनी आंखों से देखता है कि हमारा पैसा कहां जा रहा है । तो निश्चित उसके मन में यह भाव खड़ा होगा कि टैक्स क्यों दिया जाय । यह सरकार इस गरीब सूबे के ऊपर जो टैक्स लगाने की लिमिट है उसे पार न करे । इसी सदन में प्रश्नों के उत्तर में कहा गया कि फलां जगह इतना रुपया टैक्स का बाकी है । क्यों बाकी है ? क्यों नहीं वह वसूल किया जाता है ? जनता में यह भाव नहीं होने देना चाहिये कि बड़ा आदमी टैक्स से बचता है, छोटा मारा जाता है । आज हमारे सूबे का टैक्स का इतना रुपया बाकी है कि अगर वह वसूल कर लिया जाय तो अगर हम सरकार का घाटा सही भी मान लें तो वह पूरा हो सकता है । कड़ाई के साथ वसूल होना चाहिये । उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिये, मैं स्पष्ट यह लांछन लगा रहा हूं । कानपुर में पक्षपात के कारण टैक्स का रुपया पड़ा हुआ है । यह नहीं होना चाहिये । शासन को पक्षपात के ऊपर होना चाहिये, उसे सबके लिये एक रूप होना चाहिये । सरकार के लक्षों में द्वैत नहीं होना चाहिये । आप अपनी प्रशासन की मशीनरी को और टैक्सेशन की वसूली को ठीक करें । फिर आपका कर्तव्य है कि आप यह देखें कि आपका टैक्स, उचित रूप से, ठीक प्रकार से, खर्च हो रहा है और उस पर उचित लाभ समाज को हो रहा है ।

एक बात मैं मंत्री जी से सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं । आखिर एक साल के बाद वह रिपोर्ट देते हैं कि इस सदन में इतना रुपया खर्च हुआ या लाभ या हानि हुई । बड़े-बड़े बिजनेस कारपोरेशन्स अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं कि इतना लाभ या हानि होगी । इसी प्रकार हर क्वार्टरली आपके सामने हर विभाग की प्रोग्रेस रिपोर्ट होनी चाहिये कि कितना पैसा खर्च हुआ कितना काम हुआ, अगर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ? इसे प्रोग्रेस बजट कहा जाता है । आपके रिसोर्सेज क्या हैं, उनका उपयोग कैसे हो उसके लिये एक रिसोर्सेज कमेटी होनी चाहिये जिसमें दोनों ओर के मेंबर हों । उसकी सिफारिशों के आधार पर रिसोर्सेज देखकर आप टैक्स लगावें ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि १५७ या १५४ करोड़ रुपया सदन उन्हें खर्च के लिये दे रहा है, उसका वह उचित इस्तेमाल करें । इससे प्रांत की जनता का ज्यादा भला होगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर १ महीने से अधिक बहस होते बीत गया । माननीय मंत्री जी के और सरकारी व विरोधी दोनों पक्षों के लोगों के विचार सुनने को मिले । आज आखिरी दिन है और थोड़े से शब्दों में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

माननीय जेड० ऐ० अहमद साहब ने बड़े विस्तार से उत्पादन के तरीकों पर रोशनी डाली । हमारे कहने से सरकार की खर्च करने वाली मशीनरी पर कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है । पिछले १०, १२ वर्षों से जो ढंग सरकार का रहा है उससे मैं समझता हूं कि सरकार ने बराबर उस मशीनरी की पीठ ठोंकी है । सरकार ने अपनी गलतियों को मानने की कभी मेहरबानी नहीं की । इसलिये मैं ऐसी आशा नहीं करता हूं कि इस वर्ष में कोई नयी बात हो जायगी । श्रीमन्, मैं तो ऐसा समझता हूं कि जब आदमी के पैर में कहीं ठोकर लगती है तो वह यह सोचने लगता है कि या तो मैं नींद में हूं या जमीन की ओर ठीक से देख नहीं सका । फिर वह या तो पैर उठाकर चलता है या नींद से कुछ मुहब्बत कम करता है लेकिन मैं समझता हूं कि जो भाषण सरकार की तरफ से हुए हैं और मैं भविष्यवक्ता तो नहीं लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी जब कुछ देर बाद बोलेंगे तो उसमें सरकार अपनी गलतियों को मानने के लिये और फिर उस पर से अपनी नीतियों को परिवर्तन करने के लिये तैयार नहीं होगी । मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आवश्यकता इस बात की है

कि पिछले १०–१५ सालों से जो तौर तरीका काम करने का रहा है उसको बदला जाना चाहिये । कैसे बदलना चाहिये ? इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बहुत चर्चा होती रही है । उनमें यह बात सर्वथा सिद्ध हो गयी है कि जहां कहीं सरकार ने पब्लिक सेक्टर में काम शुरू किया है वहां उनको सफलता मिली है । यह सफलता मैं सरकारी कागजों के आधार पर कह रहा हूं । हमारे सामने इस वक्त चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, प्रेसीजन इन्सट्रूमेंट फैक्ट्री और रोडवेज की कारगुजारी की रिपोर्टस हैं । ये तीनों कामर्शियल कंसर्न हैं । और फिर उनमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने चाहे जितना धन का दुरुपयोग क्यों न किया हो फिर करोड़ों रुपया उन्होंने पब्लिक एक्सचेकर को दिया है और उन गरीब लोगों को, जिनमें कर देने की क्षमता नहीं है, कर से बचाया है । क्या उत्पादन के इन तरीकों को सरकार पसंद नहीं करती ? अगर वह पसंद करती है तो मेरे खयाल से इस उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से काम हैं जिनको सरकार अपने हाथ में लेकर अपने रिसोर्सेज में करोड़ों रुपये की वृद्धि कर सकती है । इन कामों से जो धनराशि उसको प्राप्त हो उससे वह किसानों के ऊपर लगान बढ़ाने तथा बिक्रीकर तथा अन्य कर लगाने से अपने को बचा सकती है । पिछले वर्ष मैंने चर्चा की थी लेकिन उसको हंसी में उड़ा दिया गया । मैंने कहा था कि शुगर फैक्टरियों को नेशनलाइज कर लिया जाय । इससे सरकार को १५ करोड़ सालाना की आय हो सकती है । मैंने यह भी कहा था कि इस संबंध में मैं कुछ जिम्मेदारी भी ले सकता हूं । लेकिन उसको सेबटेंज करने की कोशिश की गयी है । कई अर्थशास्त्रियों ने ऐसा कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अगर ऐसा किया जाय तो हमें १०० करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में देना होगा । एक बहुत ही रीजनेबिल आदमी ने जो इस सूबे की बागडोर अपने हाथ में लिये हुए हैं, उन्होंने भी इसकी चर्चा की और उन्होंने भी १०० करोड़ रुपये मुआवजे का जिक्र किया । लेकिन कुछ थोड़े कारखानों को छोड़कर ३०–३२–३५ साल अधिकतर कारखानों को लगे हुए हो गये । उनके रिजर्व फंड और वीअर टीअर फंड में इतना रुपया जमा हो चुका है कि अगर उस सब का हिसाब लगाया जाय तो उन फैक्टरियों को बहुत ही कम रुपया देने की आवश्यकता होगी । लेकिन अब ये कामर्शियल कंसर्न यह साजिश कर रहे हैं कि नये नये तरीकों से शुगर इंडस्ट्री की कीमत को बढ़ाने की चेष्टा की है । वे चाहते हैं कि उनकी वेल्यू बढ़े और अगर नेशनलाइजेशन हो तो एक बड़ी रकम उनको मुआवजे के रूप में मिले ताकि जनता के ऊपर अधिक कर का भार पड़ने की वजह से नेशनलाइजेशन करने की जरूरत ही न आये । मैं समझता हूं कि सरकार को फिर इस पर विचार करना चाहिये और जिस तरह आज से दो वर्ष पहले प्लानिंग बोर्ड में डाक्टर सम्पूर्णानन्द की चेयरमैनशिप में यह चर्चा हुई थी और उसको उन्होंने स्वीकार किया था कि हम एक कमेटी बैठायेंगे जो कमेटी इस बात पर विचार करेगी कि शुगर इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन कर लेने के बाद सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा और सरकार को कितनी आमदनी हो सकेगी । इस बात को मैं जरूरी समझता हूं कि सरकार फिर अपने बचन पर दृढ़ रहे और उस कमेटी के बैठने के बाद ही कोई बात कहे कि कितना रुपया हमको मुआवजे की शक्ल में देना पड़ेगा ।

श्रीमन्, मुझे इस बात में डर लगता है कि इस समाजवादी समाज की रूपरेखा तैयार करने के लिये पिछले १० वर्षों में हमने जान बूझ कर नहीं लेकिन जो शक्ल हमने देखी, उसमें क्लास हेटरेड, क्लास स्ट्रगल्स या क्लास इंटरेस्ट में ही काम किया है ।

जो सरकारी रिपोर्ट है उसके आंकड़े के आधार पर ही मैं कहना चाहता हूं कि इस बीच में हमारी राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ी है । सन् १९४६ और ४७ के बीच में कोई प्लानिंग हमारे सूबे में सही माने में नहीं था । १९५०–५१ से ही हमारा प्लानिंग का युग शुरू होता है । १९४६–४७ में जरूर हम कुछ विकास के कार्य करते थे लेकिन उस जमाने में जो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी उसको मैं माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं । १९४६–४७ और १९५०–५१ के बीच में हमारी हालत क्या थी । ४६–४७ और ५०–५१ को देखते हुए १९६०–६१ तक हमने दो पंचवर्षीय योजनाओं में काम किया और उसमें जितनी हमें सफलता मिली उसको सफलता

[श्री गेंदासिंह]

का युग कहा जाता है लेकिन हालत क्या है । जिस वक्त हम इतने अनाड़ी थे कि अभी प्लानिंग के लिये तैयार नहीं थे उस जमाने में हमारी क्या हालत थी उसके ही आंकड़े मैं आपके जरिये माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और वे इसको कृपा करके देखें ।

१९४६–४७ में हमारे सूबे की राष्ट्रीय आय १० अरब ६२ करोड़ थी जो १९५०–५१ में बढ़कर १६ अरब ३२ करोड़ की हो गयी यानी ४६–४७ और १९५०–५१ के बीच में करीब ६ अरब की वृद्धि हुई । अब १९५०–५१ से हमने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत काम करना शुरू किया और दूसरी पंचवर्षीय योजना का काम भी खतम कर लिया और हमारा खयाल है कि लगभग ४ अरब रुपया सरकार ने इस प्रदेश में चाहे टैक्स से हो, चाहे कर्ज से हो, खर्च किया । ४ अरब रुपया खर्च करने के बाद हमारी इनकम जो १९६०–६१ में हुई वह १९ अरब ६८ करोड़ रुपये की हुई यानी करीब ३ अरब ४० करोड़ रुपये की हमारी राष्ट्रीय आय इन १० वर्षों में बढ़ी । मुमकिन है कि हमारा फीगर बिलकुल सही न हो कुछ इधर-उधर हो लेकिन फिर भी मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि लगभग ४ अरब खर्च करने के बाद या जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग विभाग व एग्रीकल्चर और चाहे जो तरीके हों, उन सब मशीनरी के लगने के बाद आधा का फर्क पड़ा । ४६–४७ और ५०–५१ के बीच में ६ अरब हमारा नेशनल इनकम था और ५०–५१ तथा ६०–६१ के बीच में करीब साढ़े ३ अरब नेशनल इनकम रहा । आखिर यह करिश्मा क्या है, इसको माननीय वित्त मंत्री जी या कोई सदस्य इस सदन को समझाने की कृपा करें कि आखिर यह बात कैसे हुई और फिर क्या समझा जाय ? जो रुपया खर्च हुआ वह खर्च किया गया या नहीं और वह किसकी जेब में गया ? यह बात ठीक है कि जब हम कहीं इनवेस्ट करते हैं तो रिटर्न की बात आती है लेकिन अगर आप देखें तो मेरी बात ही सही मालूम होती है । मैं सरकारी आंकड़ों से ही सिद्ध करने की कोशिश करूंगा जैसा कि मैंने कहा था कि एक क्लास का लाभ इस यू० पी० में भी हुआ है और दूसरी क्लास जो लाखों और करोड़ों की तादाद में है जिसे नंगा भूखा कहा जाता है उसकी हालत गिरी है और उसका शोषण हुआ है । और कोई मशीनरी उसको बचाने में सफल नहीं हुई । मैं माननीय वित्त मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं और वह सही बात है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा यह है इसी किताब से मैं बताऊंगा । माननीय अहमद साहब ने अभी कुछ अंशों के फिगर दिये । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह जरा तुलना के रूप में यह सन् ४९–५० के जो आकड़े हैं उनका मुकाबला सन् ६०–६१ से कर के देखें । सारे भारत का जो अन्न उत्पादन का इनडेक्स सन् ४९–५० में १०० था वह सन् ६०–६१ में १९४ हो गया लेकिन उसी साल में यू० पी० का इनडेक्स जो १०० था वह ६०–६१ में १०१.७ हो गया । तो आप देखें कि सारे भारत में ९४ की वृद्धि हुई जब कि यू० पी० में केवल १.७ की वृद्धि हुई । जब यह हालत है तो सारे भारत के मुकाबले में यह प्रदेश पिछड़ा न रहे तो और क्या होगा । जो राष्ट्रीय आय सन् ५०–५१ और ६०–६१ के बीच में बढ़ी ३ अरब ४० करोड़ की वह भी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चली गई, बड़े-बड़े व्यापारियों और कल कारखानों के मालिकों के हाथ में गई या कुछ और थोड़े से काम धंधा करने वाले जो थे उनके हाथ में गई । इसका परिणाम यह हुआ कि ५०–५१ में जो हमारी. . . . मैं हर मौके पर इस बात को कहना चाहता हूं और मैं गंभीरतापूर्वक इस बारे में सोचता हूं और समझता हूं कि शायद इस तरह से बार-बार कहने से सरकार कुछ इस विषय में सोचेगी । तो जब सन् ५०–५१ में हम अपनी योजना ले कर चले थे तो उस वक्त एक आदमी की सालाना आय २१० थी और उसके बाद वह हर वर्ष घटते-घटते १९२–१८३–१९० हुई । गर्ज कि ६०–६१ तक की हमें खबर है वह २१० तक नहीं पहुंची, ६१–६२ की अभी मालूम नहीं है । ६०–६१ में जो वह कहते हैं कि हम सफल हुये हैं तो वह उससे भी पीछे रह गई । तो पता नहीं कि सरकार किस वर्ग की सफलता चाहती है । मैं इस विषय में सरकार पर बोझ नहीं डालना चाहता कि मैं सरकार को बाध्य करूं कि वह बताये ही लेकिन पंचवर्षीय योजना साफ कहती है कि हम लेस प्रिविलेज्ड लोगों की मदद

चाहते हैं और निर्धन कहलाने वालों की जेब में अधिक पैसा डालना चाहते हैं लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर स्थिति जानना चाहता हूं कि सरकार की किस मशीनरी ने उन लोगों को बचाने की मदद की ? कौन मशीनरी कह सकती है यह द्रव्य जितना कमाया गया वह सारा का सारा उनको नहीं गया जिनको सरकार देना नहीं चाहती थी ? लेकिन उनकी जेब में सब रुपया गया । अगर मैं अकर्मण्य नहीं सरकार को कहूं तो क्या यह मुझसे कहलवाया जायगा कि सरकार की नीयत थी उनकी जेब में रुपया चला जायगा ? अगर ऐसा नहीं है तो कौन-सी बात ऐसी है वित्त मंत्री जी बतायें, हम कौन सी भाषा इस्तेमाल करें । प्रदेश की यह स्थिति पिछड़ेपन की नहीं पिछड़ तो रहे ही हैं, लेकिन पिछड़ने में एक और अवरोध पैदा हो रहा है और वह यह कि सारे भारत में समाजवादी समाज की स्थापना की तरफ दो कदम कोई अग्रसर हो रहा हो, लेकिन हमारे प्रदेश में क्लास हेटरेड और क्लास इंटरेस्ट इतना ताकतवर हो रहा है जो डेमोक्रेसी की हत्या किये बगैर नहीं छोड़ सकता । किसी देश में प्रजातंत्र ऐसे नहीं चलता । देश में प्रजातंत्र के साथ अगर आर्थिक प्रजातंत्र न हो तो मैं समझता हूं वह प्रजातन्त्र किसी भी हालत में कारगर नहीं हो सकता । सूबे की हालत को देखते हुए कहा जा सकता है कि आर्थिक प्रजातंत्र की तरफ हमारी रत्ती भर भी निगाह नहीं गयी ।

आज देश में जो ला ऐंड आर्डर की हालत है उसका संबंध कुछ आर्थिक ढांचे से भी होता है । यह नहीं कहा जा सकता, जैसा होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि अब सही रिपोर्ट थाने वाले लिख रहे हैं इसलिये क्राइम बढ़े हुए मालूम पड़ते हैं, जुर्म सचमुच बढ़ रहे हैं, डकैतियां, चोरियां बढ़ रही हैं, गांवों के लोग भाग कर शहरों में अपनी जान बचाना चाहते हैं क्योंकि गांव में अरक्षा बढ़ रही है । क्यों बढ़ रही है ? क्या इसका आर्थिक विषमता और क्राइम से कुछ संबंध नहीं है ? अब मैं वित्त मंत्री जी को क्या बताऊं वह तो एक अच्छे समाज शास्त्री हैं, वे समझते हैं । तो इन बातों को देखते हुए कोई सरकार आज कामयाब नहीं हो सकती । जिस तरह हमारा आर्थिक ढांचा इस समय बनता चला जा रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट मजबूत हो रहे हैं आज वह किसी भी जनसेवक को चैलेंज कर सकते हैं । कोई जनसेवक अगर ईमानदारी से काम करना चाहें तो उसको आज जो दौलत वाले हैं सोचते हैं इसकी इतनी हैसियत नहीं है जो विधान सभा में पहुंच सके । और मुझे खतरा है कि इस तरह से अगर दौलत का बटवारा आगे भी जारी रहा, मुझे डर लगता है १९६५ तक यही रहेगा, अगर ६५–६६ तक जारी रहेगा तो बहुत से लोगों का डेमोक्रेसी से यकीन हट जायगा ।

एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी स्वतः जानते हैं । वह शिक्षा के बड़े प्रेमी हैं । आज कुछ जरूर बात हुई जिससे शायद कुछ शिक्षा की कमी हो क्योंकि जो शिक्षकों का भत्ता बढ़ाने की बात कही गई उसके साथ यह भी कहा गया कि कुछ फीस भी बढ़ जायगी । इससे गरीबों के पढ़ने के लिये कुछ रुकावट पैदा हुई । लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने कहा है कि ४० लाख आदमियों को १९६५–६६ के अन्त तक रोजगार देना होगा, और सरकार ने यह माना है कि केवल ९ लाख आदमियों को ही रोजगार दे पायेंगे । तो शेष ३१ लाख की फौज क्या समाजवादी समाज की रूप रेखा तैयार करेगी ? समाजवादी समाज की यही स्थापना है कि ४० लाख में से ३१ लाख बेकार रहें ? इनका क्या होगा ? कहा गया कि ५ अरब रुपये की जरूरत है अगर ५ अरब रुपया खर्च कर दिया जाय तो सब को रोजगार दिया जा सकता है तो टैक्स लगाने का प्राविजन है । मैं समझता हूं कि इस तरफ के बैठने वाले टैक्स लगाने के विरोधी नहीं हैं । लेकिन टैक्स किस के ऊपर लगाया जाय ? यह लड़के जो निकलेंगे ४० लाख में से ३१ लाख जिनकी कोई सिफारिश नहीं पहुंच सकती है उन्हीं पर यह टैक्स भी लगेगा और उनके बच्चे भी रह जायेंगे ? उस वक्त क्या स्थिति होगी ? ३१ लाख नौजवानों को बेकार रख कर मुझे भय है कि समाजवादी समाज की रचना नहीं हो सकती ।

[श्री गेंदासिंह]

बजट की बहस के दौरान में मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। आज तक किसी इतने बड़े आदमी के मुंह से जुडीशियरी पर इतना बड़ा आक्रमण होते नहीं देखा था। इसका प्रायश्चित किया जाय तो अच्छा है, अगर नहीं किया गया तो कुछ उचित नहीं होगा।

जुडीशियरी अपने प्रदेश में हाई कोर्ट तथा जिलों की जजी तक ही सीमित है। जो मैजिस्ट्रेसी है उसे मैं जुडीशियरी का एक्जिक्यूटिव से सेप्रेशन कतई नहीं मानता। मदरास और बम्बई में जिस तरह से जुडीशियरी का संगठन हुआ है वह सचमुच संगठन है। मुझे अफसोस हुआ जब माननीय न्याय मंत्री की तरफ से कहा गया कि हमारे मुल्क में जुर्म ज्यादा हो रहे हैं और जो लोग सत्याग्रह करते हैं वे भी जुर्म करते हैं। इसको दबाने के लिये जुडीशिरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन हम नहीं चाहते। मैं कहूंगा कि इस पर संयम रखना चाहिये और जुडीशियरी के हक के विचारों को पनपने देना चाहिये।

यह सूबा किसानों का है। समूचे भारत में खेत जोतने वाले और खेत में काम करने वालों की संख्या इस सूबे में सब से ज्यादा है। मैं बहुत ठंडे दिल से और समझ-बूझ कर यह कहना चाहता हूं कि उनकी हालत बिगड़ी हुई है और सरकार उनकी ओर से अपनी आंख मूंदे हुए है। सरकार ने दो वर्षों में ८ करोड़ रुपया इनाम की शक्ल में चीनी मिल मालिकों को दे दिया। इसलिये कि चीनी का उत्पादन बढ़े और हमारी छाती पर मूंग दल कर जून तक हमारा गन्ना खड़ा रखा। ८ करोड़ जो मिल मालिकों को दिलाया गया उसमें एक पैसा किसानों को नहीं दिया गया। किसान ने देखा कि सरकार का मंशा उत्पादन बढ़ाने का है तो उसने उत्पादन बढ़ाया। किसान ने मेहनत की और गन्ना बोया तो इस साल कई करोड़ रुपया किसानों की जेब से निकाल कर मिल मालिकों को दिया जा रहा है। कुछ सरकार करों में छूट दे रही है। इस तरह से अपनी जेब से भी दे रही है और हमारी जेब से निकाल कर कुछ करोड़ पया सरकार उनकी जेब में डाल रही है। इन बातों पर विचार करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि यह सोशलिस्टक दृष्टिकोण नहीं है। कम्युनिस्टिक दृष्टिकोण को छोड़ दीजिये, हम तो समझते हैं कि सोशलिस्टिक दृष्टिकोण ही नहीं है। सोशलिस्टिक दृष्टिकोण को अपनाने वाला कोई आदमी इस तरह का कार्य नहीं कर सकता। रुपये की मंजूरी तो मिल जायगी लेकिन अगर इन करोड़ों लोगों की तरफ ध्यान दिया गया जो कि आज भी पीड़ित हैं, शोषित हैं तो शायद इस प्रदेश का कुछ कल्याण हो सके वर्ना हम तो यहां सिर्फ चिल्लाने के हकदार हैं। हमारे हाथ शासन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री....

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मुझे भी तो मौका दीजिये। सोशलिस्ट पार्टी का इस विधेयक पर कोई नहीं बोलेगा? ऐसी व्यवस्था तो कभी नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने तो विरोधी नेताओं को ही सारा टाइम दे दिया।

श्री उग्रसेन—मुझे आप पांच मिनट का तो मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—गवर्नमेंट को जवाब देने के लिये भी तो मौका होना चाहिये।

श्री उग्रसेन—गवर्नमेंट को हमारी बात भी तो सुननी चाहिये। यह तो बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उग्रसेन जी बोलना चाहते हैं तो पांच मिनट का टाइम दे दिया जाय। केवल मेरा निवेदन यह था कि जब इतनी बातें कही गयीं तो सरकार की ओर से उत्तर देने के लिये कुछ टाइम चाहिये।

श्री उग्रसेन—तो सदन का समय रात तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो तय हो चुका।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, समय बढ़ाने का प्रस्ताव तो तय हो चुका है। स्पीकर महोदय कह गये हैं कि यह ४ बजे तक ही चलेगा। तो अब समय बढ़ाने का सवाल तो है नहीं। उग्रसेन जी चाहते हैं तो बोल लेने दीजिये लेकिन पांच ही मिनट का समय लें।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा, माननीय उग्रसेन जी केवल पांच मिनट का टाइम आपको दिया जाता है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, आपने मुझे पांच मिनट का समय दिया इसके लिये मैं व्यक्तिगत रूप से आपका शुक्रगुजार हूं। विनियोग विधेयक पर बोलने के लिये आपने जो अवसर दिया इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री जी ने और इस बजट के दौरान में अन्यान्य मंत्रियों ने जो बजट के सम्बन्ध में सरकारी पक्ष को रखा है उसके देखने से मुझे तो मालूम होता है कि सरकार का बजट समाजवादी समाज की रचना का बजट नहीं है। इससे समाजवादी समाज की रचना हो ही नहीं सकती। कारण ? कारण यह कि जो समाजवादी समाज को बनाने के मूलभूत सिद्धान्त और नीतियां हैं उन पर यह सरकार अमल करने नहीं जा रही है। सोशलिस्ट पार्टी ने जो दाम नीति की बात कही थी सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक दामों का संतुलन नहीं होगा और सरकार के पास कोई दाम नीति नहीं होगी तब तक सरकार कोई योजना नहीं चला सकती है चाहे वह योजना एकतंत्रीय राज्य में चले, चाहे जनतंत्रीय काल में चले। श्रीमन्, भारत सरकार ने, योजना कमीशन ने अपने मसविदे में लिखा था कि सरकार एक प्राइस कमीशन बनाना चाहती है। फूडग्रेन्स इन्क्वायरी कमेटी माननीय अशोक मेहता की अध्यक्षता में बनी थी। उसमें भी उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि योजनाओं को ठीक से कार्यान्वित करने के लिये प्राइस कमीशन बनाया जाय, लेकिन कोई नतीजा नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि १५ अगस्त, १९४७ को बिड़ला की कुल हैसियत ४०, ५० करोड़ की थी और इस राज्य के अन्दर हैसियत ४०० करोड़ की हो गयी है। तो यह धन कहां जा रहा है ? नदियां बह कर समुद्र में जा रही हैं, रेगिस्तान में जहां पानी की जरूरत है वहां नहीं जा रही हैं। आज प्रति व्यक्ति आमदनी कम होती जा रही है और सरकार के खर्च बढ़ते जा रहे हैं। पचासों मंत्री बढ़ गये, दूसरे अन्यान्य खर्च बढ़ गये। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने इसी सदन में कहा था कि दूसरी योजना में २० करोड़ रुपया लैप्स कर गया, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया। कारण यह था कि एक विभाग का पैसा दूसरे विभाग में कब दिया जाय, कैसे दिया जाय, क्यों दिया जाय इसके लिये सरकार के बजट मैनुअल में कोई कानून ही नहीं है। नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां घाघरा का कटाव नहीं रुका, माननीय वित्त मंत्री जी के शहर के घाट नहीं बने, गंगा का कटाव नहीं रुका, पूर्वी जिलों की सारी योजनायें ठप्प हो गयीं और २० करोड़ रुपया चला गया। आज रिहन्द की बिजली बिड़ला को २० नये पैसे पर मिल गयी और झांसी बिजली कम्पनी की और गोरखपुर बिजली कम्पनी की बिजली ५० नये पैसे पर मिल रही है।

डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने जनतांत्रिक योजनाओं की बहुत चर्चा की और यह भी बताया कि जनतंत्र में योजनायें जब लागू की जायंगी तो उसमें बड़ी खामियां होंगी। तो श्रीमन्, मैं कम्यूनिस्ट पार्टी की ही भाषा में कहना चाहता हूं कि दो तरह के जनतंत्र हैं। डेमोक्रेसी दो तरह की है—एक तो प्रोलीटेरियन डैमोक्रेसी और दूसरी बुरजुआ डैमोक्रेसी, यानी एक पूंजीवादी जनतंत्र है और दूसरा सर्वहारा जनतंत्र है। चीन में माओ की नई डैमोक्रेसी है, जनतंत्रीय केन्द्रीयता, यानी उसमें डैमोक्रेटिक सैंट्रेलाइजेशन की बात की गई थी। मगर सर्वहारा का जनतंत्र होगा जिससे सही माने में समाजवादी समाज की रचना की जा सकेगी। तो

[श्री उग्रसेन]

उसमें कतई भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद की गुंजायश सम्भव नहीं है। अगर यह मान लिया जाय तब तो जनतंत्र चलेगा नहीं तो मजबूर किया जायगा डिक्टेटरशिप चलाने के लिये। अब चाहे यह किसी की भी डिक्टेटरशिप होगी। मैं कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी जनतंत्र में आसरा रखने वाली पार्टी है। इसका विचार है कि जनतंत्र की परम्पराओं की मान्यताओं को रखते हुये जो योजनायें बनाई जायंगी उनमें कतई खामियां और त्रुटियां नहीं आयेंगी। खामियां इसलिये आती हैं कि उनमें नौकरशाही की बू होती है। आपकी योजनाओं की सब से बड़ी आलोचना यह की जा सकती है कि आपकी योजनायें बन कर ऊपर से थोपी जाती हैं और कहते हैं कि जनता का प्लान है। मैं कहता हूं कि आम जनता को अपनी योजनायें बनाने का मौका ही नहीं देते और ऊपर से योजनायें थोप देते हैं यानी आपकी गंगा की धारा उल्टी बह रही है।

(लाल बत्ती होने पर श्रीमन्, एक मिनट का समय और दे दीजिये।)

श्री उपाध्यक्ष— बहुत अच्छा।

श्री उग्रसेन—दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपका बजट बनता है और जैसा आपका बजट मैनुअल है उसमें जब तक आप क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक समाजवादी समाज नहीं बन सकता है। आपका बजट वही पिटीपिटाई लाइन पर ही चल रहा है, जैसे वन्स अपान ए टाइम (जैसे एक समय की बात है) वह उसी हिसाब से चला आ रहा है और उसको आपका वित्त विभाग बनाता चला जा रहा है। समाजवादी समाज का बजट बनाने के लिये उसके मैनुअल में क्रान्तिकारी परिवर्तन कीजिये तभी समाजवादी समाज बनाना सम्भव हो सकेगा। तभी आप दाम नीति को रखेंगे और तभी अलाभकर जोतों पर से मालगुजारी माफ कर सकेंगे। आपके यहां लोक भूषा नहीं है, लोक भाषा नहीं है, लोक भोजन नहीं है और लोक भवन नहीं हैं और कहते हैं कि हम समाजवादी समाज की रचना करेंगे। यह ऐसी स्थिति में कदापि सम्भव नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी अपने भाषण में स्पष्ट नीति व्यक्त करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपाध्यक्ष जी, हमारे संविधान का यह एक नियम है कि बजट के भिन्न-भिन्न अनुदानों पर विवाद हो जाने के बाद और सदन के द्वारा अनुदानों के स्वीकृत हो जाने के बाद एक विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय और इस विधेयक में सारी धनराशियां, जिन्हें आदरणीय सदन ने स्वीकार की हैं भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये, उनको एक कंसालिडेटेड फंड में रख दिया और इस विधेयक को अन्तिम रूप से सदन के समक्ष प्रस्तुत करके स्वीकृति ले ली जाय। यह हमारे संविधान में निर्धारित है और इसी कारण यह जो विनियोग विधेयक आता है वह जैसे जाब्ते की कार्यवाही मात्र होती है जिससे की संविधान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय और जैसा कि आप समझें कि अंतिम रूप से उसका स्पर्श सदन के द्वारा हो जाय, इसके लिये ही यह समय लिया जाता है। मुझे स्मरण है कि इसी सदन में विनियोग विधेयक के लिये कभी आध घंटा या ४० मिनट से ज्यादा समय नहीं लिया जाता था, क्योंकि करीब-करीब दो सवा या डेढ़ महीने तक विभिन्न अनुदानों पर और बजट के साधारण विवाद पर और तफसील में वाद-विवाद हो जाता था फिर यदि उन्हीं बातों की यहां आवृत्ति की जाय तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। गत वर्ष और इस वर्ष सदन ने यह चाहा कि यह समय रखा जाय इसलिए यह समय रखा गया। मैं नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि जो एक लम्बे समय तक इतना कठिन परिश्रम करने के बाद माननीय सदस्यों ने कृपा करके अनुदानों की स्वीकृति दी, और जब जेठ की दुपहरी का ताप बढ़ता जा रहा है—बिहारी के शब्दों में—'देख दुपहरी जेठ की छाहहुं चाहत छाह'—तो मैं सदन का ज्यादा समय लूं। मैं आभार प्रकट करता हूं कि इतने कठिन परिश्रम से, इतने दिनों तक, बड़े विचार के साथ सदन ने हमारे अनुदानों पर अपना विचार व्यक्त किया, और इन्हें स्वीकार किया। पर ऐसा समझता हूं कि विभाग के सम्बन्ध में,

सरकार के कार्य के सम्बन्ध में कोई नयी बात होनी चाहिए। अगर कोई नयी बात कहने की न हो तो नहीं कहनी चाहिए। शीघ्रता से पास कर दीजिये। हमारे जिन आदरणीय मित्रों ने अपने विचार व्यक्त किये जिसमें करीब सवा घंटे के ऊपर लिया उसमें से किसी ने भी कोई नयी बात नहीं कही, जिसे बार-बार इस सदन में, साधारण वाद-विवाद से लेकर आज तक दोहराया गया हो। हमें खेद इस बात का है कि हमारे भाई अहमद साहब यहां कहीं हैं नहीं। वह मौके पर गायब हो जाते हैं। ऐसा कुछ उनका अभ्यास है। अभी वह कह रहे थे कि जब पार्लियामेंट के मेम्बरों की बैठक हुई तो उसमें वह उपस्थित नहीं थे। बीमार हो गये थे। पिछली बार आय-व्ययक पर आम विवाद के समय उत्तर देते समय भी वह बीमार हो गये थे या कहीं चले गये थे और आज भी बोल-बाल कर विलुप्त हो गये हैं। फिर जब यह बातचीत हो जायगी तो मेरा भाषण मंगा कर पढ़ेंगे और फिर मौका निकाल कर सफाई देने की कोशिश करेंगे। मुझे खेद इस बात का है कि हमारे नेता विरोधी दल भी इस मौके पर जब कि हमने उनका भाषण सुना, वह भी अपने स्थान पर नहीं हैं। होना चाहिए था उनको। खैर, मुझे उनकी अनुपस्थिति में ही निवेदन करना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी बात को उन्होंने नये रूप से नहीं कहा। उन्हीं बातों को दोहराया और इस समय कोई लाभ नहीं हुआ सिवा इसके कि समय अवश्य लगा। नेता विरोधी दल ने जो एक आध बात कही उसको मैं जरूर मानता हूं। आ गये हमारे नेता जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। एक बात तो यह कही कि जल्दी से जल्दी सैंक्शन देना चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में देर न हो। हमारे विभाग ने स्वयं इसकी व्यवस्था की है। उसका कुछ उल्लेख हमारे बजट के साहित्य में भी और हमारी स्पीच म भी है कि इस बार अनुदान स्वीकार हो जाने के बाद सेशन जल्दी से जल्दी हो ताकि हमारे काम में कावट न पड़े। इस सुझाव के सिवा हमारे विरोधी दल के नेता ने ऐसी बातें कहीं जिनको वह पहले कह चुके हैं, साधारण विवाद के समय, या अनुदान पर विचार के समय जिनको कहा गया---पुलिस ने क्या किया, किसी इंजीनियर ने क्या किया, ब्योरोक्रेसी आपको चला रही है, आप ब्यूरोक्रेसी को नहीं चला रहे हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज चलाओ। इस प्रकार की बातें जिनको कई बार वह कह चुके होंगे, बार-बार रटति रटंतः रटंति, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में भी अनेक बार वह बात कही गयी। फिर उन्होंने उसको दोहरा दिया। मैं समझता हूं, श्रीमन्, मेरा ऐसा विचार है कि कोई नहीं चाहता, कोई सरकार नहीं चाहती कि धन का दुरुपयोग हो, कोई यह नहीं चाहता, कोई सरकार चाह नहीं सकती और लोकतांत्रिक सरकार के लिए तो यह और भी खतरनाक है कि वह यह देखे कि उसके अधिकारी न ठिकाने से काम करते हैं और न ईमानदारी से काम करते हैं और अगर गैरईमानदारी से काम करते हैं तो उनको करने दे। अनेक बार यह बात कही जा चुकी है और इसलिए मैं आपका विशेष समय उस पर नहीं लेना चाहता। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल से, उनका हमारे प्रदेश में एक स्थान है, क्योंकि हमारे वह नेता हैं विरोधी दल के और एक बहुत बड़ा संगठन है उसके नेता हैं और कुछ पार्लियामेंटेरियन भी पुराने हैं, कई वर्षों से यहां पर हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर कुछ कल्पना है आपको कि आप किस तरफ प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? ब्यूरोक्रेसी हमको चलाती है, हम ब्यूरोक्रेसी को चलाते हैं, दोनों एक दूसरे को चलाते हैं। नीति निर्धारण हम करते हैं, नीति को कार्यान्वित करने का भार ब्यूरोक्रेसी पर है। वह हमको चलाते हैं क्योंकि रथ वही है, सारथी यहां बैठा है। तो दोनों एक दूसरे को चलाते हैं। इसमें कौन-सी नयी बात है? वही बात आपने दोहरा दी जैसे कुछ कैच वर्ड्स होते हैं, उनको बार बार कहने से कोई लाभ नहीं निकलता। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं और जिस दल के वह नेता हैं उससे पूछना चाहता हूं किस प्रकार का समाज बने, किस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था बने, किस प्रकार के सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक जीवन में देश ढले, कहां हम हैं और कहां आप समझते हैं कि देश और प्रदेश को जाना चाहिए, कहीं आपने उसकी कोई रूपरेखा प्रस्तुत की? हम कहते हैं कि हम चाहते हैं समाजवादी समाज बनाना। हम चाहते हैं कि समाजवादी समाज का बजट हमारा होना चाहिए। भाई उग्रसेन जी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]
ने कहा कि समाजवादी समाज का बजट यह नहीं है। मैं फिर उसी बात को दोहराऊं, कौन कहता है कि, किसने कहा कि समाजवादी समाज का बजट है? हमारे भाई जेड० ए० अहमद साहब के मस्तिष्क में कोई बड़ी भारी उलझन पैदा हो गई है, कहते हैं कि तुम्हारा समाज कैसा है, तुम बताओ, हमसे वह पूछते हैं। बात यह है कि कम्यूनिस्ट पार्टी के लोगों के दिमाग में उनके कुछ बंधे हुए सिद्धान्त होते हैं श्रीमन्, उन सिद्धान्तों में अगर कोई चीज फिट इन नहीं करती तो वह बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बताऊं सन् ४२ में मैं नैनी जेल में था। वहां एक हमारे कम्यूनिस्ट भाई भी थे। एक दिन आपस में कुछ बहस चली तो रात को हमारे कम्यूनिस्ट भाई साहब को नींद नहीं आयी। सारी रात वह बैठे रहे या उठ कर टहलते रहे। मेरी निद्रा बीच में खुली। मैंने देखा तो पूछा क्या बात है तबियत तो ठीक है? कहने लगे, त्रिपाठी जी माथा मेरा फटा जा रहा है। मैंने कहा क्या विपत्ति आ गई तो बोले कि आज जो बहस हुई उसमें एक नतीजे पर तो मैं पहुंच गया कि यह कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है, उसका आर्गेनाइजेशन जो है, वह न तो फ्यूडल है, न वह कैपिटलिस्टिक है और न वह प्रालीटेरियन है तो यह है क्या? मैंने कहा, इसमें परेशानी क्या है तो कहने लगे कि कम्यूनिस्ट आइडियालाजी में यह फिट इन नहीं करता, न यह आर्गेनाइजेशन और न यह बात। तो इस परेशानी में वह पड़े। अब भी वह हमारे मित्र हैं, डाक्टर अहमद साहब चाहेंगे तो उनका नाम बता दूंगा। मैंने कहा आपकी कम्यूनिस्ट आइडियालाजी के हिसाब से बुर्जुआ तो हम नहीं हैं? उन्होंने कहा नहीं। फ्यूडल भी आप हमको नहीं मानते, कहा नहीं। प्रालीटेरियट मानते हैं, कहा नहीं। तो मैंने कहा यह कांग्रेस आर्गेनाइजेशन फिर है क्या? तो उन्होंने कहा कि इसी से तो माथा फटा जा रहा है। मैंने कहा कि एक पेटी बुर्जुआ भी होता है, आप जानते हैं? मैं आपसे कहता हूं कि यह सुनते ही वह उछल पड़े। तो अब इनको बेचारे को यह फिट इन नहीं कर रहा है। मैं पूछता हूं आपका कौन-सा सोशलिज्म है? ख्रुश्चेव वाला सोशलिज्म है कि स्टालिन वाला सोशलिज्म है या वह सोशलिज्म है जो माओत्से तुंग का है या टीटो का सोशलिज्म है? आपने कह दिया कि डिक्टेटरशिप हो जायगी, आप भी मरेंगे, हम भी मर जायंगे। न पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी रह जायगी और न कम्युनिस्ट रह जायंगे।

फिर हमारे भाई ने पूछा कि आप बतलाइये कि आप कैसा प्रदेश चाहते हैं। हम तो चाहते हैं अपने प्रदेश को ऐसे समाज की तरफ ले जाना और ऐसे समाज की ओर हमारी कल्पना है---अगर वह फिटइन नहीं करता है तो आपका दोष है और उलझन होती है तो उसको समझने का प्रयत्न कीजिये---जिसमें जनता सुखी हो। मैं डा० जेड० ए० अहमद साहब का बड़ा आदर करता हूं। वह भी पुराने आदमी हैं और मैं भी पुराना हूं। वह हमारे साथी रहे हैं और बहुत पढ़े-लिखे आदमी हैं। वह तो डाक्टर भी हैं मैं तो मूर्खाधिराज हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने अपनी स्पीच में अपना डिफेन्स उपस्थित किया और उन्हीं बातों को रिपीट किया। आपने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि हम किस समाज की तरफ जाना चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं ऐसे समाज की तरफ अपने देश की व्यवस्था को देखते हुये जिसमें जनता का राज हो। ऐसे समाज की तरफ हम जाना चाहते हैं जिसमें सेक्युलिरिज्म हो। हम एक ऐसे समाज की तरफ जाना चाहते हैं जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का और पूंजी के द्वारा पूंजी का शोषण न हो। हम ऐसे समाज की तरफ जाना चाहते हैं जिसमें जो उत्पादक है उसके द्वारा ही वितरण हो और उससे जो धन आये वह धन उसी के हाथ में जाय। हम उस समाज की तरफ जाना चाहते हैं जिस समाज में जाति, धर्म और मजहब के नाम पर भेदभाव और ऊंच नीच न हो। हम एक ऐसे समाज की तरफ जाना चाहते हैं कि जिस समाज की रचना में बिना तलवार उठाये, बिना उन परिस्थितियों को देश में लाये जो रूस में लाई गई, जो चीन में लाई गई, हम समाज की रचना कर सकें, इस प्रकार के समाज की हम रचना करना चाहते हैं। मैं अपने जनसंघ के नेता से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे समाज को चाहते हैं या नहीं? मैं अपने भाई जेड० ए० अहमद साहब से पूछना चाहता हूं कि वे बतलायें कि इस तरह के समाज की रचना चाहते हैं या नहीं? उसमें डिक्टेटरशिप नहीं होगी और न उसमें ऐसा होगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ युद्ध कर सके।

न उसमें क्लास वार होगा और न शोषण होगा और न उसमें डंडे के जोर से उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया होगी। उसमें जनता की राय से बनी सरकार होगी। वहां पर जनता का राज होगा और उसमें भेदभाव नहीं होगा और न उसमें धर्म और जाति का भेदभाव होगा। उसमें जनता की कमाई का फायदा जनता को ही प्राप्त होगा। ऐसे समाज की तरफ हम जाना चाहते हैं।

डा० अहमद साहब ने फरमाया कि हमारे देश में १० हजार करोड़ का इन्वेस्टमेन्ट हुआ और विशस सरकिल तोड़ने की बात कही कि हम कैसे विशस सर्किल तोड़ना चाहते हैं। आपने यह बात हमसे पूछी है और स्वयं विशस सर्किल में फंस कर आप बहस करते हैं। हम तोड़ना चाहते हैं विशस सर्किल को उस जगह जिस जगह से हमारा प्रोडेक्शन बढ़ सके। हम सर्किल तोड़ना चाहते हैं उसी जगह जिस जगह हम अपना इन्वेस्टमेन्ट अधिक कर सकें। हम विशस सर्किल तोड़ना चाहते हैं इस प्रकार जिससे हमारा कैपिटल एक्युमेलेशन हो सके। हम विशस सर्किल तोड़ना चाहते हैं उस जगह जहां पर हमारी इंडस्ट्री बढ़ सकें। हम विशस सर्किल तोड़ना चाहते हैं उस जगह जहां पर हमारे देश के लोगों की पर कैपिटा इन्कम बढ़े। वह विशस सर्किल कैसे टूटे? क्या उस विशस सर्किल के बिना टूटे देश की इन्कम बढ़ सकती है। क्या बिना उस विशस सर्किल के टूटे कैपिटल एक्युमुलेशन होगा? क्या बिना कैपिटल एक्युमुलेशन हुये कोई इंडस्ट्री बढ़ सकेगी या ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेन्ट हो सकेगा। कहा गया कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ गया। मान लीजिये कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ गया आप कहते हैं कि १० हजार करोड़ इन्वेस्टमेन्ट सारे हिन्दुस्तान में हुआ और हमारे यहां केवल ६०० करोड़ हुआ तो इसके अलावा दूसरा और क्या तर्क देने की जरूरत है कि क्यों हमारे यहां प्रोडक्शन नहीं बढ़ा और क्यों हमारी पर कैपिटा इन्कम नहीं बढ़ी। हमारे भाई गेदासिंह जी ने पूछा था कि क्यों हमारी पर कैपिटा इन्कम नहीं बढ़ी? वह फर्क इसलिये हुआ कि सारे हिन्दुस्तान में जो पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेन्ट हुआ वह उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं और साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि उन्होंने नहीं किया जिनके आप वकील हैं। आप साफ कहलाना चाहते हैं तो सुनें कि नहीं हुये यहां, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। यहां वह इन्वेस्टमेन्ट नहीं हुआ। ९६ रुपया इन्वेस्टमेन्ट है पर हेड शायद देश का, हमारे यहां ३३ है। आप देख लीजिये। जहां इन्वेस्टमेन्ट नहीं होगा वहां प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा और प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो पर कैपिटा इन्कम कैसे बढ़ेगी। और फैक्टर्स हैं पर कैपिटा न बढ़ने के, हमारी आबादी काफी बढ़ गयी—मेरे पास समय नहीं है और इस लिये मैं उस ओर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिना इन्वेस्टमेन्ट हुए प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। कैपिटल हमारे पास है नहीं, तो इन्वेस्टमेन्ट बढ़े कैसे? यह विशस सर्किल है। अगर इन्वेस्टमेन्ट नहीं करते तो हमेशा के लिये हम पिछड़ जाते हैं और पिछड़ जायंगे। इंवेस्टमेन्ट करने के लिये हम को आज अपना पेट काट कर निकालना है। यह सही है कि जो पैसा खर्च हो वह ठीक से हो। यह भी सही है कि अगर हम पैसा ले कर उस टार्गेट को पूरा नहीं करते और सचमुच इन्वेस्ट नहीं करते और प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं बढ़ाते और परकेपिटा इन्कम नहीं बढ़ाते और इसी प्रकार हम पड़े रहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह बड़े अनर्थ की बात है, यह विशस सर्किल है जिसे हम तोड़ना चाहते हैं। अब आप इन्हीं बातों को कहें और आप के आर्गूमेंट हमारे केस को मजबूत करें, तो हम दूसरी बात क्या कह सकते हैं। सोशलिज्म की तरफ हम जाना चाहते हैं। अभी ख्रुश्चेव साहब ने कहा है कि एक पेंट को दस आदमियों के बीच में बांट देना सोशलिज्म नहीं है, सोशलिज्म यह है कि हम १० पैट पैदा करें। हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, और हम जितना भी कैपिटल लगा सकते हैं लगायें। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं सकता। आज सारा ध्यान एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ हमारा है। हम इस पिछड़ेपन से निकलना चाहते हैं। आप कोई दूसरा रास्ता बतला दीजिये। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि शुगर को नेशनलाइज कर दिया जाय। शुगर का मामला गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से तय होता है, यह केवल उत्तर प्रदेश की सरकार का मामला नहीं है, लेकिन हम उनके नेशनलाइ-

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जेशन के खिलाफ नहीं हैं। हमने ट्रान्सपोर्ट का नेशनलाइजेशन किया, एलेक्ट्रिसिटी का नेशनलाइजेशन किया। आप समझते हैं कि उससे लाभ हो सकता है तो कीजिये, लेकिन हम री समझ में उससे किसानों का नुक्सान हो जायगा। हम अंधकार में नहीं जाना चाहते। जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वह होता है तो ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आज मिक्स्ड इकानामी चलेगी। बिना उसके हमारी प्लान्ड इकानामी चल नहीं सकती क्योंकि हमें आवश्यकता है प्रोडक्शन की। और इंवेस्टमेन्ट जहां भी होता हो, वह हमें करना चाहिये। हमारी इकोनामी कंट्रोल्ड है। पब्लिक तो पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर भी अधिक से अधिक हमारे कंट्रोल में आता जाता रहा है और आता जाना चाहिये। उसकी तरफ हम जा रहे हैं। हमारे लाज और रूल्स को आप पढ़ कर देखें, हमारी नीति को देखिये। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और इस विचार से कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। यह हमारी इच्छा है जिसे लेकर हम सामने आते हैं। कमियां होंगी, खामियां होंगी, हम जानते नहीं होंगे, अनुभव हमारा कम है। आप सहायता करें। हम चाहते हैं कि आप सहायता करें। टैक्सेशन पर आप बहस करोगे, लेकिन उस के बाद मार्ग तो बतलायें। मैंने कहा कि कोई दिशा नहीं है आप के पास, तो मेरे कहने का मतलब यह था कि कोई कांस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं है। यह विशस सर्किल है। यह क्या बहस करने से या व्याख्यान देने से टूटेगा? सारे प्रदेश की जनता के हृदय में निराशा भर देने से क्या वह टूटेगा? उनकी शान्ति और तेज नष्ट कर देने से क्या वह टूटेगा? बड़े से बड़े नेताओं के प्रति अविश्वास भर देने से क्या वह टूटेगा? यह जर्मनी था जो ध्वस्त हुआ लड़ाई के बाद और फिर इन दस सालों में उसने अपने को बना डाला। जो लोग जापान से आये हैं वह कहते हैं कि वहां एक नहीं, जाने कितने हिरोशीमा थे, लेकिन पिछले वर्षों में उन्होंने अपने देश को बिलकुल नया बना डाला है। २०० वर्षों तक हम विनष्ट किये गये हैं। हमारी सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और हमारे देश की नैतिक भावनाओं को नष्ट किया गया, हम नष्ट हुए, आज देश स्वाधीन हुआ। आखिर कैसे स्वाधीनता चलेगी? कोई नक्शा पास कीजिये, कोई मार्ग बतलाइये केवल दोष दिखा देने से और नीतियों का विरोध कर देने से काम नहीं चलेगा। हम तो स्वयं यह मानते हैं कि गलतियां हो सकती हैं। हर मनुष्य से गलतियां होती हैं। बड़े-बड़े मनुष्य गलतियां करते हैं। बड़े-बड़े देशों से गलतियां होती हैं और मैंने उनका जिक्र किया है। परन्तु वे गलतियां क्षमा की जाती हैं। हम राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं। यह एक नया प्रयोग है, जैसे कि स्वाधीनता का प्रयोग था। आप हमारे सहायक होकर हमारी गलितयां बताइये ताकि जनता के हृदय में उत्साह बढ़े। आप गांवों में जाइये और गांवों का और देहातों का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कीजिये। जहां हमारी कमियां हैं, जहां हमारी खामियां हैं, उनको देखिये और बतलाइये। यदि हम इन पांच वर्षों में देश और प्रदेश की जनता को नहीं उठाते और इस बीच में अपनी प्लानिंग को पूरा नहीं करते तो हमारा प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कहीं पीछे रह जायगा।

अब अगर कोई दूसरा पैटर्न हो तो उसको डा० अहमद साहब बतायें और खुल्लमखुल्ला बतायें। आप आइये और बताइये, मैं आपका स्वागत करूंगा। आप यदि डिक्टेटरशिप चाहते हों तो बताइये कि हम तो साहब डिक्टेटरशिप चाहते हैं, हम चाहते हैं सेन्ट्रलाइज्ड इकानामी, हम चाहते हैं इस देश में एक मात्र केवल मैनेजीरियल स्टेट। हम चाहते हैं सारे उत्पादन और धन के वितरण की सारी प्रक्रिया केवल उस स्टेट के हाथ में हो।

जिस सरकार में डेमोक्रेसी नहीं है, जो अपने शासन को, सत्ता को, केवल शस्त्र और शक्ति के ऊपर स्थापित किए हुए है, इसी प्रकार के समाज को हम बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि इस प्रकार की बात आप साफ-साफ कहिये। हमारा आपका कोई विरोध नहीं है। डिक्टेटर-शिप होगी तो हम और आप दोनों मर जायेंगे। आप बताइये कि कौन-सा तरीका हो सकता है कि पिछड़ा हुआ कोई प्रदेश आगे बढ़ सके। केवल टीका-टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा कोई ठोस कदम बताइये, जिससे हम आगे बढ़ें।

हमारे पास एक नक्शा है, उसको आप देखें। हम उसी विश्वास को लेकर चलते हैं। इस प्रार्थना और अनुरोध के साथ कि आप की सहायता मिले कि आपके प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा हो और वह लक्ष्य सिद्ध हो जिस लक्ष्य को हम और आप पूरा करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६२ (The Uttar Pradesh Appropriation Bill, 1962) पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना, खंड १—३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६२

३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये,

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, १९६२ कहलायेगा

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६२—६३ के लिये ३,४६,०९,९०,६०० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९६३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया दिया जाय और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९६२ (उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९६२) की अनुसूची के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] ३,४६,०९,९०,६०० रुपये (तीन अरब छियालीस करोड़, नौ लाख, नब्बे हजार छः सौ) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२	३		
		निम्निलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		०	रु०	रु०
१	वृहत जोत कर ..	२,१९,२००	१,०००	२,२०,२००
२	भू-राजस्व (मालगुजारी) ..	७,५१,५८,७००	१०,१००	७,५१,६८,८००
३	राज्य आबकरी ..	९४,३७,१००	२,०००	९४,३९,१००
*४	मोटर गाड़ी अधिनियम	..	..	..
५	बिक्री-कर ..	५०,८७,२००	५,०००	५०,९२,२००
६	अन्य कर और शुल्क ..	८,५६,७००	२,०००	८,५८,७००
७	स्टाम्प ..	८,८२,७००	१,०००	८,८३,७००
८	निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) ..	१९,९९,४००	२००	१९,९९,६००
९	राज्य विधान मंडल ..	८८,२२,२००	७१,६००	८८,९३,८००
१०	सामान्य प्रशासन ..	२,२२,४९,६००	१४,१४,२००	२,३६,६३,८००
११	आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन ..	८,५८,४३,८००	५,०००	८,५८,४८,८००
१२	गांव सभायें और पंचायतें	१,३०,६०,५००	१,०००	१,३०,६१,५००
१३	न्याय प्रशासन ..	१,७१,७९,८००	३०,९३,८००	२,०२,७३,६००
१४	कारागार (जेल) ..	१,८२,८४,९००	२,०००	१,८२,८६,९००
१५	पुलिस ..	११,६६,९८,१००	५,०००	११,६७,०३,१००
१६	खाद्य तथा रसद तथा अन्य संगठन ..	६४,३०,५००	६२,०००	६४,९२,५००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप ..	२७,४५,०००	३००	२७,४५,३००
१८	शिक्षा ..	२५,९५,३०,४००	१,०००	२५,९५,३१,४००
१९	चिकित्सा ..	५,९५,८१,३००	३,०००	५,९५,८४,३००
२०	जन-स्वास्थ्य ..	५,८६,४१,६००	७००	५,८६,४२,३००
२१	कृषि संबंधी विकास ..	५,६७,४९,२००	७३,८००	५,६८,२३,०००
२२	उपनिवेशन ..	९,५४,१००	१,०००	९,५५,१००
२३	पशुपालन ..	२,८२,११,२००	२,०००	२,८२,१३,२००
२४	सहकारिता ..	२,६३,८३,२००	२,०००	२,६३,८५,२००
२५	उद्योग ..	९,३४,८५,४००	३,५००	९,३४,८८,९००
२६	नियोजन और एकीकरण (Planning and Co-ordination) ..	१२,८०,१८,१००	२,०००	१२,८०,२०,१००

*व्यय के वर्गीकरण में परिवर्तन किये जाने के कारण धन की व्यवस्था अनुदान संख्या ४० के अन्तर्गत की गई है।

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	०
२७	श्रम तथा सेवायोजन ..	२,३३,३२,१००	३,०००	२,३३,३५,१००
२८	सूचना निदेशालय ..	५४,८९,२००	१,०००	५४,९०,२००
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	३,३६,०९,५००	३००	३,३६,०९,८००
३०	समाज-कल्याण ..	५६,३४,८००	५००	५६,३५,३००
३१	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	१३,०६,५०,४००	२,०००	१३,०६,५२,४००
३२	सिंचाई अधिष्ठान ..	६,४९,७७,७००	४,०००	६,४९,८१,७००
३३	अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें	६१,२५,८००	..	६१,२५,८००
३४	विद्युत् योजनायें (अधिष्ठान छोड़कर) ..	२,३२,८७,४००	..	२,३२,८७,४००
३५	विद्युत् योजनायें—अधिष्ठान	४७,४५,१००	२,०००	४७,४७,१००
३६	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	७,७७,४७,७००	३,३९,०००	७,८०,८६,७००
३७	संचार साधनों का सुधार	१,५६,९१,६००	..	१,५६,९१,६००
३८	सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान ..	१,२५,४६,८००	३००	१,२५,४७,१००
३९	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (Grants-in-aid of Public Works) ..	१,०३,७६,४००	..	१,०३,७६,४००
४०	परिवहन ..	१९,०६,२३,८००	८५,०००	१९,०७,०८,८००
४१	दुर्भिक्ष सहायता ..	५०,७४,७००	५५,०१,०००	१,०५,७५,७००
४२	अधिवर्ष भत्ते (Superannuation allowances) तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें)	२,६८,९६,९००	४,०१,४००	२,७२,९८,३००
४३	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते	२२,५५,०००	..	२२,५५,०००
४४	लेखन सामग्री और मुद्रण (Stationery and Printing)	१,७३,१०,७००	१,०००	१,७३,११,७००
४५	वन ..	३,४०,४८,१००	२,०००	३,४०,५०,१००
४६	प्रकीर्ण व्यय ..	५,४४,५७,९००	६,१००	५,४४,६४,०००
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर व्याज ..	..	१३,९१,४३,५००	१३,९१,४३,५००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	५३,२६,८३,९००	५३,२६,८३,९००

*प्रभूत विनियोग ।

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
४७	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	९,९६,४१,०००	२,०००	९,९६,४३,०००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत ..	३,८४,०४,३००	५,०००	३,८४,०९,३००
४९	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत ..	१६,२३,७२,४००	..	१६,२३,७२,४००
५०	विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	३,१६,८२,९००	..	३,१६,८२,९००
५१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों (Public works) पर पूंजीगत लागत	१९,१९,५३,३००	५०,०००	१९,२०,०३,३००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	७,२६,४०,३००	१,५०,१००	७,२७,९०,४००
५३	वनों पर पूंजीगत लागत	१८,२४,०००	..	१८,२४,०००
५४	निवृत्ति वेतनों (पेंशनों) की संराशि (Commuted Value of Pensions) ..	७,०१,०००	३५,०००	७,३६,०००
५५	राज्य व्यापार (State Trading) की योजनायें ..	११,८७,३७,१००	१००	११,८७,३७,२००
५६	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (Loans and Advances Bearing Interest) ..	२१,८४,५९,४००	..	२१,८४,५९,४००
	योग ..	२,७७,७८,०७,२००	६८,३१,८३,४००	३,४६,०९,९०,६००

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि इसमें कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं सबको एक साथ ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड १,२,३ अनुसूची और प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं प्रस्ताव करता हूं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६२ पारित किया जाय।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—इस समय इसका अवसर नहीं है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरे विरोध का आधार यह है कि माननीय मंत्री जी ने जिन परंपराओं को कायम करने की बात कही है, प्रश्न यह है कि उन के पास कोई ऐसा जनतांत्रिक यंत्र नहीं है कि जो उन मान्यताओं को पूरा करा सकें और अगर आपने अपने यंत्रों में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन न किया तो वैसा संभव नहीं है और किसी समाजवादी समाज की रचना वह नहीं कर सकेंगे।

श्री उपाध्याक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६२ (The Uttar Pradesh Appropriation Bill, 1962) पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में नये कर लगाने तथा मालगुजारी में वृद्धि किये जाने के विषय पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—अब माननीय नेता विरोधी दल, मालगुजारी में वृद्धि से सम्बन्धित प्रस्ताव पर अपना भाषण शुरू करेंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सेशन के ऊपर आज जो विवाद प्रारम्भ हो रहा है उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में यह स्पष्ट कहा था कि शहरों के ऊपर बहुत टैक्स बढ़े हुये हैं, देहात के ऊपर और टैक्स लगना चाहिये। यही इस विवाद का आधार है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में, प्रस्तावना में यह कहा था कि इस साल १३ करोड़ कुछ रुपये का घाटा होगा और उसे पूरा करने के लिये नये टैक्स लगाने पड़ेंगे।

श्रीमन्, टैक्स का विषय एक ऐसा विषय है जो बहुत ही गम्भीर विषय है। इसके साथ दो और प्रश्न उठते हैं। पहला तो यह कि आप टैक्स क्यों लगाना चाहते हैं? दूसरा यह कि इस टैक्स का भार किस पर पड़ेगा? प्रश्न यह भी है कि उससे जनता को लाभ होगा या हानि होगी, इन सब बातों पर विचार करना परमावश्यक है। सरकार की ओर से बराबर यह कहा जाता है कि घाटा है और उस घाटे को पूरा करने के लिये हमारे पास साधन नहीं हैं। श्रीमन्, मैं पूछता हूं कि क्या आपने, जो साधन हमारे पास हैं, उनको इकट्ठा करने का प्रयत्न किया? कभी उस प्रश्न पर विचार किया? अभी इस सदन में प्रश्नों के समय में, कानपुर में और इस में शुगर इंडस्ट्री के ऊपर जो सेस का रुपया बकाया है उस पर प्रश्न हुआ था और उसके उत्तर में सरकार ने बताया था कि, जहां तक मुझे याद है, करीब ७ करोड़ रुपया सेस का सरकार का बकाया है। जहां सरकार का इतना रुपया टैक्स का बकाया हो वहां पता यह चलता है कि सरकार अपने रिसोर्सेज को स्वयं इकट्ठा नहीं कर सकती। जो सरकार अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा न कर सकती हो, क्या वह अन्य टैक्सेज लगाने का अधिकार रख सकती है? आपने १३ करोड़ का घाटा बताया, अगर आप इस ७ करोड़ की सेस की रकम को वसूल कर लें तो वह घाटा बहुत अंश में पूरा हो जाता है। माननीय वित्त मन्त्री जी सेल टैक्स के भी मन्त्री हैं। क्या यह सच नहीं है कि आज सेल टैक्स का भी काफी रुपया कानपुर और लखनऊ के पूंजीपतियों के ऊपर बकाया है? इसको आप क्यों नहीं वसूल करते? टैक्सों के सम्बन्ध में आप पक्षपात करते हैं। आप गरीबों पर टैक्स लगाने की सोच रहे हैं और उस समय जब कि आपके बजट आंकड़े स्वयं यह कह रहे हैं कि पर कैपिटा इन्कम गिरी है और कुछ ही लोगों की पर कैपिटा इन्कम बढ़ी है जो पूंजपति हैं। तो क्या यही आपका न्याय है? यह कौन सा न्याय है जिन लोगों में टैक्स देने की क्षमता हो उन पर तो टैक्स का बकाया आप छोड़े रहें, उसे वसूल न करें, और जो सब प्रकार के करों से दिन रात पिसे जा रहे हों, और

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

देश में महंगाई भी बढ़ रही हो, उन पर आप टैक्स लगायें ? क्या माननीय मन्त्री जी के समाज की यही कल्पना है कि उनको टैक्स देने का अधिकार है, जीने का अधिकार नहीं है ? माननीय मन्त्री जी ने पूछा था कि जनसंघ का क्या नक्शा है ? मैं उनको बताता हूं कि जन संघ का नक्शा है 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' और आपका नक्शा है "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" आप १०० में ५१ आदमियों को सुखी देखना चाहते हैं और ४९ भाग्य अन्धकार में रखना चाहते हैं। आपकी नीति के अनुसार ४९ का भाग्य अन्धकार में चला जाता है। हमारा सीधा नक्शा है। उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि मनुष्य का मनुष्य से शोषण न हो। सही बात है। उन्होंने कहाकि पूंजीपति द्वारा देश का शोषण न हो, ठीक है। लेकिन उसमें एक बात और जोड़िये कि राज्य के द्वारा व्यक्ति का भी शोषण नहीं होना चाहिये, चाहे वह राष्ट्रवाद के नाम पर हो या राष्ट्रीयकरण के नाम पर हो। राज्य को अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति का शोषण करे और व्यक्ति को अपना दास बना ले। और समय होगा तो मैं स्पष्ट करूंगा कि जनसंघ का यह नक्शा है और मैं जानता हूं कि वित्त मन्त्री जानते ह कि जनसंघ का क्या नक्शा है। वह एक कुशल डिबेटर है और बड़े अनुभवी पार्लियामेंटरियन है, इसलिये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं "स्किट ओवर व्हाट इज वीक" यानी जो अपनी कमजोरी हो उसके ऊपर "स्किट ओवर" कर जाओ, उस सिद्धान्त के आधार पर वह स्किट ओवर करते हैं— तो मुझे उसका खेद नहीं। मैं पूछता हूंकि क्या जो आज महंगाई बढ़ रही है, कृषि का उत्पादन घट रहा है और आपने टैक्सेज जितने लगाये उनका उचित उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी आडिट रिपोर्ट्स कहती हैं कि आपके यहां वेस्टेज बहुत है, मिस्यूज आफ मनी बहुत है, तो आपको क्या अधिकार है कि आप टैक्स लगायें ?

आप पूछते हैं कि टैक्स नहीं लगाने देते तो क्या सुझाव देते हो ? हमारा पहला सुझाव यह है कि जो टैक्स के भिन्न-भिन्न मदों के बकाया पड़े हैं उनको पूर्ण-रूपेण वसूल कीजिये। यह आप मत करिये कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों को तो कानून के नाम पर, हाई कोर्ट के रिट के नाम पर छूट देते रहें और गरीब किसान पर दो आना, चार आना बकाया रह गया तो उसकी वसूली के लिये कोअरसिव मेजर इस्तेमाल करें। शुगर मैनेजेस जिन पर किसानों का सेस का पैसा बकाया है और मंत्री जी ने सदन में स्वीकार किया कि वह बहुत बड़ी रकम है और जिसके लिये जब प्रश्न किया गया कि उसकी वसूली के लिये कोअरसिव मेजर क्यों नहीं इस्तेमाल किये गये तो वर्षानुवर्ष के बाद उत्तर आया कि "हम प्रयास कर रहे हैं" यह उपेक्षापूर्ण व्यवहार उनके प्रति क्यों कर रहे हैं ?

हमारा दूसरा सुझाव यह है कि जो आपने टैक्स का पैसा वसूल किया, उसका उपयोग क्या हुआ, है ? आपके ही आंकड़े कह रहे हैं कि उत्पादन घट रहा है, कृषि का घट गया, किसानों की आमदनी घट गई, तो क्या आमदनी घटाने के लिये, कृषि का उत्पादन घटाने के लिये टैक्स लगाते हैं ? और जिनकी आमदनी कम है उनके ऊपर क्यों लगाते हैं ? आज देहातों में यह हालत है कि किसान को एक वक्त खाना मिल गया तो दूसरे वक्त के लिये मुश्किल होती है। माननीय वित्त मन्त्री इससे सहमत हैं और उन्होंने पिछले बजट में स्वीकार किया था। तो मैं कहता हूं कि जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई हैं उनको और मत तोड़िये टैक्स लगाकर। अभी हमारे शिक्षा मन्त्री चले गये, मुझे बड़ा दुख है। मैं चाहता था कि उनसे दो प्रश्न पूछूं। आपने मास्टरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है, लेकिन क्या फीस नहीं बढ़ा दी। शिक्षा को इस प्रकार आपने अतीव महंगा नहीं कर दिया ? आपका वेलफेयर स्टेट का क्लेम सही है और आप शिक्षा की प्राथमिकता भी स्वीकार करते हैं तो आपको महंगाई भत्ता राज्य की आमदनी से देना चाहिये, लड़कों पर फीस बढ़ाकर नहीं। आज फीस बढ़ाने के सीधे मानी हैं कि आप गरीब प्रदेश की जनता को शिक्षा से दूर करते चले जा रहे हैं। एक ओर सबको शिक्षित करना चाहते हैं, दूसरी ओर शिक्षा को इतना महंगा करते चले जा रहे हैं कि वह जनता की रुचि से बाहर होती जा रही है।

तो श्रीमन्, दो बातों की ओर विचार करना है। एक तो ७ करोड़ का सेस का बकाया है उसकी वसूली। दूसरे, टैक्सेशन की एक सीमा होती है, एक सीमा तक लाभ हो सकता है, लेकिन सीमा को पार करते ही सब परपज डिफीट हो जाता है। आप कहते हैं कि विकास के लिये टैक्स लगायेंगे लेकिन इतने टैक्स लगा देंगे तो कमर ही टूट जायगी तो उत्पदित सामग्री कौन खरीदेगा? उनकी पर्चेजिंग पावर ही कम हो गई तो सारा उत्पादन धरा का धरा रह जायगा। टैक्सेशन का महत्व आमदनी की जो विभीषिका है उसमें समता लाने का अर्थ होता है।

टैक्सेशन के यह भी माने नहीं होते कि सम्पूर्ण परचेजिंग पावर नष्ट करदें। आज देश के अन्दर डेफिसिट फाइनेंसिंग के नाम पर पर्चेजिंग पावर घटी है। इसके बाद अगर आप टैक्सेशन और बढ़ायेंगे टेंट का पैसा निकल जायगा तो पर्चेजिंग पावर और भी नष्ट हो जायगी। विकास के बदले दरिद्रता ही हाथ आयेगी।

दूसरी बात यह है कि आज प्रोहिबिशन नाम की चीज एक मखौल बन गई है। बड़े जोर से घोषणा होती है प्रोहिबिशन की, लेकिन आज उसका नतीजा यह हो गया है कि गांजा, भंग, शराब, देशी शराब, इसका कन्जम्शन दुगना तिगुना हो गया है। कानपुर में प्रोहिबिशन है लेकिन लखनऊ में नदियां बह रही हैं। मैं उस शहर का नाम नहीं लेना चाहता जहां एक केमिकल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी है जिसके पास टिंक्चर, जिंजर वगैरह बनाने के सारे प्रदेश के ठेके पड़े हुये हैं। इससे देश का क्या लाभ है? आज मैं स्पष्ट कहता हूं कि प्रोहिबिशन फेल हो गया। आज देश में इस प्रकार की इल्लिसिट डिस्टिलेशन की काटेज इंडस्ट्रीज बन रही हैं। कल जो नहीं पीते थे उन्होंने भी आज पीना शुरू कर दिया है। डाक्टर सीताराम जी इस समय नहीं हैं, उस दिन मुझे बड़ी हंसी आई, उन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि सारा सदन मादकता से पूर्ण हो गया। मेरठ के बारे में प्रश्न हुआ था जिस पर उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ गई है इसलिये कन्जम्शन बढ़ गया है। आश्चर्य है कि क्या सूबे में खाली मेरठ में ही आबादी बढ़ी, जितने बच्चे पैदा हुये सब शराबी पैदा हुये। यह गलत बात है। मनुष्य का स्वभाव है कि अगर उससे कहा जाय कि तुम यह काम न करो तो उसको वह जरूर करता है। आज प्रान्त में बड़ी गड़बड़ी पैदा हो रही है, हमारा नैतिक पतन हो रहा है। दूसरा परिणाम यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। वित्त मन्त्री जी जानते होंगे कि बनारस नगर के कोतवाल की आमदनी कितनी है। प्रोहिबिशन एक कारण बन गया है करप्शन का। यह भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन देता है। जिस बाम्बे के लिये बड़ा भारी शोर है प्रोहिबिशन का, जिस बाम्बे के महान योगी द्वारा प्रोहिबिशन चलाया गया, वह बाम्बे प्रोहिबिशन के लिये एक मखौल का सामान बन गया है। एक ओर आप आमदनी खो रहे हैं और दूसरी ओर अनैतिकता बढ़ा रहे हैं, सर्विसेज में भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, तो आप इस पर गम्भीरता से सोचें और इस सम्बन्ध में एक कमीशन या कमेटी की नियुक्ति करें जो कि विचार करके अपने सन्तुलित निर्णय दे और उनको आप कार्यान्वित करें।

आप आर्डिनरी रिसोर्सेज को क्यों नहीं टेप करते। आप लग्जरी गुड्स पर टैक्स लगायें। लेकिन किसान पर टैक्स बढ़ाना, यह लग्जरी है क्या या जनता की आवश्यकताओं पर टैक्स लगाना क्या लग्जरी है? आज माननीय वित्त मन्त्री जी स्पष्ट घोषणा करें कि किसानों पर लगान बढ़ाने जा रहे हैं? अगर लगान बढ़ा तो बड़े दुख से और निश्चित मत से कहता हूं कि उसका विरोध करने के लिये भारतीय जनसंघ, संविधान के अन्तर्गत जो कुछ करना पड़ेगा वह करेगा। और हम सारे विरोधी दलों का भी आवाहन करेंगे कि सरकार की इसनीति, कि टैक्स पर टैक्स लादती जाय जिससे समाज की कमर टूट जाय, का विरोध करने के लिये कन्धे से कन्धे मिला कर चलें। मैं एक बार फिर मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इस पर विचार करें एक बार फिर मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इस पर विचार करें और एक बार टैक्स लगाने के पहले जनता को विश्वास दिलायें कि उनके पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। मैंने इसको कई बार दोहराया है और एक बार और दोहरा देना चाहता हूं कि आपने मन्त्रि मण्डल बढ़ाया और बड़े अजीब ढंग से बढ़ाया। मुझे बड़ी हंसी आई जब मैंने देखा कि एक नियोजन मन्त्री

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

हैं और एक ब्लाक डेवलपमेंट मंत्री हैं। नियोजन के माने क्या---ब्लाक का काम। फिर यह ब्लाक मन्त्री कैसे ? क्या इसलिये कि वे कमिश्नर की तारीफ करें और कमिश्नर उनकी तारीफ करें। इस प्रकार से विभागों को तोड़-तोड़ कर जबर्दस्ती मन्त्रियों को बनाया गया है। यह केवल विभिन्न गुटों को प्रसन्न करने के लिये ऐसा किया गया। आपको तो एक इन्ट्री-ग्रेटेड मन्त्रिमन्डल बनाना चाहिये था। इसी प्रकार से हैवी इंडस्ट्री, काटेज इंडस्ट्री और स्माल स्केल इंडस्ट्री इसके तीन मन्त्री कर दिये गये। इसी प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग में जिला परिषद्, महानगरपालिका, पंचायत एक में होना चाहिये। एक-एक विभाग को तोड़ कर आपने ६--६- कर दिये हैं। एक-एक फाइल पर एक-एक मन्त्री बना दिया होता तो और भी अच्छा था। १०० मन्त्री होते, ५०डिप्टी मिनिस्टर होते और एक एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी होता तो २४९ का हिसाब पूरा हो जाता। सुरसा की भांति मन्त्रिमण्डल का निर्माण करके खर्च को दिनप्रति दिन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब तक आप खर्च को नहीं घटाते तब तक आप जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। टैक्स का जो रुपया आप वसूल करते हैं उसका आप सदुपयोग करिये।

इसी प्रकार से आपने एक स्टेट लेविल पर प्लानिंग कमीशन बनाया। भारत का प्लानिंग कमीशन तो मैं समझ सकता हूं। आज आप स्टेट लेविल पर ऐसा कर रहे हैं कल को डिवीजन का भी प्लानिंग कमीशन बनायें, परसों जिले में बनायेंगे, फिर तहसील में होगा, फिर ब्लाक में होगा इस प्रकार से यह एक छंछूदर खानदान बनाया जा रहा है। यह कांग्रेसी लोगों के लिये भोजन भट्ट का हिसाब किया जा रहा है। कहा यह जा सकता है कि इसकी हमको बड़ी जरूरत है। आज ही क्या आवश्यकता पैदा हो गई ? पहली पंचवर्षीय योजना उसके बिना बनाई गई, क्या वह गलत बनी ? दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या गलत बनी ? तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या गलत बनी ? क्या आप यह मानने को तैयार हैं ? यदि हां, तो क्या यह कमीशन उन गलतियों को ठीक करने के लिये बनाया गया है। अगर आप यह कहें कि पहली योजनायें गलत हुईं तब तो मैं यह मान सकता हूं कि यहां प्लानिंग कमीशन की आवश्यकता है लेकिन अगर वे योजनायें सही थीं तो इस कमीशन की क्या आवश्यकता है ?

इसी प्रकार से सेक्रेटेरियट में अधिकारी के बाद अधिकारी बढ़ाये जा रहे हैं। आप समझते हैं कि जनता इसको देखती नहीं है। लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, लोग इन बातों पर विचार करते हैं, उनको देखते हैं...

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि लगान की वृद्धि होने जा रही है, इसलिये यह चर्चा रखी गई थी तथा टैक्सों के बारे में भी मन्त्रिमन्डल का उत्तर मांगा गया था। इसलिये जब उनका उत्तर हो जाय तब इधर से कुछ चर्चा होनी चाहिये। क्या यह बहस केवल भाषण सुनने के लिये रखी गई है अथवा मन्त्रिमण्डल की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आने के लिये रखी गई है। प्रस्ताव को देखने से यह मालूम होता है कि पहले गवर्नमेंट का वक्तव्य आना चाहिये, तब इधर से हम लोग अपने विचार प्रकट करें।

श्री उपाध्यक्ष---कायदा यह है कि ऐसे विवाद के अवसर पर जो विवाद की मांग करता है पहले उसकी तरफ से कुछ कहा जाता है, फिर सरकार की तरफ से और फिर सदन के अन्य माननीय सदस्यगण उस वाद विवाद में भाग लेते हैं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---किसानों के ऊपर कर बढ़ाया जा रहा है या नहीं, जब तक हमें यह न मालूम हो जाय, यह सदन किस चीज पर विचार करेगा। पहले मन्त्रिमण्डल यह घोषणा करे कि क्या कोई कर बढ़ाया जा रहा है और क्या कृषि पर भी बढ़ाया जा रहा है, तब हम कहें कि वह उचित होगा अथवा अनुचित।

श्री उपाध्यक्ष--नियम तो यह है कि जिन लोगों ने ये विवाद मांगे और लाये, उनकी तरफ से पहले बात हो जाय, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से हो जाय, फिर विवाद चले।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, नियम और परिपाटी यह है कि नियम ५३ के अन्तर्गत कोई बहस हो तो प्रस्ताव व व्याख्यात्मक टिप्पणी दोनों को एजेंडे में छाप दिया जाना चाहिये और पहले छपा करता था। हम नहीं समझते कि इस वक्त जरूर आपने आदेश दिया कि उस प्रश्न पर विवाद शुरू हो गया है, लेकिन न तो वह प्रस्ताव पढ़ा गया और न व्याख्यात्मक टिप्पणियां ही जो माननीय सदस्यों ने दी हैं, उसकी जानकारी हमें है। अगर यह हो गया होता तो हमें ज्यादा आसानी हुई होती। मैं काम में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण हो जाय तो बहस की जरूरत नहीं पड़ती।

श्री उपाध्यक्ष---मैं नियम को पढ़ देता हूं।

"५५---औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायगा---सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मन्त्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी।"

तो यह नियम है और इसके अन्तर्गत कई चिट्ठियां थीं, उनकी तरफ से नेता विरोधी दल ने शुरू किया है और उसके बाद माननीय मन्त्री जी की तरफ से उसका जवाब दिया जायगा, फिर बाकी और चलेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त---तो मैं कह रहा था कि आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरह की आपकी फजूलखर्ची है उसको घटाइये। आपने इकोनामी कमेटी कितनी बैठायीं, रिआर्गनाइजेशन कमेटी बैठायी, क्या आपने उस पर ध्यान दिया और उसके एक भी रिकमेन्डेशन को स्वीकार करके आपने खर्च में इकोनामी की। जब हमारे मुख्य मन्त्री पहली बार मुख्य मन्त्री हुये तो बड़ा शोरगुल था, बड़ा ढोल डीम-डीम पीटा गया कि हम इकोनामी करने जा रहे हैं और उस शोरोगुल व डीम-डीम का नतीजा यह निकला कि इस प्रदेश की सरकार जनता पर और टैक्स लादने जा रही है। रिसोर्सेज को बिना ठीक से हस्बैंड किये, जो रिसोर्सेज बिखरे पड़े हैं उनको बिना इकट्ठा किये हुये, आप जो सूबे पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, यह अनुचित और गलत है और मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री अपने भाषण में सारी बातों को स्पष्ट करें क्योंकि मैं जानता हूं कि वे बौद्धिक कला और भाषण कला में बड़े प्रवीण हैं कि शब्दों के अन्दर सुन्दरता के साथ वास्तविकता को गोल कर देंगे। तो मैं आज चाहता हूं कि वे स्पष्ट उत्तर दें कि वे टैक्स लगायेंगे या नहीं लगायेंगे और अगर लगायेंगे तो लगान बढ़ायेंगे या नहीं, सरचार्ज होगा या नहीं और किस-किस मद के ऊपर वह टैक्स लगाया जायगा। अगर सरकार ने टैक्स लगाने का विचार छोड़ दिया हो तो मैं चाहता हूं कि इस बात का उत्तर दिया जाय।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि आप अपनी एक रिसोर्सेज कमेटी बनावें जिसमें आप भी रहें और विरोधी दल के लोग भी रहें और उसमें विचार किया जाय कि आमदनी के रास्ते क्या हैं, उनका ठीक से अध्ययन किया जाय और उसके जो सुझाव आवें उसे आप स्वीकार करें और प्रदेश की फजूलखर्ची पहले रोकें, तब हमारे सामने फिर आवें कि हमें घाटा है या नहीं है। मेरा अपना मत है कि अगर फजूलखर्ची रोकी जाय, तमाम सारे टैक्स जो बाकी पड़े हैं उनकी वसूली की जाय और अगर अपने खर्चे में आप कमी करें और कड़ाई के साथ कमी करें और हर विभाग के लिये जितना आपने स्वीकार किया है उसमें केवल १० परसेंट ही कमी कर दी जाय तो हमारे बजट में कोई भी घाटा नहीं होगा बल्कि हमारा बजट सरप्लस हो सकता है लेकिन इकोनामाइज करें। यह कोई

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

न्याय और तर्क नहीं है कि अपनी फजूलखर्ची व अपने गुटबाजी के लिये फजूलखर्ची करके माननीय मन्त्री जी जनता के ऊपर टैक्स लादते जांय। यह कोई न्याय और तर्क और शुद्ध विचार नहीं है और इस को उसे छोड़ना चाहिये। इन शब्दों के साथ में माननीय वित्त मन्त्री जी को आवाहन करता हूं कि वे सदन के सामने स्पष्ट करें कि वे लगान, सरचार्ज या किसी प्रकार का टैक्स किसानों पर बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। और कहने के पहले मेरे निवेदन को ध्यान में रखें कि आज प्रदेश में टैक्स बढ़ाने से किसानों की कमर टूटेगी और जनता को और गरीब करना होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि टैक्स न बढ़ाये जांय। अपने तमाम साधनों को उचित रूप से ढूंढते हुये, उचित एकानामी करते हुये, सरकारी खर्च में कमी करते हुये और हर विभाग में दस प्रतिशत एकानामी करते हुये पैसे को बचायें और उसका उचित उपयोग करें और टैक्स न लगायें। लेकिन अगर टैक्स लगाया गया तो प्रदेश में एक भीषण आन्दोलन खड़ा होगा और उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी, किसी और पर न होगी, प्रदेश में दरिद्रता बढ़ेगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी किसी दूसरे पर न होगी। अन्त में इन शब्दों के साथ में मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न पर अपनी सुनिश्चित नीति स्पष्ट रूप से सदन के सामने रखें।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, अभी तो विरोधी दल की ओर से विवाद शुरू हुआ है, सब मित्र बोल लें तब फिर एक साथ ही सब का उत्तर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—उचित यही होगा कि गवर्नमेंट की ओर से आप संक्षिप्त जवाब दे दें और फिर लोग अपने विचार व्यक्त करें और बाद में फिर आप को जवाब का मौका मिले।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, आप की जैसी आज्ञा हो। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आज फिर इस विवाद को जिस पर कई बार प्रश्न किये गये और उत्तर दिये गये यहां प्रस्तुत करने में कोई विशेष लाभ नहीं है क्योंकि सरकार की जो स्थिति उस समय थी वही अब भी है, अपने बजट भाषण में ही मैंने स्पष्ट कहा था कि हमारे प्रदेश की प्लान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जो धन की आवश्यकता होगी उस के लिये हमें अतिरिक्त करों के साधनों को ढूंढना पड़ेगा। उस के बाद भी बार-बार प्रश्न भी हुए और उन का उत्तर भी दिया गया कि यह केवल इस वर्ष के बजट के घाटे का ही प्रश्न नहीं है बल्कि सारे प्लान के घाटे की पूर्ति के प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं और जिन भी साधनों से और स्रोतों से इस कमी को पूरा करने में हम सफल होंगे उन सब साधनों को काम में लाकर हम प्लान को संफलतापूर्वक संचालित करेंगे और उन साधनों पर विचार कर के हम सदन के सामने एक चीज लायेंगे। साधारण विवाद में भी और बार-बार प्रश्नों के उत्तर देते हुए भी कहा गया था कि अभी सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है और अभी विभाग ने कौन-कौन से स्रोत लिये जायं इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है और यह सारा विषय अभी विचाराधीन है। अभी हाल में एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में भी जो शायद कुंवर श्रीपाल सिंह जी का था सरकार की तरफ से यही कहा गया था। फिर भी आज इस विवाद की आवश्यकता कोई विशेष थी यह मैं नहीं समझता। लेकिन बहरहाल वह तो अब आरम्भ हो गया।

हमारे मित्र नेता विरोधी दल ने २ प्रश्न किये और ३ बातें कहीं एक तो उन्होंने कहा कि हम घाटे की पूर्ति करने के लिये बजट में घाटा दिखाकर उस की पूर्ति करने के लिये टैक्स लगाने का बहाना ढूंढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहना एक अन्याय करना है और सारी नीति पर भी और नियत पर भी वह एक कठोर और क्रूर आक्रमण है। इस वर्ष के बजट में साढ़े १३ करोड़ का घाटा है लेकिन आप सारे प्लान को देखें और उसके लिये जिन सम्भारों और साधनों की होगी, उस का साहित्य बट चुका है, पंचवर्षीय योजना के सारे साहित्य में लिखा है कि हमें उसके लिये अतिरिक्त साधनों को इकट्ठा करना होगा और उस में लिखा है कि हमें योजना को सफल बनाने के लिये नये-नये स्रोतों और करों के द्वारा उस को पूरा करना होगा, सारी तफसील उस में

दी हुई है वह स्पष्ट है हमारे सामने। योजना हमारी ५०० करोड़ रुपये की पिछले हाउस में पास हो चुकी है, उस पर विवाद हो चुका है, यह लिखा हुआ है कोई छिपी हुई बात नहीं है। आपने जो यह कहा कि स्पष्ट उत्तर दो तो स्पष्ट उत्तर यह है कि हमको प्लान को पूरा करना है। इसका उत्तर यह है कि ५०० करोड़ के हमारे प्लान में प्रदेश का जो हिस्सा है वह करीब-करीब १४७ करोड़ का था और है, ४९७ करोड़ में। अब करीब ५०० करोड़ के हो गया। ३५० करोड़ केन्द्रीय सरकार का हिस्सा है और १४७ करोड़ का हमारा हिस्सा है। इस १४७ करोड़ को जब हम इकट्ठा करें तो ३५० करोड़ रुपया भारत सरकार से हमको मिलता। इसमें अब जो शार्ट फाल है वह १०० करोड़ के ऊपर है जिसे हमें पूरा करना है, जिन साधनों से हम पूरा कर सकें उनसे पूरा करना है। यह घाटा भी जो दिखाई दे रहा है बजट में यह प्लान की वजह से है। इस वर्ष का प्लान ८५ करोड़ का है। पहले साल का ७२ करोड़ का था। आगामी साल का १०० करोड़ का होगा, चौथे साल का प्लान ११५ करोड़ का होगा और पांचवें साल का प्लान १३० करोड़ का होगा। अब हम ३ रुपया मुहैया करें तो ७ रुपया केन्द्रीय सरकार दे। और अगर न मुहैया कर सकें तो वह न मिले और प्लान रुक जाय और प्रदेश पीछे रह जाय। यह है स्थिति इसे हमें पूरा करना है और इसे पूरा करने के लिये सरकार समस्त साधनों और स्रोतों पर विचार कर रही है। टैक्स लगेगा भार पड़ेगा। अब टैक्स कैसा हो, किस पर पड़े इस विषय में अन्तिम निर्णय अभी नहीं हुआ। इससे अधिक आप और स्पष्टीकरण चाहते होंगे तो क्या दूंगा।

जो मैंने नोटिसेज देखे उनमें यह देखा कहीं-कहीं आदरणीय सदस्यों को यह संदेह है कि कोई अध्यादेश निकाल कर, जब सदन स्थगित होगा, सरकार टैक्सेज लगा देगी। मैं कहना चाहता हूं, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस दल के ऊपर, जिसने सारे प्रदेश का भार अपने सर पर लिया है, एक कठोर लांछन लगाना है। हम इतने कायर नहीं हैं कि आपके पीछे हम किसी प्रकार का कर भार लाद दें। जो कर लगेगा सदन के सम्मुख आयेगा और उस कर को ले कर, आपकी स्वीकृति के बाद, जनता के सम्मुख जायेंगे। कोई बैकडोर से आपको मुगालते में रख कर जो ७ करोड़ इस प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिसका भार इस दल पर है, इस तरह से चोर झपट्टा की राजनीति कांग्रेस की नहीं है। इसकी बड़ी स्पष्ट राजनीति है और वह इसका मुकाबला करेगी। हम प्रदेश की जनता के हित में जिन योजनाओं को लेकर चले हैं। उस भार को उठाने के लिये अपने प्रदेश की जनता के सम्मुख जायेंगे, उन्हें समझायेंगे। और भारतीय जनसंघ बड़ा भारी आन्दोलन खड़ा करेगा इसके भय से हम भयभीत नहीं हैं। भारतीय जनसंघ के अनेक आन्दोलन देख रखे हैं और यह भी दे रखा है जैसे इस देश के इतिहास में अनेक बार राष्ट्रीयता का सामना करने के लिये गाय सामने रखी गई वैसे ही जनसंघ का भी गाय आन्दोलन देख रखा है। तो आन्दोलन से हमें भय नहीं है। जनता का निर्णय सर पर है। हमारी योजना, हमारी नीति, हमारे प्रयास उसे पसन्द होंगे तो उन्हें जनता स्वीकार करेगी। न पसन्द होंगे तो जिनकी नीति से वह समझेगी उसका कल्याण होने वाला है उनसे काम करायेगी। पर यह दल और यह संगठन और यह संस्था और यह सरकार कोई पीछे से द्रविड़ प्रणाम करके कोई कर भार बढ़ा करके कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करके कुछ अपना काम निकालने वाली नहीं है। मैं समझता हूं कि स्थिति को मैंने स्पष्ट कर दिया है और इसके बाद किसी विवाद की बहुत अधिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री गेंदासिंह—मैंने बड़े ध्यान पूर्वक माननीय वित्त मन्त्री जी के भाषण को सुना है।

(इस समय ४ बजकर ३१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह तो उनकी दृढ़ता है कि वह किसी भी दल या किसी भी आन्दोलन की रत्ती भर परवाह नहीं करते। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उस जनता के आन्दोलन की परवाह तो उन्हें करनी चाहिये जिसको उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कुछ वायदे किये हैं। किसी भी पार्टी की इतनी ताकत नहीं है जो उनको वहां से हटा सके लेकिन उस जनता के पास इतनी ताकत है कि वह उनको

[श्री गेंदासिंह]

कर लगाने से मुक्त कर सके, इस अप्रिय काम को उनके हाथ से न होने दे। अगर वह डायरेक्टिव प्रिन्सिपल आफ स्टेट पालिसी को देखें, जिस संविधान के जरिये उन्हें यह ताकत मिली है कि वह वहां बैठें, वह जनता के ऊपर कर लगायें, उसी संविधान को मैं उनके सामने रखना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि अदालत में जाने की गुंजायश नहीं है, सिर्फ विवेक के ऊपर छोड़ा गया है कि जो सरकार स्टेट की बने वह उन विचारों को रख कर संचालित हो। तो मैं उनसे पूछ सकता हूं कि उस डायरेक्टिव प्रिन्सिपल की तरफ उनका ध्यान जाता है। अगर ध्यान जाय तो हमें इस तरह का आन्दोलन करने के लिये धमकी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज भी जब इस तरफ से यह बात कही गयी तो आप स्पष्ट कहने की कृपा करें क्या ग्रामीण क्षेत्रों के उस वर्ग पर जिस पर पहले से ही बोझ लदा हुआ है उससे उसको छुट्टी देंगे? अगर ऐसा होता तो दूसरे लोगों को कुछ कहने का ज्यादा मौका नहीं था। मैं सोचता हूं कि जिस वर्ग के हाथ में आज इकोनामिक पावर नहीं है, इकोनामिकली बहुत बैकवर्ड है उनके लिये पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में क्या प्रगति की गयी?

उत्तर प्रदेश सारे भारत के मुकाबले में बहुत पिछड़ा हुआ है लेकिन मैं कहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र यहां के शहरी क्षेत्रों से भी पिछड़ा हुआ है। कभी भी मेरे कहने का यह मतलब नहीं लगाना चाहिये कि शहरी क्षेत्र में जो छोटा-मोटा रोजगार करने वाला है या भीख मांगने वाला है उसकी मैं चर्चा करता हूं। जो आज का उद्योगपति है चाहे शहर में बसा है या देहात में बसा है, जो तिजारत करने वाला है चाहे शहर में बसा है या देहात में बसा है और जो अन्य पेशे वाले हैं जिन्हें १० वर्ष के अन्दर शोषण करने का मौका मिला है वे फले और फूले हैं। उनसे अगर टैक्स लेने की बात आप सोचते और आगे बढ़ने की बात सोचते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कौन आदमी ऐसा है जो तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की कामना नहीं करेगा? जरूर कामना करेगा। हमने प्रतिज्ञा की है कि पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिये जितना भी किया जाय उसको करने के लिये हम कटिबद्ध हैं। जरूरत है इस बात की जो ग्रान्ट हमको भारत सरकार से मिल रही है उस ग्रान्ट के लिये हमें मैचिंग ग्रान्ट चाहिये। कुछ रुपये की कमी है और उस धन की हमें व्यवस्था करनी होगी। तो किसको उसके लिये हम ढूंढें? मैं तो बहुत साफ कहना चाहता हूं और कुछ मुल्कों का मैं उदाहरण दे देना चाहता हूं और कहीं और से नहीं बल्कि जो इसी हफ्ते की आर्थिक समीक्षा जो आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का आर्गन है उससे देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी और उस तरफ के माननीय सदस्य उसे कम से कम एक बार तो पढ़ लेने की मेहरबानी करें। उसमें एक स्टेटमेंट है कि ६ हजार रुपये तक जिसकी आदमनी है वह सन् ५३–५४ में अगर २.६ टैक्स देता था तो सन् ६२–६३ में उससे २.२ लेने का सोचा गया है। इसी तरह से ९,६०० रुपये की आमदनी वाले से सन् ६२–६३ में ४.७ लेने जा रहे हैं। तो क्या ये खेत जोतने वाले हैं? वेतन से या और तरीकों से रुपया पाने वाले जिन लोगों पर इन्कम-टैक्स लगने वाला है उनके प्रति यह रियायत है। इसी के साथ-साथ मैं दूसरे मुल्कों की एक तालिका देना चाहता हूं। आस्ट्रेलिया में जिसकी आमदनी प्रति व्यक्ति की आमदनी से २० गुना ज्यादा है उससे ४२ प्रतिशत ले लिया जाता है, जिसकी ५० गुना ज्यादा है उससे ५७ प्रतिशत और १०० गुना जिसकी आमदनी ज्यादा पर कैपिटा इन्कम से है उससे ६२:३ प्रतिशत ले लिया जाता है। इसके बाद जापान को ले लीजिये क्योंकि उससे हमारी तुलना कुछ अच्छी हो सकती है। वहां जिनकी आमदनी पर कैपिटा इन्कम से २० गुना ज्यादा है उनसे ३९.८ परसेंट ले लिया जाता है, जिनकी ५० गुना ज्यादा है उनसे ४८.९ परसेंट और जिनकी १०० गुना ज्यादा है उनसे ५२ परसेंट। अब जरा हिन्दुस्तान की तरफ आइये। यहां जिसकी आमदनी प्रति व्यक्ति की आमदनी से २० गुना ज्यादा है उससे १.७ हम लेंगे, जिसकी ५० गुना ज्यादा है उससे ७.३ प्रतिशत लेंगे और जिसकी १०० गुना ज्यादा है उससे १९.३ प्रतिशत लेंगे। क्या यह ऐसा सोर्स नहीं है कि जिससे अरबों रुपये इकट्ठा हो सकें? क्यों मारने जा रहे हैं आप उस आदमी को जो पहले से ही मरा हुआ है। मैं तो आंकड़ों के चक्कर में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में फैला हुआ जो ६ एकड़ या १० एकड़ का किसान है, १० एकड़ के किसान

इस सूबे में कितने बसते हैं ? ९४ प्रतिशत किसान १० एकड़ और उससे नीचे के हैं और ७० प्रतिशत ढाई एकड़ के किसान हैं। क्या इन पर और ज्यादा बोझ लादा जा सकता है ? गांव पंचायत का टैक्स ये दें, कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग अगर हो तो उसकी कीमत ये दें और जमीन की मालगुजारी, जिस पर सारा सिद्धान्त है कि उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिये जिनकी हैसियत टैक्स देने की नहीं है, वे दें। टी० टी० कृष्णमाचारी ने आज से कुछ दिन पहले कहा था, मैं समझता हूं माननीय वित्त मन्त्री जी ने उसको पढ़ा होगा, कि अनएकोनामिक होल्डिंग वालों से मालगुजारी लेना बन्द करना चाहिये। कुछ भाइयों को शिकायत होती है कि मैं सवा ६ एकड़ की बात क्यों कहता हूं, ढाई एकड़ की क्यों नहीं कहता। हम सोचते हैं इस बात को कि हमें अपना प्लान कामयाब करना है तो किसके पास से पैसा लेना है। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार ऐसे ही साढ़े नौ करोड़ रुपये की कमी १९५४–५५ में हुई तो हमने कहा था कि क्या सरकार का इरादा टैक्स लगाने का है ? सरकार ने कहा कि नहीं लगायेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब हम छुट्टी में गये तो अनाज जैसी असेंशियल कमोडिटी पर सरकार ने टैक्स लगा दिया।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान बहुत खराब है। इस पंचवर्षीय योजना में एक पैरा लिखा गया है कि गांव के लोगों की हालत बहुत बेहतर हो गई है। गांव के लोगों के पक्के मकान बन गये हैं, अच्छा खाने लगे हैं, गेहूं और चावल खाना शुरू कर दिया है और अच्छे कपड़े पहन रहे हैं आदि। आज ही माननीय स्वशासन मन्त्री जी ने कहा कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां ४–५ मील से पीने का पानी लाना पड़ता है। क्या यह खेती करने वाले लोग नहीं हैं। जब सवाल किया गया तो रोक दिया गया। आज मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीणों की जो दुर्दशा है उसका सचमुच में ज्ञान हम को भी नहीं है। १० वर्षों से रायल होटल में रहते हुए, इन पंखों के नीचे रहते रहते हुए हमारा दिमाग भी खराब हो रहा है। जो नये सदस्य चुनकर आये हैं वे सोचें कि टैक्स लगाना है तो किन पर लगाना है। इसे देखें और इस मोटी-सी पुस्तक को एक बार पढ़ने का कष्ट करें। श्रीमन्, समय नहीं है वरना मैं उदाहरण देता जहां पर मालगुजारी घटाने की सिफारिश है और जहां पर यह है कि कम आमदनी वालों की जेब में पैसा डाला जाय। माननीय वित्त मन्त्री जी अपनी विद्वता से, अपनी भाषा तथा शैली द्वारा या हमको उल्लू बनाकर या बेवकूफ बनाकर हमारी बात को नहीं सुनते हैं . . .

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्, उल्लू शब्द क्या पार्लियामेंटरी है ?

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैंने अपने लिये कहा है। अगर उनको तकलीफ है तो मैं वापस लिये लेता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—आप अपने लिये भी नहीं कह सकते हैं।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, वे हमारे बुजुर्ग हैं, उनको अगर बुरा लगा तो मैं उसको वापस ले रहा हूं। मैं सचमुच में उल्लू हूं नहीं श्रीमन्, ...

श्री कमलापति त्रिपाठी—बनाने वाला तो कोई होगा।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि न मैं हूं और न मुझे बनायें। उनके पास ताकत है और उनकी इतनी बड़ी शक्ति है कि जिससे चाहें उससे वसूल कर सकते हैं।

श्रीमन्, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि वे मेहरबानी करके अपने पड़ोसी सूबों को देख लें कि गांवों के ऊपर यह जुल्म नहीं है। मैं वित्त मन्त्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि वे कृपा करके मेरी बात सुन लें। क्या यह सही नहीं है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, बम्बई, आन्ध्र और मद्रास, जिस बुनियाद पर कि हम टिके हुए, हमारी गांव पंचायतों पर डेमोक्रेसी टिकी हुई है, वहां उन गांव पंचायतों को श्रीमन्, लैंड रेवेन्यू से १० प्रतिशत से लेकर ३३ प्रतिशत तक

[श्री गेंदासिंह]

ग्रांट मिलती है अपने गांव पंचायतों का काम चलाने के लिये, सफाई करने के लिये, स्कूल चलाने के लिये तथा सड़कें आदि बनाने के लिये और हमारे सूबे में इधर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया।

अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं और सरकार से केवल एक ही अपील करना चाहता हूं और मैं सरकार के टैक्स लगाने के अधिकार को कम नहीं करना चाहता हूं। अगर उसको रुपये की कमी है तो श्रीमन्, एक काम करें कि आप भी किसी दिन बैठें और हम भी बैठ जायं, उग्रसेन जी, राजा साहब, बलवान्तसिंह जी, भानुप्रतापसिंह जी आदि एक रोज बैठकर सोचें और उस पर विचार करें। क्या यह डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जायगी अगर हम लोग बैठकर सोचें कि हमें इस प्लान को कार्यान्वित करना है तो इसके लिये धन कहां से ले आयें देखें तो हम लोगों के पास कुछ अक्ल है या नहीं, कोई रास्ता बताते हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष--आज तो कुछ बता दीजिये। कुछ संकेत हो जाय।

श्री गेंदासिंह--मैंने अभी बताया। कुछ तो बड़ी आय वालों से हमको लेना पड़ेगा। सिवा इसके कोई दूसरा उपाय हमको दिखायी नहीं देता। श्रीमन्, एक बात और कहूं। कुछ सरकार अगर पब्लिक सेक्टर की तरफ जाय तो मैंने इसके पहले भी कहा था हजार खराब था लेकिन जो कागजात मिले हैं, चुर्क सीमेंट फैक्टरी के, प्रेसिजन इंस्ट्रूमेन्टस फैक्टरी के, रोडवेज के, तो उनमें मुनाफा मिला। तो मैं कहता हूं कि कुछ काम ऐसे क्यों न सोचे जांय जिससे किसी की जेब में से निकालने की जरूरत न पड़े, और कुछ लोगों को रोजगार मिले। उससे हम सरकार की आमदनी बढ़ा कर अपना काम भी चला सकते हैं। ऐसी बातें सोची जा सकती हैं। शुगर मिल का नाम ले लेने से हम बदनाम हो जाते हैं। हम कहते हैं कि सौ करोड़ रुपया मुआवजा देने की कोई जरूरत नहीं है। हर फैक्टरी चाहती है कि हम को कर्जा दें। कर्जा दे कर हम उन फैक्टरियों की चीनी का उत्पादन बढ़वा रहे हैं। जिस समय नेहरू और जयप्रकाश वार्ता हुई थी उस वक्त यह बात कही गयी थी। जय प्रकाश जी जैसे रीजनेबिल आदमी ने कहा कि शुगर फैक्टरी का नेशनलाइजेशन ओवर ड्यू है। आज तीन शुगर फैक्टरियां जो अनाथराइज्ड कंट्रोलरशिप में थीं, वह मुनाफा दिखा रही हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रह कर मिलमालिक किसानों की गर्दन पर छुरी चलाते हैं। इसलिये जब हम मिल-मालिकों की तरफदारी करते हैं, तो किसान और मजदूर हमारी मुखालिफत करते हैं। पिछले वर्षों में ८ लाख रुपया हमने मिल मालिकों की मदद के लिये दिया। उसके बाद जब किसान ने गन्ना बढ़ाया तो फिर किसान के गले पर हम छुरी चला रहे हैं। मैं इतनी बात जरूर समझता हूं कि अगर आप उस पर टैक्स लगायेंगे तो किसान कपड़ा नहीं खरीद सकेगा, जूता तो अब भी नहीं पहन सकता, उसका कंजम्प्शन नहीं बढ़ सकता है, अगर कंजम्प्शन नहीं बढ़ सकता है तो हजार उपाय करके इंडस्ट्री चलाइये जब कि ८ करोड़ में से ६ करोड़ की परचेजिंग कैपेसिटी गिर जायगी तो कोई इंडस्ट्री पनप नहीं सकती। आज हम लाखों करोड़ों रुपया लगा कर चीनी एक्सपोर्ट करने पर मजबूर हैं वह क्यों मजबूर हैं? इस लिये कि हमारा किसान शुगर नहीं खा पाता। हम चीनी बनाते हैं लेकिन खाने वाला नहीं है। क्या चीनी कोई जहर है? कौन शरबत नहीं पीना चाहता? कौन हलुआ नहीं खाना चाहता? लेकिन नहीं खरीद सकते। अगर किसी के यहां श्राद्ध हुआ या शादी हुई तभी वह चीनी खरीदेगा। तो सबसे आवश्यक है कि सरकार उन लोगों की क्रय-शक्ति गिरने न दे। अगर उन पर टैक्स बढ़ाया जायगा तो इंडस्ट्री और प्लानिंग सब चौपट हो जायगी।

मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह हमारी बात पर विचार करेगी। आखिर हम लोग इतनी बात कहते हैं सब गलत ही कहते हैं। कभी तो वह समझा करें कि हम सही बात कहते हैं। यह बात समझ कर उनको ऐलान करना चाहिये और लोगों को मौका न दें अंधेरे में टटोलने के लिये, प्रदर्शन करने का, आन्दोलन करने का और नोटिस देने का, कह दीजिये कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ेगा। जिससे किसान और खेतिहर मजदूर सो सकेगा,

आज वह सो नहीं पाता है। अगर टैक्स आप उन पर बढ़ाइयेगा तो आप अपने वादे से पीछे जायेंगे। यह मुनासिब नहीं है। और मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र की रीढ़ है किसान और मजदूर, उसको आप बहकने मत दीजिये। मैं इन बातों को कहते हुए उम्मीद करता हूं कि सरकार इन बातों को स्पष्ट करके सबकी बेचैनी को दूर करेगी।

(श्री नरसिंहनारायण का नाम पुकारा जाने पर)

श्री रामकिशोर (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है अधिक से अधिक लोगों को बोलना है श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि समय निर्धारित कर दिया जाय ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें।

श्री नरसिंहनारायण (गिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने इस मालगुजारी ऐसे महत्वपूर्ण वादविवाद में मुझे भी मौका दिया कि मैं भी अपनी राय रख सकूं। श्रीमन्, सबसे पहले तो मुझे यह कहना है कि आज जो बजट पास किया गया है और उस बजट में जो साढ़े तेरह करोड़ का घाटा दिखाया गया है, वह बजट ही इस बात का सबूत है कि अगर हमारी बजटिंग ठीक तरह से होती, अगर हम सही ढंग से अपनी आमदनी को देखते हुए अपने खर्चे को सन्तुलित तरीके से रखे होते तो आज यह उत्तर प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के ऊपर टैक्स का भार लादने की आवश्यकता न पड़ती। मैं इसे सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी समझता हूं कि जो आज इस सरकार ने इस तरह का बजट पेश करके इस तरह का मौका माननीय सदन को दिया कि इस तरह की विचारधारा यहां रखी जाय। और दूसरे मुल्कों में जो कि समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं उनमें उनकी एक दिशा होती है बजट पेश करते समय और उनकी आमदनी और खर्च में सन्तुलन होता है। लेकिन हमारे यहां जो बजट पेश किया जाता है उस बजट में घाटा दिखाया जाता है, उस बजट में कोई सन्तुलन नहीं रहता है। यही इस बात का सबूत है कि सरकार कितनी क्षमता के साथ इस सूबे के कार्य को चला रही है।

दूसरी चीज, यह सरकार सन् ४७–४८ से लेकर सन् ६१–६२ तक गरीबों के ऊपर कितनी मालगुजारी लाद चुकी, यह मैं बताना चाहता हूं। सन् ४७–४८ में ६ करोड़ ६८ लाख ४६ हजार २ सौ रुपया आपका एस्टीमेटेड लैंड रेवेन्यू था। ६१–६२ में यह रेवेन्यू २१ करोड़८५ लाख १४ हजार७०० रुपया हो गया। यही इस बात का सबूत है कि आज हमारा टैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है और वह टैक्स किसके ऊपर पड़ रहा है? वह उन निरीह गरीब किसानों पर पड़ रहा है जो गांवों में रहते हैं जो कि इस हमारे आर्थिक ढांचे के सबसे बड़े पथ-प्रदर्शक हैं। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि दस एकड़ अलाभकर भूमि हमारे ९४ प्रतिशत सूबे के किसान जोतते हैं। अगर माननीय चरण सिंह के साढ़े ६ एकड़ को अलाभकर जोत मान लिया जाय तो उसके मुताबिक ८५.४ प्रतिशत अलाभकर खेतों को जोतने वाले किसान इस सूबे में हैं। श्रीमन्, मैं इस संबंध में आपके द्वारा जमींदारी एबालीशन कमेटी का हवाला देना चाहता हूं जिससे कि यह मालूम हो सके कि स्थिति क्या है और यह प्रदेश और इस प्रदेश की सरकार आज किस तरफ जा रही है—

If we take 10 acres, as the average size of an economic unit of cultivation, our figures show that the holdings of 94 per cent of the cultivation in the province are uneconomic. Such cultivations number 1, 15, 33, 800 and hold only 64.8 per cent, i.e. 2,68,46,416 acres out of the total holdings area which is 4,13,16,480 acres. Even on Sri Charan Singh's estimate 6 1/4 acres as the size of an economic holding, 85.4 per cent cultivators, numbering 1,04,85,411 would not have economic holdings, altogether they occupy only 45.5 per cent, that is 1,88,40,479 acres out of the total holdings area.

इसलिये मैंने यह आपके सामने रखा है कि जब कर भार का प्रश्न आता है, देश में टैक्सेशन का प्रश्न आता है तो हमारी सरकार यह भूल जाती है कि यह टैक्स किसके ऊपर लगाया

[श्री नरसिंह नारायण]

जा रहा है। गांव का रहने वाला किसान, जो अनइकानामिक होल्डिंग रखता है, क्या उसके ऊपर टैक्स का भार नहीं लगता है? जैसा कि मैंने निवेदन किया अगर आज सन् १९४७ से १९६१-६२ के आंकड़े देखे जांय तो लगभग चार गुना मालगुजारी बढ़ी और अभी मनसूबा बढ़ाने का भी है। यह उसी निरीह किसान पर भार पड़ता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर गरीब आदमी की कैपेसिटी पेमेन्ट करने की नहीं है कि वह टैक्स दे सके, उससे टैक्स लिया जाता है तो रावण के तरह सरकार अपनी तृप्ती पूरी करने के लिये वसूलती है। देश के निर्माण के नाम पर अगर खून लेना चाहती है तो मैं समझता हूं कि यह पाप करना है। और सर्वथा अनुचित है। हमारे ऊपर कर का भार बढ़ाकर सरकार देश और हमारे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती।

श्रीमन्, टैक्स के बारे में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं और यह साबित करना चाहता हूं कि टैक्सेशन की पालिसी क्या होनी चाहिये और दूसरे मुल्कों मे क्या टैक्सेशन है? मैं आपकी आज्ञा से वह भाग (पोर्शन) पढ़ना चाहता हूं जो स्मिथ साहब ने कहे हैं कि किस तरह से टैक्स लगाया जाय। इसमें यह है कि:—

'Every tax ought to be so levied at the time or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it'.

श्रीमन्, आज जो टैक्सेशन किया जा रहा है इसका स्वरूप ही दूसरा है। सोशलिस्ट पार्टी सरकार से कहती है कि जब हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद भूमिहीनों की और इतनी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो आज दिन रात काम करके भी भूखे सो जात हैं और ६। एकड़ जोत से अपना पेट किसी तरह भरते हैं तो उन पर टैक्स लगाना कहां तक उचित है। इसी हेतु उस रोज कौंसिल हाउस के सामने प्रदर्शन हुआ लेकिन आज देश की तरक्की के नाम पर जब टैक्स लगाने की बात चलती है तो हमको फिक्र हो जाती है। आखिर जो नुमाइन्दे यहां पर चुनकर आये हैं और कल अपने घरों को वापस जायेंगे तो यहां से सेशन के बाद वहां जाने पर किसानों से हम क्या कहेंगे? कि आज यह सरकार टैक्सेशन की बात करती है और तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाना चाहती है? इसलिये श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मैंने अपने प्रस्ताव में भी कहा था कि आज यह सरकार इस सेशन के खत्म होने पर जब इसको मौका मिलेगा आर्डिनेन्स के जरिये से टैक्स लगायेगी। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात की स्पष्ट घोषणा की है कि यह सरकार इस समय टैक्स लगाना नहीं चाहती है, लेकिन टैक्स जरूर लगेगा ऐसा उनका विचार है, क्योंकि यदि देश के निर्माण की बात करनी है तो ऐसा करना होगा। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश का निर्माण गरीबों की हड्डियों पर नहीं हो सकता। देश का निर्माण उन करोड़ों रुपयों से हो सकता है जो आज कैश के रूप में वसूल नहीं किये गये हैं और मिल मालिकों के पास पड़ा हुआ है। उस रुपये से आपके बाइ का बजट पूरा हो सकता है। आज यदि उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता जो प्रोडक्शन करते हैं, जो बड़े-बड़े कल कारखानों के मालिक हैं तो मैं समझता हूं कि आपके टैक्सेशन की नीति कामयाब हो सकती थी और उससे देश का उत्पादन भी बढ़ सकता था यही तो आपसे एक भय है कि आप उनसे टैक्स की कोई बात नहीं करते हैं। इसलिये गांव के रहने वाला किसान आपसे डर जाता है। वह आज भी पिछड़ा हुआ है और गोबरहा रोटी खाता है। उसके बाद हमारे वित्त मंत्री जी आज यहां पर शीशे के कमरे में बैठकर कहते हैं कि हम टैक्स लगायेंगे नहीं तो हम प्लान को कैसे पूरा करेंगे। मैं कहता हूं कि आप अपने सूबे के आंकड़े देखिये। सबसे ज्यादा टैक्स आज उत्तर प्रदेश जो इस हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश है, केन्द्र को देता है। लेकिन केन्द्र से मिलने वाली सहायता के भी आंकड़े देखिये और उस पर भी दृष्टिपात कीजिये। यह सरकार नहीं कहती है कि हम टैक्स जो देते हैं वह सब से ज्यादा है और उसके अनुसार हमारे प्रान्त को हिस्सा मिलना चाहिये तो इस तरह की मांग यह सरकार नहीं कर सकती है। कि आज इस बजट की कमी को पूरा कर सकें। देश के औद्योगिकरण को हम ऊंचा ले जा सकें। आज सूबे में स्थिति क्या है? जो परकैपिटा लैंड रेवेन्यू है उसे मैं आपके सामने

इसलिये रखना चाहता हूं कि आपको मालूम हो जाय कि हमार सूबे का सब से कम परकैपिटा लैंड रेवेन्यू है। यह टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की १९५३–५४ की रिपोर्ट है। इसमें दिया है कि आसाम में २.२०, बिहार में ०.७७, बंबई में १.८६, मध्य प्रदेश में २.४२, मद्रास में १.२४, उड़ीसा में ०.९७, जाब में १.६७, वेस्ट बंगाल में ०.८३ और हमारे उत्तर प्रदेश में २.८९ पर कैपिटा लैंड रेवेन्यू है। यह १९५३–५४ की बात है, आज तो वह आसमान छू रहा है।

इसके बाद मैं आपके समक्ष उन आंकड़ों को रखना चाहता हूं कि हमको मिलता कितना है। और सूबों के मुकाबले में हमको कम मिलता है। १९५१ से १९५४ तक आसाम को ३.५ करोड़ रुपया दिया गया, १९५४–५५ में उसे ५.८ करोड़ पया दिया गया और कुल १९५१ से १९५६ तक १६.८ करोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश को दिया गया १९५१ से १९५४ तक १०.८ करोड़ और १९५४–५५ में ८.९ करोड़ और उस के बाद १९५१ से १९५६ तक ३२.८ करोड़ दिया गया। यह हमारे यहां की आमदनी है। अगर मैं सब आंकड़ों को पढ़ूं तो आप टोटल करके देख सकते हैं कि जितनी असिस्टेंस मिली है हमारे प्र`श को वह और सूबों के मुकाबले में कम है, सबसे कम है और इसीलिये मैं कहता हूं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कीजिये कि हमारा हक हमको दिया जाय। पापुलेशन के आधार पर धन दिया जाय ताकि हम अपने इकानामिक प्रोग्राम को पूरा कर सकें। दूसरे सूबों में चार नदी घाटी योजनायें बनीं, आपके यहां कितनी बनीं? क्या केन्द्र द्वारा प्रशासित कोई अन्य योजना हमारे प्रदेश में है? पंजाब में भाखरा नंगल बन गया। हमारे प्रदेश में ११ पूर्वी जिले हर साल बाढ़ से तबाह होते हैं, ४ करोड़ जनता की कोई परवाह नहीं है और उसके बाद भी हमारी छाती पर टैक्स लगाया जाय। यह उचित नहीं होगा। यह जब भी लगाया जायगा हम इसका विरोध करेंगे और इसलिये सोशलिस्ट पार्टी ने आज ही एलान कर दिया है कि अगर इस प्रकार का कोई टैक्स लगाने के बारे में सरकार ने घोषणा की तो सोशलिस्ट पार्टी सिविल नाफरमानी करेगी, असहयोग करेगी और जनता को तैयार करेगी कि इस तरह का जो टैक्स हमारे ऊपर लगाया जा रहा है उसका वह विरोध करें। आपके द्वारा इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—अध्यक्ष महोदय, हम लोग बड़ी उत्सुकता से आये थे कि सरकार हिम्मत के साथ, स्पष्टता के साथ जो अपनी नीति है, जिसकी चर्चा यहां ढाई महीने से चल रही है, उसके संबंध में कोई घोषणा करेगी कि किस प्रकार वह बजट के घाटे को पूरा करने जा रही है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बड़े गर्व के साथ, अपने दल, अपनी पार्टी और अपनी सरकार के गौरव का बयान किया। उन्होंने कहा कि हममें कायरता नहीं है हम साफ कहना चाहते हैं कि उसकी पूर्ति करेंगे। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह कायरता की संभावना वहां रहेगी। उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि स्पष्ट रूप से उस चीज को बतावें कि किस प्रकार से और किस तरह से टैक्स लगेंगे। अगर घाटा पूरा करना है, यह कह देने का विचार कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि वह बैंकरप्सी है, बुद्धि की कमी है और आज यह नयी बात नहीं है। बजट आज ही नहीं बना होगा। जिस वक्त सरकार ने शपथ ली, सरकार इस गद्दी पर आरूढ़ हुई, उस समय मालूम होगा कि इतने पये का घाटा हमारे सामने आने वाला है और यह भी कि जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम १३५ करोड़ या १६० करोड़ रुपये के कर लगायेंगे और ३५० करोड़ रुपये की सहायता हमको केन्द्रीय सरकार से मिलेगी। उस वक्त यह चीज सोच लेनी चाहिये थी कि हम इन २ चीजों पर टैक्स लगायेंगे। हम समझते हैं कि सरकार बहादुरी के साथ दावा करती है कि हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का कार्य करते हैं, हम यहां वोट लेकर आये हैं, तभी उन चीजों का परिणाम मिलता।

यह तो श्रीमन् सारे सदन के लोग जानते हैं कि किसी प्रकार का और कितना भार इस दल के ऊपर है और किसी प्रकार से वह वोट लेकर यहां पहुंची है। श्रीमन्, आप देखें, मुश्किल

[श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह]

से ३३–३४ प्रतिशत बहुमत से यह सरकारें यहां बैठी हुई हैं। इससे निश्चित हैं कि सरकार को जनता का बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है सत्य चीज कहने की। सही बात यह है कि आज यह कर नये नहीं है। सरकार की कर लगाने की एक आदत सी पड़ गई है। एक उसको मर्ज सा हो गया है।

इस संबंध में श्रीमन् एक किस्सा बताऊं। एक साधू महात्मा थे, जो बड़े हर मर्ज की दवा रामबाण बतलाते थे। एक मरीज आया उन्होंने कहा कि रामबाण लगाओ, हालत और गिरने लगी तो उन्होंने कहा कि फिर रामबाण लगाओ यहां तक कि मर गया तो भी उन्होंने कहा कि रामबाण दे दो। हमारी सरकार की भी ठीक यही हालत है।

कर लगाने के और भी बहुत से तरीके हैं कि जिससे हम अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को ऊंचा कर सकते हैं। सरकार ने तो एक चीज सीख ली है कि लगा दो और हमारे ख्याल से मृत्यु शय्या पर जनता आ गयी है और हमारे देश की गरीब देहात की रहने वाली जनता पर कर रूपी रामबाण लगाने से यह सरकार चूकने वाली नहीं है। कर लगाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जब सरकार जनता की सरकार है तो वह कर लगायेगी ही और कर देने में करदाता कभी संकोच नहीं करता। जब वह देता है तो वह देखता है कि वह उसका पूरा लाभ उठा रहा है या नहीं। हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी हुई जिसके कारण कर का बोझ हमारे ऊपर बढ़ा। दूसरी योजना जब हमारे सामने आयी तो उसका भी परिणाम हमने देखा। तो यह मानी हुई बात है जो प्रगति पहली पंचवर्षीय योजना में थी वह प्रगति दूसरी योजना में नहीं रह गयी और जो प्रति व्यक्ति आमदनी थी वह हमारी धीरे-धीरे गिरती चली गयी। आज सब कर्जे से लदे हुए हैं। हमारा प्रदेश जो अन्नसंपन्न था और जिस पर हमारे खाद्य मंत्री गर्व से कहा करते हैं कि हमारा प्रदेश अन्न के भंडार से भरा हुआ है वह भंडार कहां से भरा हुआ है? वह भंडार भरा हुआ है विदेशों से भिक्षा मांग कर और झोली पसार कर के। आज हम लोगों का नैतिक पतन हो गया है और हम उस पर गर्व करते हैं कि हम अन्न से संपन्न हैं। तो श्रीमन्, मौलिक चीजों–सैद्धांतिक चीजों में बड़ा मतभेद है।

हम यह कहते हैं कि आज जो आपकी नीति होती चली जाती है कि हर चीज को समाजवाद और समाजीकरण के नाम से धीरे-धीरे अपने हाथ में लेने की आपकी प्रवृत्ति हो रही है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब तक आप इस नीति को नहीं अपनायेंगे दैट गवर्नमेंट इज फार गवर्नमेंट एंड नाट फार बिजनेस, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आप राज करिये, शासन करिये और बिजनेस करने के लिये, रोजगार करने के लिये धन लगाने के लिये आप आमंत्रित करिये जो पूंजीपति हैं, जिनके पास पूंजी है। मैं उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं, आपने बड़े गर्व के साथ कहा कि हमने ट्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? आज जो आपका दिन प्रति दिन खर्चा बढ़ता चला जा रहा है उससे हमें रिटर्न क्या मिल रहा है? उसे आप देखें। अगर इस तरह से प्राइवेट कम्पनियां करती होतीं तो उनका तो दिवाला निकल गया होता। आज आपने नयी बसों के खरीदने के लिये कई करोड़ रुपया रखा है। अगर आपने उसे किसी प्राइवेट लोगों को दे दिया होता तो मैं जोर के साथ कह सकता हूं कि उससे आपकी आमदनी ज्यादा होती। जितनी आज आमदनी है इससे क म न होती। जो पूंजी आज आप लगाने जा रहे हैं न इसके लगाने की जरूरत होती, न टैक्स लगाने की जरूरत होती, वे लोग अपना कार्य करते और आप उन पर नियंत्रण रखते ताकि वे जनता का शोषण न करने पायें। आपने स्टेट ओनरशिप के नाम पर उसे काबू में कर लिया, कोई बोल नहीं सकता। करीब ९०० करोड़ रुपया आपने राजकीय व्यवसाय में लगा रखा है और आप स्टेट के नाम पर व्यापार करते हैं। इतना रुपया लगाने पर आपको रिटर्न क्या मिलता है, केवल आधा परसेंट। अब आप टैक्स न बढ़ावेंगे तो करेंगे क्या? अगर आपने पूंजीपतियों के रुपयों का उपयोग किया होता, उनको कार्य करने का मौका दिया होता, तो आपके ३/४ परसेंट का रिटर्न अगर मिलता तो आप फायदे

में रहते। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धान्त महात्मा गांधी जी ने बतलाया था उसको आपको अपनाना चाहिये था ताकि पूंजीपति लोग यह समझते कि हमारे पास जो धन है वह जनता के निर्वाह के लिये है और इसको हमें जनता के लाभ के लिये लगाना है और आप केवल उन पर नियंत्रण रखते और यह देखते कि उसका दुरुपयोग न हो और वे उस धन से किसी पर शोषण न कर सकते। अगर वे शोषण करते तो आप रोक सकते थे। मनोपोली को आप रोक सकते थे। अगर ऐसा करते तो आपकी हालत भी सुधरती। आज हमारे सामने जर्मनी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे खेती में फील्ड डिमांस्ट्रेशन होता है उसी प्रकार का नमूना है। दोनों जर्मनी एक साथ गुलाम हुये और एक साथ बरबाद हुये। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का नमूना आपने देखा कि एक तरफ कम्युनिस्ट पैटर्न पर कार्य हुआ और दूसरी तरफ फ्री इन्टरप्राइज तरीके से। नतीजा आज यह है कि वही वेस्ट जर्मनी वाले आज हमको भिक्षा दे रहे हैं। हमारा देश न इधर है न उधर है और हम भिक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमन्, आज जितना भी हम टैक्स में वसूल करते हैं उसका अपव्यय हो रहा है। कोआपरेटिव फार्मिंग के नाम पर कितना पैसा आज बरबाद किया जा रहा है। करोड़ों रुपया आज कोआपरेटिव फार्मिंग के नाम पर बरबाद हो रहा है। आप जिस मरी हुई लाश को जिन्दा करने की कोशिश कर रहे हैं वह जिन्दा नहीं हो सकती और आपकी कोआपरेटिव फार्मिंग कभी सफल नहीं हो सकती। आज आप उसके लिये अनुदान देकर कर्जा देकर मरी हुई लाश को जिन्दा करने की कोशिश कर रहे हैं पर वह जिन्दा नहीं हो सकती।

"लेके चुटकी में नमक, आंख में भर कर आंसू,
इस पै मचले हैं कि हम जख्मे जिगर देखेंगे।"

आज उसको सिद्ध करने के लिये आप मचले हुये हैं, मगर उसमें आप सफल नहीं हो सकते। आप कहते हैं कि हमको दर्द है किसानों का, मगर इससे आप उनका भला नहीं करेंगे और वही होगा कि हम मचले हैं, जख्मे जिगर देखेंगे। आज आपकी सारी इकोनामी फेल हो चुकी है। जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, कभी तरक्की नहीं कर सकते। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने पांडित्य के बल पर डाक्टर अहमद साहब की आलोचना की और कहा कि हम वह समाज नहीं बनाना चाहते कि जिसमें इन्सान की हैसियत नहीं है, मगर मुझे अफसोस है कि आपकी कोशिश कुछ और है और कहना कुछ और है। आप उन्हीं डाक्टर अहमद साहब के पीछे-पीछे चलने की कोशिश करते जा रहे हैं। नतीजा वही होने जा रहा है जो रूस और चायना के अन्दर हश्र हो चुका है, जोकि बैंकरप्ट हो रहे हैं और जिनको प्रगतिशील देश कहा जाता है वह आस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसे देशों से अनाज मंगाकर अपने पेट का पालन कर रहे हैं। मुझे यही कहना है कि जो टैक्स लगे हैं उनसे सिद्ध हो गया है कि उनका दुरुपयोग किया गया है। आपने नये पूंजीपति बनाये हैं। कानपुर के अन्दर उदाहरण मौजूद है कि एक एक व्यक्ति को ८०-८० लाख कर्जा दिया गया है जबकि ७०-७०, ८०-८० हजार रुपया सेल्स टैक्स का उन पर बकाया है और उनसे वसूल नहीं किया जाता है, क्योंकि मौके पर कांग्रेस की मदद करते हैं, कांग्रेस के नाम पर खड़े होते हैं, कांग्रेस मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं। उस डेफिसिट को पूरा करने के लिये देहात के रहने वालों पर चाहते हैं कि उन पर टैक्स लगावें, टैक्स का बोझ लादें। हमारे वित्त मंत्री ने बड़े ही जोशो खरोश के साथ कहा है नेता विरोधी दल की ओर इशारा करते हुये कि हम विरोधी से नहीं डरते हैं। लेकिन जिस गुरु के आप चेले हैं, हम भी उसी गुरु के चेले हैं। हम भी दमन से नहीं घबराते हैं। स्वराज्य प्राप्ति के बाद अगर राज्य में अन्याय आ गया है, अगर राज्य दमन करना चाहता है तो यह भी ध्यान रहे कि हमने भी आजादी की प्राप्ति में योग दिया है और गणतंत्र देश में कायम करने में मदद दी है। अगर राज्य की ओर से जनता पर अन्याय होगा, अगर गरीब जनता के ऊपर आतंक द्वारा शोषण किया जायगा तो हम भी उसका मुकाबला करने के लिये तैयार हैं। आपके साथियों में से बहुत से हममें से रह चुके हैं और वह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ चुके हैं। आप हमारे नेता रह चुके हैं और जो महामंत्र आपने दिया है उसका फिर हम पालन करेंगे।

श्री अध्यक्ष —माननीय सूचना मंत्री।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वयं मुख्य मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं। इस प्रदेश में मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि झांसी जिले से ६ विधायक चुनकर आये हैं ५ कांग्रेस के टिकट पर और मैं श्री ए० जी० खेर के खिलाफ चुन कर आया हूं। मुझे यह कहना है कि जब बुन्देलखंड का प्रश्न आता है तो या तो यह कह दिया जाय कि बुन्देलखंड पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और अगर लगेगा तो हम लोगों को भी आप मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष—अभी आप बैठिये। मैं सूचना मंत्री को बुला चुका हूं।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री की घोषणा के बाद मैं नहीं समझता हूं कि इस सदन में किसी भी वाद-विवाद की आवश्यकता थी। जिस समय सदन के सामने माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया था उस समय सदन के सामने सबको स्पष्ट था कि हमारे इस वर्ष के बजट में नियोजन को पूरा करने केलिये करीब १३ करोड़ रुपये का घाटा है और उसको पूरा किया जायगा। तो जबकि योजनायें और कर के मेजर्स सदन के सामने आते तो माननीय सदस्यों को उन पर विवाद करने का अवसर मिलता, लेकिन कुछ आशंकायें प्रकट की गयी हैं कर नीति के संबंध में और मुख्यतया जितने भाषण हुये हैं ज्यादातर वह सिर्फ विरोधी मालूम होते हैं। उनमें इस बात पर बल दिया गया कि आज प्रदेश में किसी कर की आवश्यकता नहीं है। माननीय विरोधी दल के नेता ने हमारी प्रोहीबीशन नीति की आलोचना की। माननीय गेंदासिंह जी ने इस बात को स्वीकार किया कि नियोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये धन की आवश्यकता है। कुछ उन्होंने सुझाव भी दिये और साथ ही इस बात के लिये भी उन्होंने आफर किया कि वह सुझाव देने के लिये तैयार हैं।

माननीय राघवेन्द्रप्रताप जी ने तो बिलकुल सिद्धान्ततः दूसरी ही बात कही, क्योंकि स्वतंत्र पार्टी तो किसी भी नियंत्रित, कंट्रोल्ड, इकानोमी में यकीन नहीं रखती। वह चाहते हैं कि हम सब लोगों को व्यापार करने की, शोषण करने की, धन कमाने, धनवान बनने की पूरी तरह से छूट दे दें। एक जमाना था फ्री एंटरप्राइज का। उस समय लोग ऐसा कहा करते थे, लेकिन जो लोग एक तरफ फ्री एंटरप्राइज चाहते थे, टाटा वगैरह, वह टैरिफ के जरिये से, एक गवर्नमेंट की सहायता के जरिये से हमारे देश के अन्दर बिजनेस के अन्दर संरक्षण चाहते थे। प्रश्न तो यह है कि जिस समाजवाद के रास्ते पर हम जाना चाहते हैं, जिस समाजवाद का लक्ष्य है देश में समृद्धि हो, शोषण न हो, सबको समाज अवसर मिलें, गरीबी बरोजगारी न हो, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिये हम राजस्व को बिल्ड अप करेंगे? मैं अपने समाजवादी मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या दुनिया के किसी भी समाजवादी देश का इतिहास है जोकि समाजवाद की तरफ आगे बढ़ा हो उसने करों में वृद्धि न की हो? इंगलैण्ड में जितनी राष्ट्रीय आय है उसका ४२ प्रतिशत राजस्व कोष में जाता है। अमरीका जो कि पूंजीवादी देश है उसकी राष्ट्रीय आय का २५ प्रतिशत सरकारी कोष में जाता है। संसार के जितने समाजवादी देश हैं, जिन्होंने समाजवादी नीति को अपनाया है, वहां उत्तरोत्तर करों की वृद्धि होती चली गई है। तो समस्या यह है कि क्या हम फ्री एकोनामी चाहते हैं या एक पुलिस स्टेट चाहते हैं? या हम एक नया समाज चाहते हैं जिसमें अर्थनीति विकसित हो? वित्त मंत्री जी ने कहा कि एक विशेष सर्किल है, एक तरफ कैपिटल फार्मेशन नहीं, दूसरी तरफ उत्पादन नहीं जिससे राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ती और न गरीबी दूर हो सकती है।

माननीय नरसिंह नारायण जी ने कहा कि केन्द्र ने अन्य प्रदेशों को ज्यादा प्रतिशत रुपया दिया, हमको १० प्रतिशत ही मिला। हमारी आबादी १६ प्रतिशत है इसलिये १६ प्रतिशत ही मिलना चाहिये। तो क्यों अन्याय किया गया, क्यों नहीं उतनी धनराशि मिली, प्रश्न वह स्वयं करें और स्वयं उत्तर देने की कोशिश करें। पंजाब में पिछली योजनाओं में १७५ रुपया प्रति व्यक्ति

खर्च किया गया जबकि हमारे यहां ५८ रुपया ही खर्च हुआ। पंजाब में हमारे यहां से ११७ रुपया प्रति व्यक्ति अधिक खर्च किया गया इसलिये पंजाब हमसे आगे बढ़ गया । बाम्बे, जिसकी आबादी हमसे कम है उसनें दस साल के अन्दर हमारे मुकाबले में ज्यादा खर्च किया । जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र हमको साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया देगा और हमको स्वयं डेढ़ सौ करोड़ का इन्तजाम करना है जिसके तीन ही साधन हैं, एक तो अल्पबचत योजना, दूसरा ऋण और तीसरा कर । अगर कर न लगाये जायं, अल्पबचत योजना के द्वारा रुपया जुटाया जाय, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कि चाहते हैं कि नियोजन पूरा हो कि उन्होंने अल्पबचत योजना में क्या योग दिया ? यहां कांउसिल हाउस के सामने प्रदर्शन किये गये, मैं जानना चाहता हूं कि अल्पबचत योजना के लिये कितने प्रदर्शन किये गये ताकि वह सफल हो सके । आज यह देश का दुर्भाग्य है कि एक तरफ हम डेमोक्रेटिक प्लानिंग के लिये चले हैं । हमारी समाजवादी पार्टी पी० एस० पी० के लोग कहते हैं कि डेमोक्रेटिक ढंगों से इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं लेकिन जिस तरीके से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आयेगी उसकी पृष्ठभूमि हम यहां पैदा नहीं करना चाहते हैं। करों का जब प्रश्न आता है तो उनमें इतना साहस नहीं है कि उसका समर्थन कर सकें। देश में समाजवाद फिर किस तरह से आयेगा ? संसार में जो देश कम्युनिज्म मानने वाले हैं उनसे हमारा इतना ही मतभेद है कि केन्द्रीयकरण हिन्सा और मिलिटिरीज्म की उनकी नीति को छोड़कर हम डेमोक्रेटिक ढंग से समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। कैसे समाजवादी व्यवस्था आयेगी ? उसका मूल आधार है कि मदर इन्डस्ट्रीज बने लोहा ज्यादा हो देश में। कोई भी अर्थशास्त्री यह देखेगा कि हमारे देश में लोहे का उत्पादन कितना है। स्टील का उत्पादन क्या है । इंगलैन्ड पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी की उपमा दी गयी लेकिन क्या आपने देखा कि वहां का उत्पादन क्या है ? आज इस ४४ करोड़ के देश में ३ बड़े कारखानों की स्थापना की गयी फिर भी लोहे और स्टील का उत्पादन ६० लाख टन से भी कम है। क्या हम को समाजवाद की कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी या नहीं ?

बार-बार कहा जाता है कि अलाभकर जोतों के लिये एक सिद्धान्त बना दिया जाय। हमारे सूबे में अगर देखा जाय तो मेरठ की पापुलेशन सबसे ज्यादा है। वहां ४२ प्रतिशत लोग खेती करते हैं और ५८ प्रतिशत दूसरा काम करते हैं। देवरिया में जहां से हमारे माननीय नेता आते हैं मेरठ के मुकाबले में कम घनी आबादी है। तो आज जमीन पर भार बहुत ज्यादा है जो लोग सामाजिक क्रान्ति का दावा करते हैं राजनैतिक क्रान्ति का दावा करते हैं उन्होंने लोगों में मनोवैज्ञानिक रूप से परिवर्तन लाने के लिये कुछ नहीं किया। पूर्वी जिलों में अगर एन्टरप्राइजिंग स्पिरिट आ जाय तो खेती पर बोझा कम हो जाय। यह जो लोग खेती करना चाहते हैं और अपने को उच्च वर्ण का कहते हैं उनमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथ से हल चलाने का प्रयत्न किया है और इस प्रकार से एक सामाजिक क्रान्ति लाने की कोशिश की है।

जिसे आप कहते हैं कि हम जमीन के ऊपर कर लगाते हैं यह तो जमीन का रेन्ट है। अगर आप उसको रेंट नहीं मानेंगे तो एक बुनियादी सवाल पैदा होगा कि जमीन का वितरण फिर से क्यों न होना चाहिये फिर सवाल पैदा होगा कि शिड्यूल्ड कास्ट और हरिजनों जिनका बरसों से जमीन के ऊपर कब्जा रहा है जिन्होंने उस पर मेहनत की है उनके हाथ में जमीन को क्यों न दिया जाय। इसलिये जिस प्रकार से लोग मकान का किराया अदा करते हैं उसी प्रकार से किसान जमीन का कर देता है। अगर इस प्रकार से इसको निष्पक्ष बुद्धि से देखेंगे तो वोट प्राप्त करने के लिये जो राजनैतिक स्लोगन लगाया जाता है उसका कोई मूल्य न रह जायगा। इसलिये हमेशा यह सिद्धान्त ध्यान में रखना होगा कि पहले जमीन का मालिक जिस प्रकार से जमींदार था उसी प्रकार से आज राज्य जमीन का मालिक है। जब जमीन का मालिक राज्य है तो किसान उसको रेंट अदा करने वाला है। श्रीमन् सन् ४६ में किसानों से जो लगान लिया जाता था वही आज भी लिया जाता है। अब सन् ४६ और ६२ के बीच में सन् ५२ में एक क्रान्ति हो गयी और जमींदारी उन्मूलन हो गया। लेकिन हमने कोई लगान नहीं बढ़ाया। जो लगान जमींदार वसूल करता था वही लगान आज सरकार लेती है। जो लोग भूमिधर बन गये हैं

[श्री बनारसीदास]

उनका लगान आधा हो गया है। एक बड़ी भारी सेना लगान इकट्ठा करने वालों की है। कलेक्टर से लेकर अमीन तक कितने लोग हैं जो इस काम में लगे हुये हैं इसका राज्य के कोष पर कितना भार है। पहले से लाइबिलिटी भी हमारी बहुत बढ़ गयी है लेकिन लगान हमारा ज्यों का त्यों है। जो लगान जमींदार वसूल करता था वही लगान आज हम वसूल करते हैं। क्या माननीय समाजवादी दल के सदस्य जो अप्रत्यक्ष रूप से इसकी आलोचना कर रहे हैं यह चाहते हैं कि जो लगान जमींदार लिया करता था वह भी सरकार न ले? यह कहा गया कि सरकार (व्यवधान) मुझे बड़ा खेद है कि कहने को तो कह देते हैं कि अधिनायकवाद है लेकिन अमल में नहीं जानते कि वह क्या है सदन में चर्चा करते हैं कि समाजवाद नहीं है लेकिन उनको इतना भी धैर्य नहीं है कि सदन की प्रक्रिया के अनुसार दूसरे की बात सुनें और समझें कि प्रक्रिया नियमावली के क्या नियम हैं। यह उनका वितंडावाद है या जनतन्त्रवाद है जिसकी दोहाई वह देते हैं यह समाजवाद है?

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यहां सदन में उधर से कहा गया कि पूंजीपतियों को रुपया दिया गया। बात केवल यह है कि हम ने ३ करोड़ रुपया यहां के पूंजीपतियों को दिया लेकिन क्या यह तथ्य नहीं है कि उसके द्वारा यहां के १ लाख से अधिक आदमियों को काम मिला और उस रुपये पर हम उससे ६ प्रतिशत से अधिक सूद लेते हैं और उस पर भी एक प्रतिशत की पेनाल्टी है अगर उस में देरी होती है और साथ ही सरकार के आदेश हैं कि अगर वसूली में दिक्कत हो तो सर्विस मैथड इस्तेमाल किये जायं। गन्ने के गोअर्स को ठीक कीमत दिलाने का सवाल परचेज टैक्स का सवाल और अन्य बड़े भारी भारी सवाल उधर से वहां सदन के सामने पेश किये। उधर से जुडीशियरी की इन्डिपेंडेंस की बात बड़े जोर से कही जाती है लेकिन अगर परचेज टैक्स को किसी उच्च न्यायालय में रिट के द्वारा अल्ट्रा वायरस कर दिया तो फिर शिकायत किस बात की है। एक तरफ तो वह जूडीशियरी में दखल देने का आरोप लगाते हैं और अगर उसके फैसले के बमूजिब अगर गवर्नमेन्ट मजबूर है तो कहा जाता है कि गवर्नमेन्ट वसूल नहीं करती.....

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, क्या यहां पर टैक्सेज में भी न्याय विभाग या मुल्ला साहब आ गये यहां तो टैक्स का मामला था।

श्री बनारसीदास—मैं निवेदन कर रहा था कि हम जुडीशियरी को मान्यता देते हैं। अगर हम ने कोई कर लगाया और यदि कोई पूंजीपति संविधान के अनुसार अधिकारों के अन्तर्गत रिट में हाईकोर्ट तक जाता है और उसका रिट मान्य हो जाता है तो जहां तक हमारा सवाल है हम तो संकल्पबद्ध हैं हम रास्ता देख रहे हैं कि उस परचेज टैक्स की धनराशि को कैसे वसूल किया जाय।

मैं माननीय गेंदासिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी उदारता से वकालत की, उन्होंने राष्ट्रीय आय की तुलना प्रादेशिक आय के आंकड़े देकर बड़ी जोर से कहा कि कुल भारत की आय के मुकाबले में हमारे प्रदेश की आय घटी है। लेकिन वह भूल जाते हैं कि अगर पर कैपिटा इन्कम ३०० है तो दस प्रतिशत के हिसाब से ३००×१० यानी ३००० के हिसाब से देना चाहते हैं या अगर २० गुनी आय हुई तो ३००×२०=६००० होते हैं तो क्या वह २० प्रतिशत देना चाहते हैं और इसी तरह से ३०० रुपया राष्ट्रीय आय के हिसाब से अगर १०० गुना हो तो ढाई हजार रुपया माहवार हुआ तो वह कितना कर देना चाहते हैं। तो यह आंकड़े जो आर्थिक समीक्षा से सुनाये गये हैं वह उनकी मदद करने वाले नहीं हैं। जैसे-जैसे हमारी एकनामी ग्रो करेगी हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और उस के फलस्वरूप उतनी ही लोग में कर देने की शक्ति बढ़ेगी। सिस्टम जैसे इन्कम टैक्स का है उसी तरह से वह बढ़ती चली जायेगी।

प्रोहिबिशन के बारे में माननीय राजा साहब ने जिक्र किया मैं उस वक्त भी उनसे एक प्रश्न किया था क्या वह चाहते हैं कि प्रोहिबिशन की पालिसी को छोड़ दिया जाय ? अगर वह संसार के इतिहास को देखें तो जैसे-जैसे दुनिया के देशों में औद्योगिक विकास हुआ है शराब पीने वालों की संख्या भी साथ में बढ़ी है। उनकी जनसंघ तो एक धार्मिक जमाअत है उस के प्रचार के लिये कि प्रोहिबिशन कामयाब हो जनसंघ और उस के स्वंसेवक क्या करते हैं ? हम लोग तो जनआन्दोलन बनाकर सामाजिक आन्दोलन बनाकर जनता में प्रोहिबिशन की नीति को कामयाब बनाने के लिये कुछ कार्य करते हैं और पहले भी किया है।

माननीय नरसिंह नारायण जी ने टैक्सेशन के बारे में कहा। अगर हमारी कर नीति से लोगों की क्रयशक्ति गिरती है तो वह नीति खराब है और अगर हमारी कर नीति से क्रय-शक्ति बढ़ती है तो निश्चय ही वह करनीति एक कामयाब नीति है। मैं पूछना चाहता हूं कौन-सा आधार है जिस पर उन्होंने कहा कि १०–१५ साल की क्रयशक्ति घटी है ? क्या पढ़नेवाले बच्चों की संख्या नहीं बढ़ी ? मास्टरों की संख्या नहीं बढ़ी ? हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं बढ़े। १० साल पहले गांवों में जितनी साइकिलें थीं आज उतनी ही हैं ? किसी यूनियर हाई स्कूल को देखें कि कितनी वहां साइकिलें लड़के ले कर आते हैं। आज से १५ साल पहले शुगर प्रोडक्शन १० लाख टन था वह बढ़ कर ३० लाख टन हो गया। इससे क्या यह साबित नहीं होता कि शुगर का कंजम्पशन बढ़ा है। आज कपड़े का कंजम्पशन प्रति व्यक्ति १७ गज है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—क्या आज की बहस इतनी जबरदस्त है जो आप व्याकुल हो उठते हैं ? उनको सुनतो लीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या ६ बजे तक इन्हीं को समय दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—आप कृपा बैठें।

श्री बनारसी दास—जो लोग तर्क से घबड़ाते हैं वे बहस में बाधा डालना चाहते हैं। मैं कह रहा था आप सीमेंट को देखें। २७ लाख टन सीमेंट पैदा होता था अब ३१ लाख टन है। उसकी जगह-जगह मांग है। पहले जितने ईंटों के भट्टे थे उससे आज ज्यादा है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये कैसे कहा जा सकता है क्रय-शक्ति घटी है ? क्रय-शक्ति बढ़ी है। यह हमारे सफल नियोजन का नतीजा है।

जुलाई के महीने में आपके सुझाव हमारे सामने होंगे कि किस तरह से १३ करोड़ की कमी को पूरा करना चाहिये। जमीन पर कर होगा, शहरों पर कर होगा यह कोई चीज छिप कर तय नहीं होगी, सब सदन के सामने आयेगा।

बार-बार यह कहना कि हमको ३४ प्रतिशत ही वोट मिले। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सीधे कंटेस्ट करें तब मालूम होगा कि हमको इस देश का बहुमत प्राप्त है या आपको। माननीय राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी का मुंह दक्षिण की तरफ है, जेड० ए० अहमद साहब दूसरी तरफ जाते हैं। क्या अपोजीशन के अन्दर कोई कामन आब्जेक्टिव है ? आप पहले अपने में फैसला कीजिये, एक में मर्ज हो जाइये तब मुकाबला कीजिये। मैं जानता हूं राजनीतिक नैतिकता क्या होती है। जो लोग शोर मचाते हैं क्या यही हमारी राजनीतिक संहिता में है ? डेमोक्रेसी के मुताबिक इस प्रकार की नारेबाजी के सम्मान और मर्यादा को जो लोग कम करना चाहते हैं वे इस सदन में प्रतिनिधित्व करने योग्य नहीं हैं। थोड़ा धैर्य से काम लें। नारेबाजी सदन के बाहर हो सकती है। हमने बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया है, डंडों का मुकाबला किया है, शायद उस वक्त कहीं अन्दर सो रहे होंगे, लाठियों, गोलियों का मुकाबला किया है, चुनावों के अन्दर डंडे लाठियों का मुकाबला किया है।

[श्री बनारसीदास]

सदन में स्पीकर का प्रोटेक्शन है, प्रिविलेज हासिल है इसलिये इस प्रकार से खड़े होकर बातें करना सदन की मर्यादा को भंग करना है ।

मैं कहना चाहता हूं कि पुनः जुलाई के महीने में अवसर मिलेगा जहां तक कर का सवाल है । यदि आप चाहते हैं सूबे के अन्दर बेरोजगारी दूर हो तो करों की आवश्यकता होगी । माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा ४० लाख आदमियों को काम देना है । तो कैसे काम देंगे ?

श्री गेंदासिंह---श्रीमान्, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं । मैंने जहां तक सुना है माननीय मंत्री जी ने यह कहा है अगर गर्मी दिखाना है तो इस सदन के बाहर चल कर दिखा सकते हैं, वहां इसका जवाब दिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---ऐसी बात नहीं कही है ।

श्री गेंदासिंह---जरा सुन लें आप । मैंने यही सुना है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बात उन्होंने कही उसका क्या मतलब है ? इस तरह की बात यहां नहीं होनी चाहिये ऐसी जिम्मेदार जगह पर रहने के बाद ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---इसी सदन में आचार्य जुगल किशोर जी के नेतृत्व में ९८ आदमियों ने लिख कर दिया कि सम्पूर्णानन्द के मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार है और आज आचार्य जुगल किशोर और चन्द्रभानु गुप्त साथ-साथ सरकार में बैठे हुए हैं । तो यह कैसी विषमता है ?

श्री बनारसीदास---जो मैं निवेदन कर रहा था माननीय उग्रसेन ने यह कह कर उसका सबूत दे दिया ।

श्री दीपनारायणसिंह---माननीय मंत्री बहुत बड़ी धमकी दे रहे थे और इस तरह प्रजातंत्र की हत्या की गयी है । सूचना मंत्री जी एक जिम्मेदार आदमी हैं । इस तरह की शब्दावली उनके मुंह शोभा नहीं देती ।

श्री बनारसीदास---मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह कहां तक उचित है कि अपनी बात कहना और दूसरे की बात को सुनने के लिये तैयार न रहना । बहुमत को अल्पमत में तबदील नहीं किया जा सकता । माननीय गेंदा सिंह जी ने जो कहा यह उनकी भ्रांति है । मैंने कहा था कि सदन में उनका प्रिविलेज है । आप उनका दुरुपयोग करते हैं । बाहर जाकर बात करिये । हमने इन सब चीजों का सामना किया है । मैंने अर्ज किया कि हमारा यकीन इन चीजों में नहीं है, शांति में है । गोली और लाठियों का मुकाबला हमने चुनाव में किया है । मैंने यह कहा था कि सदन की मर्यादा हमको कायम रखना चाहिये । इस प्रकार खड़े हो कर बोलना मैं समझता हूं कि यह वाक्शक्ति का प्रदर्शन है, योग्यता का प्रदर्शन है, बाहुबल का प्रदर्शन है ? इस सदन के अन्दर वहां निर्णय सरकार ही कर सकती है । यदि इस प्रदेश के अन्दर हमको प्रगति लानी है, सुख लाना है तो कोई मार्ग नहीं है सिवा इसके कि लोगों में कर-भार सहन भार वहन करने की शक्ति हो, नियोजन को कामयाब बनाने के और जिसके लिये हमको उत्तरदायित्व दिया गया है उस कर्त्तव्य से हम लोग विमुख नहीं हो सकते । हमारे सामने भावी संतति है, उसके कल्याण के लिये जो हम उचित समझेंगे अवश्य करेंगे और जनता के सामने जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---मान्यवर, बहुत गंभीर समस्या पर हम विचार कर रहे हैं । लगता है सरकार ने तय कर लिया है कि वह कहीं न कहीं शायद जनता

पर, विशेषकर किसानों पर, कर बढ़ायेगी । जिस साहस और सफाई की आशा मैं करता था वित्त मंत्री जी से वह तो मुझे प्राप्त नहीं हुई लेकिन इशारा काफी है । जून, १९६१ में मुख्य मंत्री जी ने इस बात की स्पष्ट घोषणा की थी कि हमारे प्रदेश में ८० से ९० करोड़ तक टैक्स बढ़ाया जायगा । अब वह बढ़ कर के करीब १०९ करोड़ हो चुका है । इतना टैक्स जनता से वसूल किया जायगा । हमारे देहाती जीवन में जनता पर जितना आज टैक्स है हमारी समझ में उनकी हालत से बहुत ज्यादा है । वह भार वे सहन नहीं कर सकते हैं । सामन्ती प्रथा के खात्मे के बाद हमारे प्रदेश में किसान पर दो पैसा फी रुपया टैक्स बढ़ा । जितना लगान किसान जमींदारों को दिया करते थे आज वही वे देते हैं सरकार को । किसानों को इस बात की आशा थी, कि इन्हीं कांग्रेसी नेताओं ने इस बात का विश्वास दिलाया था कि स्वतंत्रता के बाद जो मालगुजारी जमींदार सरकार को दिया करते हैं वही किसानों को देनी पड़ेगी । लेकिन आज वैसा हुआ नहीं । किसानों की वह आशा चूर-चूर हो गयी । पंचायत टैक्स अंग्रेजों के जमाने में नहीं था । आज वह पंचायत टैक्स चाहे कम हो या ज्यादा, किसान को देना पड़ रहा है । जिला परिषद् और जिला बोर्ड का टैक्स पहले था उससे अधिक बढ़ गया है । आंकड़ों की बात है बाद में यदि समय मिला तो कहूंगा लेकिन मैं जीवन की वास्तविकता का जिक्र कर रहा हूं । इसके अलावा जो किसान खेती किया करते हैं और अपने कृषि उत्पादन को बाजारों में बेचते हैं उसका वाजिब दाम उनको नहीं मिलता है । आम बात हम जानते हैं कि ३० फीसदी वस्तुओं के दाम, खासकर उद्योग-धंधों की पैदावार के दाम बढ़ चुके हैं । किसान जो बाजार में सामान खरीदता है वह उसको महंगा मिलता है और उसे अपनी पैदावार सस्ती बेचनी पड़ती है । इस दोहरी लूट का शिकार आज किसान है । पहले से टैक्स बढ़ चुके हैं । ऐसी हालत में किसानों पर और कर भार बढ़ाना यह कहां तक न्याय की बात है । यह गुस्सा और गरमी की बात नहीं है । गुस्सा और गरमी की बात जब आयेगी तो उसका जवाब हम भी देना जानते हैं और दिया भी है । यहां पर तो हम चाहते हैं कि शांति से विचार किया जाय कि क्या किसानों के ऊपर कर भार बढ़ाना उचित है अथवा नहीं । यहां पर हम सब इस बात को जानते हैं कि टैक्स लोड पर कैपिटा हमारे प्रदेश में बढ़ चुका है । २०·५ से ३१·१ पर कैपिटा टैक्स लोड बढ़ चुका है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अगर देखा जाय तो उसने केवल एक ही मामले में अपने टार्गेट को ओवर फुलफिल किया है और वह है टैक्स बढ़ाने में । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १०५२ करोड़ एडिशनल टैक्स देना पड़ा था जोकि अपने टार्गेट से बहुत अधिक था । थर्ड प्लान में १७१० करोड़ रुपये के एडिशनल टैक्स सारे देश पर लगने जा रहे हैं । हम समझते हैं कि हमारे देश और प्रदेश की जनता की जो स्थिति है उससे यह टैक्स बहुत ज्यादा है, वह उसको बरदाश्त नहीं कर सकती है । नतीजा यह होगा कि या तो आन्दोलन होंगे जिसका मुकाबला गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और जनता के आन्दोलन गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दिया करते हैं यह संसार का इतिहास बताता है अगर जनता के आन्दोलन को दबाने में सरकार सफल हुई तो अर्थ व्यवस्था चकनाचूर हो जायगी । इसलिये हम समझते हैं कि इस मसले पर हमको बहुत शांति के साथ विचार करना चाहिये । देहातों में टैक्स बढ़ेगा खेत मजदूरों पर और किसानों पर । खेत मजदूरों के बारे में सरकार की कमेटियां इस बात का ऐलान कर चुकी हैं कि उनकी हालत बहुत खराब है । श्री मन्नारायण अग्रवाल जी ने कहा कि खेतिहर मजदूरों के हालत बत्तर होती जा रही है, कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है । इसके बाद जिस देश में दो करोड़ ऐसे आदमी हैं जिनकी आमदनी दो आने से भी प्रतिदिन कम है उसमें एक ही उपाय दिखाई पड़ता है सरकार को कि हम टैक्स बढ़ायेंगे । सरकार तो जनता को एक दुधारू गाय की तरह समझती है कि जब चाहे तब दुह लो । इस कांग्रेस की सरकार को दो ही बातें सूझती हैं या तो टैक्स लगाओ या फिर बाहर से कर्जा लो । मैं समझता हूं कि इन दोनों बातों के लिये सरकार को अच्छी तरह से सोचना चाहिये वरना हमारा देश बिक जायगा और कर भार से साधारण जनता की कमर टूट जायगी । दोनों हालतें अत्यंत खतरनाक होंगी ।

[श्री झारखंडे राय]

मान्यवर, लगता यह है कि सरकार के चुनाव ने परिणामों से सबक सीखने की कोशिश नहीं की । चुनाव के परिणामों से वित्त मंत्री जी ने, उनकी पार्टी ने और उनकी सरकार ने सबक सीखने से इंकार किया । मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी और उनकी पार्टी चुनाव के परिणामों से सबक सीखें क्योंकि चुनाव के परिणाम कुछ इंगित करते हैं कि आपको क्या करना चाहिये जिनके पास पैसा है उनसे टैक्स लेना चाहिये । सबसे पहली बात तो यह है कि आप देखें कि टैक्स क्या निहायत लाजिमी हो गया है ? मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है । सरकार के पास जितने साधन हैं पहले उनका ठीक से प्रयोग किया जाय और यदि ऐसा किया जाय तो जो वह बड़े व्यापक पैमाने पर टैक्स लगाने की बात सोच रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी । उनके मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री हैं जैसे माननीय चरनसिंह जी ने एक दफा कहा था कि १५-२० करोड़ पया हम बचा सकते हैं अगर ठीक से इकोनामी की जाय । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज वे मंत्रिमंडल में हैं कि उनका वह दावा कहां गया और आज उनकी बात को क्यों नहीं अपनाया जा रहा है और टैक्स क्यों लगाये जाते हैं ? माननीय नवलकिशोर जी जब साधारण सदस्य हम लोगों की तरह से थे और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष थे तो उनका विचार था कि कम से कम ७-८ करोड़ की बचत हो सकती है तो उनकी वे स्कीमें कहां गईं । आज इन लोगों को या तो ऐलान करना चाहिये कि वे दावे झूठे थे, गलत थे और अब वे सही रास्ते पर सोच रहे हैं वरना टैक्स के रास्ते को छोड़कर अन्य तरीकों से सरकारी आय बढ़ाने की कोशिश करनी होगी ।

मान्यवर, रांग बजटिंग के बारे में भी कई बार इस सदन में कहा जा चुका है । अगर पूरे ११ साल के बजट भाषण देखे जायं तो मालूम होगा कि हर साल घाटे का बजट पेश हुआ है । लेकिन दो साल के बाद देखने में आया कि घाटा नहीं था बल्कि सरप्लस हो गया । तो इसका कौन सबूत है कि जो बजट पेश किया गया है वह घाटे का है या रांग बजटिंग है । यह तो दो साल के बाद ही मालूम होगा । अब तक जो परम्परा रही है उससे तो ऐसा ही लगता है कि रांग बजटिंग होगा । इसलिये इसके आधार पर गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की बात नहीं सोचनी चाहिये ।

मान्यवर, इकोनामी मेजर्स की बात बहुत कही गई । जब माननीय चन्द्रभानु गुप्त गद्दीनशीन हुये तो इकोनामी का ऐलान हुआ और ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल का भी ऐलान हुआ और इस बात का भी ऐलान हुआ कि दरअसल पार्टी बड़ी है या सरकार ? और इसी नारे के बल पर वे सरकार में पहुंच गये । अब उन्होंने इस नारे को छोड़ दिया । उनकी इकोनामी की बात टांय टांय फिस हो गई, डपोरशंख बनकर रह गई । श्रीमन्, कई बार इस बात को पूछा गया कि जब वे गद्दीनशीन हुये तब से उन्होंने कितनी इकोनामी की, कितने पये बचाये ? लेकिन इसके कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये । इसलिये हम नहीं समझ सकते कि वास्तव में कितना पैसा बचाया । इसलिये आज गरीब किसानों की हालत यह है कि वे सतुआ और गोबहरा खाकर अपनी गुजर करते हैं उनके ऊपर सरकार को टैक्स लगाने की बात नहीं सोचनी चाहिये । यह बात मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहूंगा ।

मान्यवर, पर कैपिटा आमदनी हमारी नहीं बढ़ रही है और अगर बढ़ी भी है तो बहुत कम । देहाती जनता की तो नहीं बढ़ी है । ऐसी हालत में सरकार घोर अन्याय करेगी अगर टैक्स लगाने की बात सोचेगी । क्या नैतिक आधार है ? हमारी आमदनी बढ़ती है, टैक्स हम से लें । हमारी आमदनी बढ़ती नहीं, लेकिन आप टैक्स बढ़ाने की बात सोचते हैं, जब कि आमदनी वहीं की वहीं है, या घट रही है । १९३६-३७ में आमदनी क्या थी और आज क्या है ? १९४६ में जब सरकार गद्दीनशीन हुई तब आमदनी क्या थी ? १९४७ में इस सरकार की आमदनी क्या थी और अब क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं एक प्रश्न करना चाहता था कि सरकार की ओर से किसी जवाब की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ?

श्री अध्यक्ष—नहीं ।

श्री झारखंडेराय—मान्यवर, इसलिये एक सवाल उठता है, अगर सरकार समझती है कि हमारा कोई साधन नहीं है, हमारे पास इकोनामी का कोई जरिया नहीं रह गया है तो मैं माननीय गेंदा सिंह से सहमत हूं कि इकोनामी का ड्राइव फेल हो गया या उसके लिये कोई गुंजायश नहीं है । क्या सरकार समझती है कि टैक्स ही एक उपाय रह गया है ? नहीं, यह धारणा गलत है । सरकार अपने खर्चे को कम करे, बड़ी बड़ी सर्विसेज की तनख्वाहों को कम कीजिये, प्रशासन पर व्यय कम कीजिये । तो संविधान की दुहाई दी जायगी कि आई० सी० एस० तो भारत सरकार के नियंत्रण में है, उनको हम छू नहीं सकते । मैं कहता हूं कि संविधान को तरमीम कीजिये । वह कोई खुदा की बाइबिल नहीं है । वह तरमीम हो सकता है, और तरमीम किया गया है । इस बात की जरूरत है कि हमारे प्रदेश में खास कर चीनी मिलें, बिजली कम्पनियों और टेक्सटाइल मिल्स जो हैं उनको सरकार अपने हाथ में ले ले । मुआवजे की बात न कीजिये । सौ करोड़ मुआवजा दे कर चिनी मिलों को लेना भी हानिकर साबित हो सकता है । इस बात की जरूरत है कि बिना मुआवजे के इनको अपने हाथ में लें । अपने साधन बढ़ायें । तब टैक्सेशन की तरफ ध्यान नहीं जायगा । अगर इसके लिये संविधान को तरमीम करने की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिये इस सरकार को केन्द्रीय सरकार से लड़ना चाहिये और हम उसका मामले में साथ देंगे । हमारे प्रदेश में जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, जो निजी कारखानेदार उन हिस्सों को बाटते हैं जो उत्पादन बढ़ रहा है, जो मुनाफा बढ़ रहा है, लाभ बढ़ रहा है, और कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और मजदूरी कम होती जा रही है, यह पैराडाक्स है इसको पहले हमें देखना होगा अगर टैक्स बढ़ाना ही पड़े तो उन पर बढ़ाइये जो देने के लायक हैं, और वह हैं इस सूबे के पूंजीपति । जो जितना बड़ा है उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स का बोझ अधिक पड़ जाता है । इसलिये पहले सरकार को चाहिये कि वह चीनी मिलों, बिजली कम्पनियों और टेक्सटाइल मिल्स को अपने हाथ में ले । कानपुर की मिलों पर सवा पांच करोड़ के करीब सम्पत्ति कर आदि बाकी है, और पूरे प्रदेश में मिलों पर न मालूम कितना कर बाकी है १६ करोड़ से कम नहीं है । उसको वसूल कीजिये । टैक्स में जो लोग चोरी करते हैं उससे अपने कोष को बचाइये । मैं समझता हूं कि यह तरीके ऐसे हैं जिन पर अगर सरकार ध्यान दे तो बिना टैक्स बढ़ाये भी हमारे प्रदेश में इस सरकार के रहते हुए भी, काम चल सकता है । अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं और अदब से कहना चाहता हूं, बिना गुस्से के, कि इस पर भी अगर सरकार तुली हुई है टैक्स बढ़ाने पर, तो उसको हमारे प्रदेश की संगठित क्रान्तिकारी जनता के तीव्र आन्दोलन का मुकाबला करना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—अब समय समाप्त हुआ । हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ६ बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
४ जून, १९६२ ।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८८ पर)

जौनपुर शहर में १ अक्तूबर सन् १९६१ से ३० मार्च सन् १९६२ के ऋण वितरित किये गये व्यक्तियों के नाम व पते

क्रम-संख्या	नाम उद्योग कर्त्ता	पता
१	श्री ऐनुल हसन ..	.. ढालगर टोला
२	श्री जगरदेव सिंह ..	.. नखास
३	श्री मोतीलाल सेठ ..	.. ताड़ तल्ला
४	श्री शीतलाप्रसाद अग्रहरी ..	.. ओलन्दगंज
५	श्री जियाउल हसन ..	.. मुल्लाटोला
६	श्री मोती लाल सेठ ..	.. ताड़तल्ला
७	श्री सैयद इकबाल हुसैन ..	.. मुफ्ती
८	श्री सुभान अली	.. मुफ्ती
९	श्री अब्दुल रहमान ..	.. आलमगंज
१०	श्री महाबीर विश्वकर्मा ..	.. रिजवीखां
११	श्री मोहम्मद सलमान ..	.. गादन अरजनी
१२	श्री मोहम्मद इस्माइल ..	.. शाहीपुल
१३	श्री मोहम्मद इस्हाक़ ..	.. रिजवीखां
१४	श्री मोहम्मद इस्हाक़ ..	.. ख्वाजगी टोला
१५	श्री श्रीकृष्ण	.. उर्दूबाजार
१६	श्री रज्जब अली	.. अबीरगढ़ टोला
१७	श्री गुलाम मोइनुद्दीन ..	.. ख्वाजगी टोला
१८	श्रीअमीर हसन जैदी ..	.. जलुआ बाद
१९	श्री जयराम दास मौर्य ..	.. प्रेमराजपुर
२०	श्री मोहम्मद जमाखां ..	.. ढालगर टोला
२१	श्री सिब्ते हैदर	.. मुफ्ती

जौनपुर सदर तहसील (शहर को छोड़ कर) में १ अक्तूबर, ६१ से ३० मार्च, ६२ तक ऋण वितरित किये गये व्यक्तियों के नाम व पते

क्रम-संख्या	नाम उद्योग कर्त्ता	पता
१	श्री राम बरन शर्मा	ग्राम व डा० बक्सा जिला जौनपुर।
२	श्री राम शंकर सिंह	ग्राम डीहू जहनियां, जिला जौनपुर।
३	श्री मकबूल अहमद खां	कस्बा जफराबाद, जिला जौनपुर।
४	श्री बंशीधर	ग्राम शिवगुलाम गंज, जिला जौनपुर।
५	श्री राजा राम	ग्राम गजना डा० कोट्टा जिला जौनपुर।

उदय प्रदेश मेरा

जौनपुर जिले (शहर व सदर तहसील को छोड़ कर) में १ अक्तूबर, १९६१ से ३० मार्च, १९६२ तक ऋण वितरित किये गये व्यक्तियों के नाम व पते

क्रम-संख्या	नाम उद्योग कर्ता	पता
१	श्री रामजीत प्रसाद	शाहगंज
२	श्री शिवनाथ प्रसाद	केराकत
३	श्री उमराव सिंह	ग्राम लहंगपुर, डा० त्रिलोचन।
४	श्री अब्दुल खालिक	ग्राम रनापुर, डा० गोपालपुर।
५	श्री मुश्ताक अहमद	ग्राम भाऊपुर, डा० मड़ियाहूं।
६	श्री त्रिभुवन सिंह	ग्राम लहगंपुर, डा० त्रिलोचन।
७	श्री केदार नाथ द्विवेदी	ग्राम जूड़पुर, डा० कुतूपुर।
८	श्री चुन्नी लाल	पुराना चौक, शाहगंज।
९	श्री विश्वनाथ प्रसाद	केराकत।
१०	श्री बबऊ यादव	मड़ियाहूं।
११	श्री बेचन राम	ग्राम दुवान, डा० गोपालापुर।
१२	श्री राम बली विश्वकर्मा	उदयचन्दपुर, तहसील केराकत।
१३	श्री रामचन्द्र सिंह	ग्राम नगौली, डा० बलरामगंज।
१४	श्री फतेह बहादुर सिंह	ग्राम नगोली, डा० बलवरगंज।
१५	श्री शेष पति मिश्रा	परियत।
१६	श्री दयाशंकर तिवारी	गहलाई सुखलालगंज।
१७	श्री शारदा प्रसाद सिंह	ग्राम जैपालपुर, डा० रामनगर।
१८	श्री विक्रमा सिंह	ग्राम नगौली, डा० बलवरगंज।
१९	श्री अभय जीत दुबे, प्रेसीडेंट, सघन विकास समिति, मझगवां	मझगवां।
२०	श्री रहमान अली	शाहगंज।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९६ पर)

सूची

समिति द्वारा चुने गये व्यक्ति नियुक्त किये गये

केन्द्रीय कारागार, बरेली .. १—सेठ धनीराम, ज्वेलर्स, बड़ा बाजार, बरेली।
२—श्री एन० एम० मुकर्जी, चोपाला रोड, बरेली।

जिला जेल, बरेली .. १—मास्टर मोहम्मद सिद्दीक, किशोर बाजार, बरेली।

शासन द्वारा नामजद गैर-सरकारी निरीक्षक

केन्द्रीय कारागार, बरेली .. १—श्री बृजमोहन लाल शास्त्री, प्रेसीडेंट, सिटी कांग्रेस कमेटी, बरेली।
२—श्री रघुनन्दन प्रसाद त्याल, एडवोकेट, सिविल लाइन्स, बरेली।
३—श्री हुकुम सिंह, सेक्रेटरी, जिला कांग्रेस कमेटी, बरेली।

जिला जेल, बरेली .. १—श्रीमती कुटुम्ब प्यारी रायजादा।
२—श्री दीनानाथ गुप्ता, मुहल्ला गंज, आवंला, जिला बरेली।
३—श्री कृष्ण लाल आनन्द द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९८ पर)

वित्तीय वर्ष १९५५–५६ से १९५९–६० तक राज्य सरकार द्वारा बाहर से मंगाई गई अनाजों की मात्रा तथा उनके मूल्यों की तालिका

(मात्रा मनों में)

अनाज	१९५५–५६		१९५६–५७		१९५७–५८		१९५८–५९		१९६०–६१	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
गेहूं	..	..	७०,१७,०२७	९,८२,३८,३७८	७०,३४,४६६	९,८४,८२,५२४	१,३८,८४,५७३	१९,५४,४५,४२५	७७,७९,७५३	१०,८९,१६,५४२
चना	..	..	..	..	..	..	९८,३९३	१०,८२,३२३	..	..
चावल	..	..	६१४	९,८२४	..	..	७,०७,५५०	१,१३,२०,८००	..	..
ज्वार	..	..	..	..	..	..	८२,४२२	१०,७१,४८६	..	..
मक्का	..	..	..	..	..	..	२,५८,२४४	२८,४०,६८४	५३,९१३	५,९३,०४३
माइलो	..	..	..	..	..	..	१२,८७,१३२	१,४१,५८,४५२	९४,०७२	१०,३४,७९२
योग	..	..	७०,१७,६४१	९,८२,४८,२०२	७०,३४,४६६	९,८४,८२,५२४	१,६३,१८,३१४	२२,५९,१९,१७०	७९,२७,७३८	११,०५,४४,३७७

नोट—इन आकड़ों में ८२,४२२ मन ज्वार तथा ३,५३,८०१ मन गेहूं जो सन् १९५८–५९ में महाराष्ट्र सरकार और पंजाब सरकार से क्रमशः लिया गया था सम्मिलित है। शेष अनाज केन्द्रीय सरकार से लिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९–४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०५ पर)

क्रम-संख्या	'ए' तथा 'बी' क्लास के भट्ठे वालों के नाम	क्लास	कोयला जो सितम्बर, १९६१ से फरवरी, १९६२ की अवधि में दिया गया (संख्या वैगनों में)
१	श्री मोहन लाल वर्मा, एम० एल० ए०, हरदोई	'ए'	२
२	श्री पुत्तू लाल, हरदोई	'ए'	४
३	श्री सियाराम गुप्ता, हरदोई	'ए'	२
४	सर्वश्री अब्दुल रहमान, मुहम्मद अली, शाहाबाद	'ए'	३
५	श्री रघुनन्दन प्रसाद गुप्ता, संडीला	'ए'	२
६	सर्वश्री असूदा मल लोकू मल, हरदोई	'बी'	३
७	श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल, प्रधान, जिला कांग्रेस कमेटी, हरदोई	'बी'	२
८	सर्वश्री करीमुल्लाह हबीबुल्लाह, शाहाबाद	'बी'	२
९	सर्वश्री रियाईतुल्लाह रफीउद्दीन, पिहानी	'बी'	२
१०	श्री देवी दयाल गुप्ता, संडीला	'बी'	२
११	सर्वश्री आसूमल छट्टूमल, शाहपुर (बेनीगंज)	'बी'	२
१२	श्री घनश्याम दास तिवारी, सांडी	'बी'	३
१३	श्री सुरेश चन्द्र पांडेय, गुलौली ..	'बी'	२
१४	श्री राजेश नाथ कपूर, बिलग्राम ..	'बी'	४

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९१९ पर)

प्रश्न	उत्तर
क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन नगर-पालिकायें हैं जहां पर जलकल का प्रबन्ध अब तक नहीं हो पाया है?	इस समय प्रदेश में ६१ ऐसी नगरपालिकायें हैं जहां पर जलकल का प्रबन्ध अब तक नहीं हो पाया है। इन नगरपालिकाओं की सूची संलग्न है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

ऐसी नगरपालिकायें जहां जल कल का प्रबन्ध अभी तक नहीं हो पाया है

क्रम-सं०	नगरपालिका	क्रम-सं०	नगरपालिका
१	मुजफ्फरनगर	३२	फरीदपुर
२	खतौली	३३	धामपुर
३	शामली	३४	उझानी
४	बिलखुआ	३५	सम्भल
५	दिबई	३६	हसनपुर
६	अतरौली	३७	बोसलपुर
७	सिकन्दराराव	३८	कायमगंज
८	बिजनौर	३९	चित्रकूट धाम
९	बदायूं	४०	चरखारी
१०	अमरोहा	४१	गौराबरहज
११	शाहजहांपुर	४२	काशीपुर
१२	कन्नौज	४३	नोमसार मिसरिख
१३	औरैया	४४	खैराबाद
१४	बिन्दकी	४५	सांडी
१५	मऊरानीपुर	४६	मुहम्मदी
१६	जालौन	४७	नवाबगंज
१७	कोंच	४८	देवबन्द
१८	महोबा	४९	मवाना
१९	भदोही	५०	सिकन्दराबाद
२०	मऊनाथ भंजन	५१	अनूपशहर
२१	बिसवां	५२	जहांगीराबाद
२२	बिलग्राम	५३	सोरों
२३	टांडा	५४	गंजडूंडवारा
२४	बलरामपुर	५५	आंवला
२५	भंगलौर	५६	सहसवान
२६	गंगोहा	५७	बिलसी
२७	हैराना	५८	तिलहर
२८	खुर्जा	५९	शाहाबाद
२९	कासगंज	६०	पिहानी
३०	कलेसर	६१	कर्नलगंज
३१	भरेहरा		

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९१९ पर)

प्रश्न	उत्तर
५—क्या सरकार को पता है कि मार्च, १९६२ ई०में ग्राम मारवी, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव में दो हरिजनों की हत्या कर दी गई। यदि हां, तो इस मामले में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई गई और उसमें से कितने व्यक्ति अब तक गिरफ्तार किये जा चुके हैं?	५—जी हां, इस मामले में कुल ७ व्यक्तियों के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी जिसमें से ५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और बाकी दो ने अदालत में आत्म-समर्पण किया।

पी० एस० यू० पी० —ए० पी० ९४ एल० ए०—१९६२—८४५।